द्वितीय माला, खण्ड २३—अंक ११

१ दिसम्बर, १९५८ (सोमवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
Ou 15/11/83
Parliament Library

(खण्ड २३ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

267 (A) L.S.D.

विषय-सूची

[द्वितीय माला खंड २३—अंक ११ से २०—१ दिसम्बर से १२ दिसम्बर, १९५८]

अंक ११—सोमवार, १ दिसम्बर, १९५८ — पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९२, ३९४, ३९५, ३९७ से ३९९, ४०१ और ४०४ से ४०७ . . — १०५५–७८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ — १०७८–८०

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ३९३, ३९६, ४००, ४०२, ४०३, ४०८, से ४२४ और ४२६ से ४५२ . . . — १०८०–११०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५९५ से ६१०, ६१२ से ६३० और ६३२ से ७०५ . . . . — ११०४–४८

सभा पटल पर रखे गये पत्र — ११४८

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . — ११४९–५१/
खण्ड २, ३ और ३-क . — ११५१–८०

कार्य मंत्रणा समिति—
बत्तीसवां प्रतिवेदन . . . — ११८१

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (संगठन तथा कार्यवाही) के बारे में — ११८१

दैनिक संक्षेपिका — ११८२–८८/

अंक १२—मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४५३ से ४५६, ४५८ से ४६०, ४६२ से ४६४ और ४६६ से ४६८ . . — ११८९–१२१२/

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६१, ४६५ और ४६९ से ४९४ — १२१२–२५/

अतारांकित प्रश्न संख्या ७०६ से ८०३ — १२२५–६६

अतारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . — १२२५/

स्थगन प्रस्ताव . . . १२६७–६८

गन्ने का मूल्य बढ़ाने में कथित विफलता . १२६७–६८

सभा पटल पर रखे गये पत्र १२६८–६९

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक १२७०–८५

खण्ड ४ और अनुसूची १२७५–८०

गाड़ियों के देर से चलने के बारे में चर्चा . १२८२–१३०४

दैनिक संक्षेपिका १३०५–१२

अंक १३—बुधवार, ३ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५००, ५०२ से ५०४ ५०६, ५०७ और ५०९ १३१३–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५, ५०८, ५१० से ५१३, ५१५ से ५४९ और ५५१ से ५५९ १३३६–५८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ से ८२०, ८२२ से ८४६, और ८४८ से ८८४ १३५८–९३

सभा पटल पर रखे गये पत्र . १३९३–९४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकत्तीसवां प्रतिवेदन १३९४

समिति के लिए निर्वाचन

राजघाट समाधि समिति १३९४–९५

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक १३९५–१४०२

खण्डों और अनुसूची पर विचार . १३९५–९९

संशोधित रूप में पारित करने का विचार १३९९–१४०२

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक

विचार करने का प्रस्ताव १४०२–१५

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवत्तियों के बारे में प्रस्ताव १४१५–२८

चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थियों के बारे में आधे घंटे की चर्चा १४२८–३३

दैनिक संक्षेपिका १४३४–४०

अंक १४—गुरुवार, ४ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ५६० से ५६३ और ५६५ से ५७४ . १४४१–६३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ५६४ और ५७५ से ६०३ १४६४--७४

अतारांकित प्रश्न संख्या ८८५ से ९६५ और ९६७ १४७४--१५०९

सभा पटल पर रखे गये पत्र १५०९--११

राज्य-सभा से संदेश . . १५११-१२

राज्य सभा द्वारा पारित विधेयक--सभा पटल पर रखा गया . १५१२

त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली के बारे में याचिका १५१२

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव १५१२--४६

दैदिक संक्षेपिका १५४७--५८

अंक १५--शुक्रवार, ५ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६०६, ६०७, ६०९, ६११ से ६१७, ६१९, ६२० और ६२३ से ६२६ १५५५--७९

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ६०४, ६०५, ६०८, ६१०, ६१८, ६२१, ६२२ और ६२७ से ६५६ . . . १५७९--९५

अतारांकित प्रश्न संख्या ९६८ से १०१८, १०२० से १०३४ और १०३६ से १०३९ १५९५--१६२३

सभा पटल पर रखे गये पत्र १६२४-२५

राज्य सभा सें संदेश १६२५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान लिलाना--

प्रतिरक्षा मंत्रालय द्वारा किये गये ठेके १६२६--३२

सभा का कार्य . . १६३२

निर्यात व्यापार की वर्तमान प्रवृत्ति के बारे में प्रस्ताव . . १६३३--४०

हिमाचल प्रदेश विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव १६४०--४३

आसाम रायफल्स (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव १६४३--४६

खण्ड २ और १ १६४६

पारित करने का प्रस्ताव . . . १६४६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

इकतीसवां प्रतिवेदन १६४६

सैनिक व्यय के ढांचे की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प . . . १६४७--६७

	पृष्ठ
देश में भूमि सुधारों की प्रगति का अनुमान लगाने के बारे में एक समिति के बारे में संकल्प	१६६७
एयर इण्डिया इंटरनेशनल की साप्ताहिक भारवाही विमान सेवा के बारे में आधे घंटे की चर्चा	१६६८–७२
दैनिक संक्षेपिका . .	१६७३–७९

अंक—१६ सोमवार, ८ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६५७ से ६६४ और ६६६ से ६७२	१६८१–१७०६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६६५, ६७३ से ६९१ और ६९३ से ७२३	१७०६–२८
अतारांकित प्रश्न संख्या १०४० से १०५८ और १०६० से १११५	१७२८–६०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१७६१–६२
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	१७६२
लोक लेखा समिति—	
दसवां प्रतिवेदन	१७६२
१९५८–५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगों के बारे में विवरण	१७६२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पटसन के मूल्यों में गिरावट के कारण उत्पादकों की दशा	१७६३–६४
विधेयक पुर:स्थापित .	१७६४–६५
(१) प्रतिभूत संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक	
(२) भारतीय रेलवे (संशोधन) विधेयक	
(३) भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) विधेयक	
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव	१७६५–१८०१
दैनिक संक्षेपिका .	१८०२–०८

अंक—१७ मंगलवार, ९ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२६, ७२८ से ७३०, ७३५, ७५३, ७३३, ७३६ से ७४१, ७४३ और ७४६ .	१८०९–३२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५	१८३२–३३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२४, ७२५, ७२७, ७३१, ७३२, ७३४, ७४२, ७४४, ७४५, ७४७ से ७५२ और ७५४ से ७७५ .	१८३३–४८

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ११११६ से ११६७ . १८४८--८७

सभा पटल पर रखे गये पत्र १८८८

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में प्रस्ताव . . . १८८८--१६०३

हिमाचल प्रदेश (विधान-सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव . . १६०४--०६

संगठन तथा रीति विभाग के प्रतिवेदन के बारे में चर्चा १६०६--२५

शरवती जल विद्युत परियोजना के बारे में आधे घं े की चर्चा . १६२५--२७

दैनिक संक्षेपिका . . १६२८-३४

अंक--१८ बुधवार, १० दिसम्बर, १६५८

मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के दसवें वार्षिक दिवस की ओर निर्देश १६३५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७७६ से ७७६, ८०७, ७८० से ७८७ १६३६--५८

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७८८ से ८०६ और ८०८ से ८३८ . १६५८--७८

अतारांकित प्रश्न संख्या ११६८ से १२८० . . . १६७६--२०१५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . २०१५-१६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन--
बत्तीसवां प्रतिवेदन . . २०१६

समिति के लिये निर्वाचन--

विश्वभारती की संसद २०१७

फार्मेसी (संशोधन) विधेयक--पुरस्थापित २०१७

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) मान्यीकरण विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव २०१८--२८

खण्ड १ से ५ २०२८

पारित करने का प्रस्ताव . २०२८--३०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--
विचार करने का प्रस्ताव . . . २०३०--५३

दैनिक संक्षेपिका २०५४--६१

अंक--१९, गुरुवार, ११ दिसम्बर, १९५८ पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८३९ से ८४३, ८४६ से ८५१ और ८५४ २०६३--८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८४४, ८४५, ८५२, ८५३ और ८५५ से ८८९ . २०८५--२१०२

अतारांकित प्रश्न संख्या १२८२ से १२९९ और १३०१ से १३४२ २१०२--२८

सभा पटल पर रखे गये पत्र २१२९

तारांकित प्रश्न संख्या ४९७ के उत्तर को शुद्ध करने के लिए वक्तव्य २१२९-३०

जानकारी का प्रश्न . . . २१३०

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . २१३०--३२

संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . . २१३२--५४

खण्ड २ से ८ और १ २१५४--६१

पारित करने का प्रस्ताव २१६१-६२

अतिरिक्त अनुदानों की मांगें (रेलवे) १९५५-५६ और १९५६-५७ २१६५--७३

दैनिक संक्षेपिका . . . २१७५--८०

अंक --२० शुक्रवार, १२ दिसम्बर, १९५८

प्रश्नो के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९० से ८९५, ८९९, ९०१, ९०२, ९०४, ९२६, ९०५, ९०६ और ९०८ . . . . २१८१--२२०३

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ८९६ से ८९८, ९००, ९०३, ९०७, ९०९ से ९२५ और ९२७ से ९३३ . . . . २२०३--१५

अतारांकित प्रश्न संख्या १३४३-१४२३ और १४२५ से १४६३ . २२१६--७१

सभा पटल पर रखे गये पत्र २२७१

विशेषाधिकार समिति--

छठा और सातवां प्रतिवेदन . २२७२

राज्य सभा से सन्देश २२७२-७३

सभा का कार्य . . २२७३

विधेयक पुरस्थापित २२७३-७४

विदेशी विनिमय विनियमन (संशोधन) विधेयक

चलचित्र (संशोधन) विधेयक

दिल्ली किराया नियंत्रण विधेयक—— पृष्ठ

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . २२७४—९३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——

बत्तीसवां प्रतिवेदन . . . . . २२९३—९४

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक पुरस्थापित . . . . २२९४—९५

(१) श्री राम कृष्ण का औद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक (धारा १५ का संशोधन)।

(२) श्री राम कृष्ण का जांच आयोग (संशोधन) विधेयक (धारा ८ का संशोधन)।

(३) श्री राम कृष्ण का न्यूनतम मजूरी (संशोधन) विधेयक (अनुसूची का संशोधन)

(४) श्री राजेन्द्र सिंह का संविधान (संशोधन) विधेयक (प्रस्तावना का संशोधन तथा अनुच्छेद ३८ का प्रतिस्थापना)

(५) श्री श्रीनारायण दास का संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद १३६, २२६, २२७ २२८ और ३२९ का संशोधन)

सिख गुरुद्वारा विधेयक——

परिचालित करन का प्रस्ताव . . . . २२९६—२३१२

संसदीय विशेषाधिकार विधेयक——

विचार करने का प्रस्ताव २३१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . २३१३—२०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

लोक-सभा

सोमवार, १ दिसम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अमरीका और जापान में अनाज को गोदामों में रखने के तरीके

†*३९२. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४६६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्रालय के उस सरकारी दल ने, जो अमरीका और जापान में अनाज को गोदामों में रखने के तरीकों का अध्ययन करने के लिये गया था, सरकार को अपना प्रतिवेदन दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका परीक्षण किया गया है; और

(ग) उन्होंने किस प्रकार की सिफारिशें की हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस) :** (क) से (ग). यह दल अमरीका के कुछ गेहूं उत्पादकों की संस्थाओं के नियंत्रण पर भेजा गया था जो हमें अमरीका में गेहूं की वसूली और इसकी वस्तुयें बनाने के तरीकों से परिचित कराना चाहते थे और उसकी किस्में और स्तर आदि के बारे में हमारे सुझाव, यदि कोई हों, जानना चाहते थे। इस दल को भारत सरकार ने कोई विशेष सिफारिशें देने के लिये नहीं भेजा था ?

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या सरकार ने हमारे अनाज को गोदामों में रखने के तरीकों का मानवीकरण करने और इसके अभाव में होने वाली क्षति को न्यूनतम करने के लिये कोई प्रयत्न किया है ?

†**श्री अ० म० थामस :** अनाज स्टोर करने के तरीके हमें अपने देश की परिस्थितियों के अनुसार अपनाने हैं क्योंकि अमरीका की परिस्थितियां भारत से अलग हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** स्टोर व्यवस्था में सुधार करने के लिये भारत सरकार कौन से नये तरीके अपना रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** पुराने ढंग के गोदामों के अतिरिक्त हमने पूर्व निर्मित ढांचों और 'सिलोज' की भी व्यवस्था की है। हाल ही में 'सिलो' ढंग के कई गोदाम बनाये गये हैं।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** भांडागार निगमों की भी स्थापना की गई है।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या इस दल ने भण्डारों में और खेती बाड़ी में रासायनिक पदार्थों के प्रयोग से होने वाली हानि का भी अध्ययन किया जैसा कि अमरीका में सामान्यतः यह महसूस किया गया है?

†**श्री अ० म० थामस :** आशा है कि वह दल प्रतिवेदन नहीं तो अपनी विदेश यात्रा में उन्होंने जो अनुभव प्राप्त किये उनका एक विस्तृत ब्यौरा अवश्य देगा। अभी उन्होंने एक प्रारम्भिक प्रतिवेदन में यह बताया है कि वे किन-किन स्थानों पर गये और वहां क्या-क्या देखा। शायद वे इस पहलू पर भी कुछ प्रकाश डालें जिसका उल्लेख माननीय सदस्य किया है।

†**श्री बर्मन :** गत तीन वर्ष में भंडारों में अनाज आदि के खराब हो जाने के कारण कितनी क्षति हुई और क्या यह प्रयत्न किया गया था कि क्षति कम से कम हो?

†**श्री अ० म० थामस :** मेरे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं परन्तु अन्य देशों की तुलना में हमारी क्षति कम थी।

†**श्री तिरुमल राव :** क्या माननीय मंत्री उस दल के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखेंगे?

†**श्री अ० म० थामस :** जब वह दल प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगा तब सरकार उसे सभा-पटल पर रखने के बारे में विचार करेगी।

†**श्री जगन्नाथ राव :** क्या गेहूं तैयार करने के बारे में सरकार को इस प्रतिवेदन से लाभ हुआ है।

†**श्री अ० म० थामस :** मंत्रालय के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने इन सब बातों का अध्ययन किया है और उनके अनुभव से मंत्रालय को अवश्य लाभ होगा।

†**श्री दामानी :** भंडारों की वर्तमान क्षमता क्या है और द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक यह कितनी और बढ़ जायेगी?

†**श्री अ० म० थामस :** इसके लिये एक अलग प्रश्न पूछा जाये, वैसे हमारा लक्ष्य २० लाख टन है और हमने हाल में काफी उन्नति भी की है।

†**श्री वें० प० नायर :** इस दल में कितने वैज्ञानिक थे और कितने प्रशासकीय पदाधिकारी थे?

†**श्री अ० म० थामस :** खाद्य के डायरेक्टर जनरल इस दल के नेता थे। डा० पिंगले डायरेक्टर स्टोरेज इंस्पैक्शन —जो कि टैक्नीकल कर्मचारी हैं; श्री बी० मुकर्जी एडीशनल

---

†मूल अंग्रेजी में

रिजनल डायरेक्टर, खाद्य—कलकत्ता और एक अन्य व्यक्ति श्री वीरामनी जो आटे की मिलों के मालिकों के प्रतिनिधि थे।

†श्री अ० चं० गुह : क्या यह दल टैक्नीकल सहकारिता योजना के आधार पर भेजा गया था ? क्या इस पर कोई विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी और यदि हां, तो कितनी ?

†श्री अ० म० थामस : खाने पीने और अन्य विविध खर्चों पर केवल १००० रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च हुई थी ।

†श्री रंगा : क्या स्टोरेज के डायरेक्टर जनरल वही व्यक्ति हैं जो गत छः सात वर्ष से इसके भार साधक हैं क्योंकि नियंत्रण के दिनों में भंडारों में होने वाली क्षति को कम करने के बारे में सरकार को मंत्रणा देने के लिये कई समितियां नियुक्त की गई थीं ? क्या उन्हें वे मालूम नहीं थीं ?

†श्री अ० म० थामस : जी हां, हम ने उन से लाभ उठाया है और उन प्रतिवेदनों पर विचार किया है ।

†श्री दी० चं० शर्मा : जब भारत सरकार प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों का परीक्षण कर लेगी तब वे सिफारिशें किसानों और खेती करने वाले अन्य व्यक्तियों तक कैसे पहुंचाई जायेंगी ?

†श्री अ० म० थामस : हम ने भांडागार कार्यक्रम निश्चित किया है । इस के अतिरिक्त हमारी विस्तार सेवा की इस बारे में कुछ मंत्रणा देगी ।

दक्षिणी 'जोन' के लिये वन गवेषणा केन्द्र

†*३९४. { श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिणी 'जोन' के लिये एक वन गवेषणा केन्द्र की स्थापना करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) इस केन्द्र के लिये कितनी राशि अलग रखी गई है ?

†सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

दक्षिण में एक वन गवेषणा केन्द्र स्थापित करने की एक योजना, जिस पर २५ लाख रुपये खर्च होंगे, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल कर ली गई है । इस में दो यूनिट होंगे एक बंगलौर में और दूसरा कोयम्बटूर में और दोनों एक दूसरे के पूरक होंगे । इन

†मूल अंग्रेजी में

दोनों यूनिटों पर वन गवेषणा संस्था, देहरादून के अध्यक्ष का प्रशासकीय नियंत्रण रहेगा। बंगलौर यूनिट सन्दल की लकड़ी के 'स्पाइक' रोगों सम्बन्धी गवेषणा, जिस की अभी तक ठीक प्रकार गवेषणा नहीं की गई है? के अतिरिक्त वनों के प्रयोगों के बारे में गवेषणा करेंगे। कोयम्बटूर यूनिट वन विकास में रोगों आदि की गवेषणा करेगा। १९५६ में मैसूर सरकार की वन गवेषणा प्रयोगशाला को प्राप्त करके यह कार्य आरम्भ कर दिया गया है।

(ग) २५ लाख रुपये।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह प्रयोगशाला स्थायी तौर पर हासिल की गई है या कि अस्थायी तौर पर ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : मेरे विचार में स्थायी तौर पर ही ली गई है।

†**श्री दासप्पा** : क्या उन पदाधिकारियों को जो अब केन्द्रीय सरकार के अधीन आ गये हैं, के वेतनक्रमों और नियुक्ति की शर्तों के बारे में अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये।

†**श्री दासप्पा** : इस बात को देखते हुए कि बंगलौर प्रयोगशाला में चन्दन की लकड़ी के 'स्पाइक' रोग का अनुसन्धान तथा गवेषणा का कार्य किया जाना है क्या वहां 'विरालोजी' का कोई विशेषज्ञ है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : गवेषणा आरम्भ करते समय सक्षम व्यक्तियों को नियुक्त करने का पूरा ध्यान रखा जायेगा।

†**श्री नंजप्पा** : कोयम्बटूर यूनिट को कितनी राशि आवंटित की गई है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : अलग कोई आवंटन नहीं किया गया है। सारी योजना पर २५ लाख रुपये खर्च होंगे। अभी योजना का ब्यौरा मंजूर नहीं किया गया है।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या इस प्रयोगशाला को लेने पर राज्य सरकार को कोई प्रतिकर दिया गया था ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इसके लिये पूर्वसूचना चाहिये। शायद मैसूर सरकार ने कोई प्रतिकर नहीं मांगा है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : कोयम्बटूर यूनिट वन विकास में रोगों आदि सम्बन्धी गवेषणा करेगा। क्या मूंगफली और सुपारी के रोगों की भी गवेषणा की जायेगी जो उस क्षेत्र में बहुत फैले हुए हैं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह वन गवेषणा के लिये है यदि माननीय सदस्य द्वारा उल्लिखित विषय वन गवेषणा में शामिल है तो अवश्य कोई कार्यवाही की जायेगी।

†**श्री वोडयार** : क्या सरकार मलनाद में, जो क्षेत्र कि 'वनों की रानी' कहलाता है। स्थायी तौर पर एक गवेषणा केन्द्र स्थापित करने के लिये कार्यवाही करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†डा० पं० शा० देशमुख : दो की स्थापना हो जाने क बाद तीसरे के बारे में विचार किया जायेगा।

†श्री आचार : मुख्यतः कौन सा गवेषणा कार्य किया जायेगा ?

†डा० पं० शा० देशमुख : विभिन्न समस्याओं की किस प्रकार गवेषणा होगी यह बताना तो बहुत कठिन है ।

†श्री तंगामणि : बंगलौर और कोयम्बटूर के दो केन्द्रों के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना में २५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । कोयम्बटूर में गवेषणा केन्द्र में काम कब आरम्भ हो जायेगा ?

†डा० पं० शा० देशमुख : : कार्य शीघ्र ही शुरू होने की सम्भावना है ।

†श्री वें० प० नायर : दक्षिण में २४ लाख रुपये से दो गवेषणा केन्द्रों की स्थापना की जा रही है परन्तु ये दोनों केन्द्र केरल से बाहर क्यों खोले गये हैं जब कि केरल में वन सब से अधिक हैं ।

†डा० पं० शा० देशमुख : देहरादून की तुलना में वहां से केरल निकट है ।

दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर सैक्शन का विद्युतीकरण

+
†*३९५. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या रेलवे मंत्री २३ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा–खड़गपुर सैक्शन के विद्युतीकरण के लिये क्या प्रारम्भिक कार्यवाही की गई है ; और

(ख) क्या कोई ऐसी प्रस्थापना की गई थी कि १९५७–५८ और १९५८–५९ में इस सैक्शन के स्टेशनों पर बिजली लगाई जाये ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे के अन्य सैक्शनों के साथ-साथ इस सैक्शन के विद्युतीकरण का सर्वेक्षण कार्य आरम्भ करने का प्राकक्लन हाल ही में स्वीकृत कर दिया गया है ।

(ख) जी हां—

१९५७–५८ में ५ स्टेशन

१९५८–५९ में १ स्टेशन

†श्री स० चं० सामन्त : क्या इस प्रारम्भिक सर्वेक्षण के होने तक सभी विकास कार्य रोक दिये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य यह पूछना चाहते हैं कि क्या इस प्रारम्भिक सर्वेक्षण के कारण अन्य कार्य रोक दिये गये थे ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : कौन से अन्य कार्य ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य इसके लिये एक अलग प्रश्न की पूर्वसूचना दें जिसमें वे विशेष कार्यों के सम्बन्ध में पूछ सकते हैं ?

†**श्री स० चं० सामन्त** : मेरा तात्पर्य विकास कार्यों से है जैसे कि स्टेशनों के सुधार आदि कार्य।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : फिर वही सामान्य प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है ? किस प्रकार का सुधार ? संभवतः माननीय सदस्य कुछ एक स्टेशनों के विद्युतीकरण की ओर संकेत कर रहे हैं ?

†**श्री स० चं० सामन्त** : : मैं ने दक्षिणपूर्व रेलवे के जनरल मैनेजर को कुछ एक विकास कार्यों के सम्बन्ध मे लिखा था। उसके उत्तर में उन्होंने मुझे यह सूचित किया था कि वे कार्य अभी रोक दिये गये हैं क्योंकि इस समय सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मुझे इस बारे में कुछ ज्ञात नहीं कि जनरल मैनेजर ने क्या लिखा है।

†**श्री स० चं० सामन्त** : पश्चिमी बंगाल सरकार के बिजली का ग्रिड मचादा कोलाघाट तथा चक्रटावाट से गुजरना है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन स्टेशनों का विद्युतीकरण कब किया जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जहां तक विद्युतीकरण का सम्बन्ध है, कठिनाई यह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रारम्भ में हमारा यह अनुमान था कि हम स्वयं अपने बिजली के कारखाने स्थापित कर लेंगे। परन्तु बाद में यह निश्चय किया गया कि हमें पश्चिमी बंगाल विद्युत् बोर्ड के ग्रिड से ही बिजली लेनी चाहिये। परन्तु अब उनका कहना है कि वे बिजली नहीं दे सकते। यदि वहां से हमें बिजली मिल जाये तो हम उन स्टेशनों का विद्युतीकरण कर सकते हैं। अभी तक केवल दो ही स्टेशनों का विद्युतीकरण किया गया है, शेष १३ स्टेशन रहते हैं। आशा है कि उस लाइन का विद्युतीकरण होते ही उनका भी विद्युतीकरण कर दिया जायेगा।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या बिजली तैयार करने वाले जेनरेटर लगा कर विभिन्न स्टेशनों को बिजली प्रदान की गयी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जैसा कि मैं ने बताया है, जेनरेटर लगाना कोई लाभदायक प्रबन्ध नहीं है। हमें तो लाइन से ही बिजली प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करना पड़ेगा।

रेलवे कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति-लाभ

†*३९७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कितने रेलवे कर्मचारियों को, जिन्हें अवकाश प्राप्त किये ६ मास से अधिक समय हो गया है, अभी तक सेवा-निवृत्ति लाभ नहीं मिले हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इनमें से कितने लोगों के मामले एक वर्ष से अधिक समय से अनिर्णीत अवस्था में पड़े हुए हैं ; और

(ग) उन्हें समय पर अदायगी कर देने के सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क)

भविष्य निधि के मामले . .	२०३४
सेवा निवृत्ति वेतन के मामले .	९३४
(ख) भविष्य निधि के मामले .	१०८४
निवृत्ति वेतन के मामले	४७९

(ग) सेवा नि ृत्ति के बाद एक दम अदायगी का फैसला शीघ्र करने की ृष्टि से, काम को गति देने के लिये रेलवे प्रशासन को पहले ही हिदायतें दे रखी हैं कि किसी पत्री वर्ष में ६ मास उपरान्त सेवा से निवृ त होने वाले सभी कर्मचारियों की सूचियां प्रति मास सहकारी समितियों के खाता पदाधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित अधिकारियों के पास भेज दी जा ें ताकि भविष्य निधि सम्बन्धी खाते बन्द करने आदि का प्रारम्भिक काम पूरा किया जा सके। इसके अलावा हाल ही में रेल े प्रशासन को यह हिदायत जारी की गयी है कि नवम्बर, १९५८ को सभी मामले भुगता देने के मास के रूप में निश्चित किया जाये और तब तक सभी सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारी यथासंभव अधिक से अधिक मामले भुगताने का प्रयत्न करें, विशेषकर एक साल पुराने मामलों को तो अवश्य भुगता दिया जाये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या इस सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है कि इस विलम्ब के क्या क्या कारण हैं ? काम को निपटाने में क्या क्या कठिनाइयां हैं ?

†**श्री शाहनवाज खां** : उसके मुख्य कारण े हैं :— किन्हीं मामलों में सेवा तथा अवकाश सम्बन्धी रिकार्ड पूरे नहीं हैं ; कुछ एक मामलों में भविष्य निधि सम्बन्धी रिकार्ड पूरे नहीं हैं। फिर हमें वाणिज्यिक तथा ऋण वसूली सम्बन्धी बातों पर भी विचार करना पड़ता है, और उस पर भी कुछ समय लग जाता है। कई बार कर्मचारी अपने क्वार्टर खाली करने से इनकार कर देते हैं, उस की देर लग जाती है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : यह तो स्पष्ट है कि ऐसे हजारों मामले हैं जिनमें एक वर्ष से भी अधिक समय हो जाने पर भी अभी तक सेवा निवृत्ति और भविष्य निधि के मामलों का फैसला नहीं किया गया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि कर्मचारियों के सेवा से अवकाश प्राप्त करते ही उनके पत्र तैयार क्यों नहीं कर दिये गये थे ?

†**श्री शाहनवाज खां** : जैसा कि मैं ने बताया है कुछ एक मामलों में कुछ देर लग गयी है। रेलवे के २००० कर्मचारी प्रतिवर्ष सेवा से निवृत्त होते हैं। अब रेलवे मंत्रालय ने यह लक्ष्य निर्धारित किया है कि निवृत्ति प्राप्त करने के दस दिन बाद ही सभी मामलों का निर्णय कर दिया जाये। इस दिशा में हमें पर्याप्त सफलता मिली है।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि कर्मचारियों में इसके कारण कितनी निराशा फैली हुई है, और क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं, जिनकी मृत्यु के उपरान्त उनके निवृत्ति-वेतन का निर्णय किया गया था ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री शाहनवाज खां** : मध्य रेलवे में ६ मास से अधिक अवधि तक पड़े रहे मामलों की संख्या ३० सितम्बर, १९५७ को २३३४ थी और ३० सितम्बर, १९५८ को केवल १०३ थी । अतः यह स्पष्ट है कि अब हम इस दिशा में प्रगति कर रहे हैं।

†**श्री तिरुमल राव** : प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई मामला अधिक से अधिक कितने समय से निलम्बित अवस्था में पड़ा है ?

†**श्री शाहनवाज़ खां** : जैसा कि मैं ने प्रारम्भ में बताया है, कई ऐसे कारण हैं जो कि रेलवे प्रशासन के काबू से बाहर हैं। परन्तु फिर भी हम मामलों को शीघ्रता से निपटाने का प्रयत्न कर रहे हैं ।

†**श्री तिरुमल राव** : मैं ने कारणों के सम्बन्ध में नहीं पूछा था । मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि कितने मामले बहुत समय से अनिर्णीत अवस्था में पड़े हैं, और कोई मामला अधिक से अधिक कितने समय से अनिर्णीत अवस्था में पड़ा है ?

†**श्री शाहनवाज खां** : मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : इस बात का क्या कारण है कि रेलवे कर्मचारियों ने निवृत्ति-वेतन के लिये इच्छा नहीं प्रकट की ? कितने कर्मचारियों ने निवृत्ति-वेतन के लिये इच्छा प्रकट की है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न यहां उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : यह भी एक कारण था कि उन्होंने निवृत्ति-वेतन के लिये इच्छा प्रकट नहीं की ।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : १९५७–५८ में ऐसे कितने कर्मचारी थे जिनकी सेवा निवृत्ति के वेतनों का उनकी मृत्यु के बाद निर्णय किया गया था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उनके पास इस सम्बन्ध में आंकड़े नहीं हैं ।

†**श्री रंगा** : कर्मचारियों की देय राशियां, उस स्थिति में, उनके उत्तराधिकारियों को दी जानी चाहियें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसमें कोई सन्देह नहीं ।

†**श्री रंगा** : परन्तु हमें तो नहीं ज्ञात है। इसीलिये तो हमने यह प्रश्न पूछा है। माननीय मंत्री ने तो प्रश्न का उत्तर ही टाल दिया था, और इसीलिये एक और सदस्य को वही प्रश्न पूछना पड़ा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने उसे और ही प्रकार से समझा था। मैंने यह समझा था कि कितने व्यक्ति निराश ही चल बसे ? वास्तव में भविष्य निधि को कोई भी रोक नहीं सकता। निवृत्ति-वेतन के सम्बन्ध में मुझे ज्ञात नहीं है, परन्तु जहां तक भविष्य निधि का सम्बन्ध है उसे कोई भी नहीं रोक सकता, वह उसके उत्तराधिकारियों को अवश्य अदा की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : वास्तव में, भविष्य निधि भी अदा नहीं की जाती है? और उसके लिये मंत्रालय की अनुमति लेना आवश्यक होता है।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : हमारी तो यही इच्छा रहती है कि इस प्रकार की राशियां शीघ्रातिशीघ्र अदा कर दी जांये। परन्तु, जैसा कि माननीय उपमंत्री ने समझाया है, ऐसे कई मामले हैं जिनका फैसला करना तब तक बड़ा कठिन होता है जब तक कि सभी सम्बन्धित सेक्शनों से कागजात प्राप्त न हो जायें। ऐसे मामलों में भी कर्मचारियों को कुछ अंशों में राशि दे दी जाती है, और कुछ अंशों में राशि इस लिये रख ली जाती है कि यदि उन कर्मचारियों के नाम कोई बकायाराशि हो तो वह काटी जा सके। परन्तु हम इस सम्बन्ध में यही प्रयत्न कर रहे हैं कि इन कठिनाइयों को भी दूर कर दिया जाये और सभी मामलों का दस दिनों में या दो सप्ताहों में ही फैसला कर दिया जाये।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : माननीय मंत्री ने बताया है कि किन्हीं विशेष कारणों से राशियां अदा नहीं की जा सकी हैं। क्या यह सच नहीं है कि इन में से ९० प्रतिशत मामलों में विलम्ब के कारण सरकार की ओर से ही होते हैं; व्यक्तियों की ओर से नहीं? क्या इसका कारण सरकारी प्रशासन की अपूर्णता नहीं है?

†**श्री जगजीवन राम** : नहीं, मैं इस कथन से सहमत नहीं हूं। जिन मामलों के अभी तक निर्णय नहीं हुए हैं उनके कई कारण हैं। कई ऐसे मामले हैं जिनमें सम्बन्धित कर्मचारियों के द्वारा पूरी जानकारी संभरित नहीं की जाती। जहां भी पूरी जानकारी प्राप्त हो जाती है वहां मामलों को शीघ्रता से निपटा दिया जाता है।

†**श्री अ० चं० गुह** : माननीय मंत्री ने उस विशेष प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जिसमें यह पूछा गया था कि क्या कर्मचारी के राशि प्राप्त करने से पहले ही मर जाने पर वह राशि उसके उत्तराधिकारियों को अदा की जाती है या नहीं?

†**श्री जगजीवन राम** : वह राशि उसके उत्तराधिकारियों को अदा कर दी जाती है।

पत्तन और गोदी कर्मचारियों की मांग के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये विशेष कार्य अधिकारी का प्रतिवेदन

†*३९८. **श्री तंगामणि** :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री दशरथ देब :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पुन्नूस :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों की मांगों पर विचार करने के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये विशेष कार्य अधिकारी द्वारा की गयी सिफारिशों को कार्यान्वित करने में अभी तक कहां तक प्रगति हुई है?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : उन सिफारिशों के सम्बन्ध में सरकार का निर्णय २० जुलाई, १९५८ के संकल्प में बताया गया है। सभा-पटल पर एक विवरण रखा गया है जिसमें बताया गया

†मूल अंग्रेजी में

है कि उन निर्णयों को कार्यान्वित करने में कहां तक प्रगति हुई है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६६]**

†**श्री तंगामणि :** इसके पहले दिनांक १६-५-१९५८ के प्रश्न संख्या १५६ के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया कि निवृत्ति-वेतन के लाभ के प्रश्न के बारे में सी०सी० चौबरी समिति की सिफारिश सरकार तब तक स्वीकार नहीं कर सकती जब तक कि द्वितीय वेतन आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हो जाता। क्या उस तारीख के पश्चात सरकार को उसके बारे में कोई पुनरीक्षित विचार प्राप्त हुये थे?

†**श्री राज बहादुर:** मैं नहीं समझता कि तब से कोई ऐसी बात हुई है जिसे देखते हुए हमारे उस समय व्यक्त किये गये विचारों में परिवर्तन की आवश्यकता हो?

†**श्री तंगामणि :** क्रम संख्या १४ मद्रास, बम्बई और कलकत्ता के पत्तनों के लिये एक न्यासकारी मंत्रणा समिति की स्थापना करने के बारे में है। मद्रास के लिये मंत्रणा समिति कब तक बनाई जायेगी?

†**श्री राज बहादुर:** निर्णय, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के तीन स्थायी बोर्डों के बारे में लागू होता है। बम्बई पत्तन न्यास ने पहले ही एक मंत्रणा समिति की स्थापना कर दी थी और मद्रास एवं कलकत्ता के लिये भी शीघ्र ही समिति की स्थापना होने की आशा है। मामला नवम्बर, १९५८ के द्वितीय अर्द्ध में पत्तन न्यास को भेजा जा चुका है।

†**श्री स० म० बनर्जी :** विवरण में २९ निर्णय दिखाये गये हैं जिनमें से वे केवल ८ में लागू किये गये हैं; अब शेष २१ निर्णयों का क्या होने जा रहा है? कार्यान्वित करने के लिये अन्य निर्णय कब किये जाने वाले हैं?

†**श्री राज बहादुर:** वास्तव में कार्यान्वित किये गये निर्णयों के बारे में मेरा अनुमान माननीय सदस्य की अपेक्षा अधिक आशाजनक है। यदि हिसाब लगाया जाये तो उनमें से अधिकांश सिफारिशें कार्यान्वित की जा चुकी हैं और उनमें से कुछ आधों से अधिक कार्यान्वित की जा चुकी है तथा जो कुछ कारण बताये जा चुके हैं उनकी वजह से विचाराधीन हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी :** वेतनक्रमों में आवश्यक परिवर्तन करना और बड़े पत्तनों के तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के वर्गीकरण और श्रेणी विभाजन करने के लिये समिति स्थापित करने के बारे में स्थिति यह बताई गई है कि २३ अगस्त, १९५८ को एक समिति बनाई गई थी जो काम कर रही है। यह कार्य कब तक पूरा होने वाला है और इस समिति में कौन-कौन लोग हैं?

†**श्री राज बहादुर:** समिति की रचना एक नियमित संकल्प के द्वारा पहले ही बताई जा चुकी है जो मैं माननीय सदस्य के हित की दृष्टि से उद्धृत कर रहा हूं। समिति के सभापति श्री फ० जीजीभाई हैं, श्री एस० नानुजुडिया, श्री के० एम० पालेकर तथा पत्तन के एक प्रतिनिधि की पत्तन प्राधिकार द्वारा नियुक्ति की जाने के कारण जांच की जा रही है तथा श्रमिकों के तीन प्रतिनिधि, श्री जी० एच० काले, श्री माखन चटर्जी तथा श्री काली मुखर्जी हैं।

यह घोषणा २५ अगस्त, १९५८ के एक असाधारण गजट में प्रकाशित की गई थी। जैसा कि माननीय सदस्य विवरण में देखेंगे, पत्तन प्राधिकार से तृतीय और चतुर्थ श्रेणी

---

†मूल अंग्रेजी में

के मजदूरों के वर्गीकरण और उनका श्रेणी विभाजन करने की योजनायें समाप्त कर देने के लिये कह दिया गया है। उसके पश्चात श्रमिकों के प्रतिनिधियों से उनके विचार मांगे जायेंगे। पत्तन-प्राधिकार द्वारा प्रस्तुत विचारों और योजनाओं पर विचार करने में समिति को कुछ समय लगेगा। आशा की जाती है कि समिति अप्रैल, १९५९ से पहले अपना प्रतिवेदन नहीं प्रस्तुत कर सकेगी।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :** पहले यह कहा गया था कि पत्तन प्राधिकार अपनी सिफारिशें समिति को प्रस्तुत करने से पहले संबंधित संघों से परामर्श करेगा। क्या समिति को प्रस्तुत करने से पहले संघों से परामर्श लिया गया है?

†**श्री राज बहादुर** : मैं समझता हूं कि समिति ने पत्तन प्राधिकार से २० सितम्बर तक अपनी योजनाएं प्रस्तुत कर देने के लिये कहा है। मैं नहीं समझता कि इस कार्य के लिये श्रमिक संघों से परामर्श लेने के बारे में पत्तन प्राधिकार सहमत है क्योंकि श्रमिक संघों के प्रतिनिधियों को अपने-अपने दृष्टिकोण अथवा आपत्तियां प्रस्तुत करने का उस समय समय मिलेगा जब कि उन योजनाओं पर विचार किया जायेगा।

†**श्री त्यागी :** क्या इन मजदूरों को प्रतिदिन कोई निर्धारित कार्य करना पड़ता है?

†**श्री राज बहादुर :** जहां कहीं काम के अनुसार मजूरी दी जाती है, वहां प्रतिदिन कुछ निश्चित काम रहता है किन्तु जहां मजूरी की यह व्यवस्था नहीं है वहां ऐसा नहीं होता।

†**श्री त्यागी :** क्या सरकार का विचार इन मजदूरों के लिये कुछ काम निर्धारित कर देने का है?

†**श्री राज बहादुर :** यह मामला पत्तनों की कार्य कुशलता में सुधार करने का है। पत्तन से माल की निकासी की बराबर जांच की जा रही है। मैं ठीक-ठीक नहीं बता सकता कि किन-किन मदों अथवा किस प्रकार से ऐसा किया जा सकता है अथवा क्या उन सभी के बारे में ऐसा करना संभव होगा। हमारी उस पर निगाह है, यह बड़ी जरूरी चीज है।

†**श्री तंगामणि :** क्या चौधरी समिति द्वारा जिन वेतन क्रमों की सिफारिश की गई है, वे कोचीन विशाखापटनम और कांदला के पत्तनों में लागू कर दिये गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि पत्तन प्राधिकार द्वारा किये गये संविदा में 'उचित मजूरी' खंड सभी बड़े पत्तनों में अन्तिम रूप से लागू करने के बारे में निर्णय कर लिया गया है?

†**श्री राज बहादुर :** प्रश्न स्पष्ट नहीं जान पड़ता। विवरण के पहले ही मद में हमने इस प्रयोजन के लिये एक समिति नियुक्त करने की बात कही है। कुछ वेतन क्रम अस्थायी रूप से अपना लिये गये हैं जिनका वर्गीकरण और श्रेणी विभाजन किया जायेगा। मैं नहीं समझता कि चौधरी समिति ने जो वेतन देने की सिफारिश की है जो अधूरी चीज है, कार्यान्वित करने से इस बारे में स्थिति स्पष्ट हो जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तंगामणि** : संविदा के बारे में प्रश्न के दूसरे भाग के संबंध में प्रश्न यह है कि क्या भारत के तीनों बड़े पत्तनों में जब ठेकेदार मजदूरों को काम में लगाते हैं तो उचित मजूरी का खण्ड भी शामलि कर लिया जाता है ?

†**श्री राज बहादुर** : जैसा कि विवरण से पता लगेगा उसे ध्यान में रखा जाता है ।

खाद्यान्नों का जब्त किया जाना

†३९९. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री श्रीनारायण दास :
श्री तंगामणि :
श्री राम कृष्ण :
श्री सरजू पांडे :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा इस वर्ष अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जमा करने वालों और व्यापारियों के पास से कितना खाद्यान्न जब्त किया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : मांगी गई जानकारी राज्य सरकारों से एकत्र की जा रही है जो प्राप्त हो जाने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

†**श्री स० म० बनर्जी** : माननीय उपमंत्री के उत्तर से जान पड़ता है कि आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। विभिन्न राज्यों में कितने व्यक्तियों पर अभियोग चलाया गया और क्या मंत्रालय को वर्तमान अधिनियम के बारे में कोई जानकारी है ?

†**श्री अ० म० थामस** : उनके बारे में हमारे पास विस्तृत जानकारी नहीं है। यदि अलग से प्रश्न पूछा गया तो हम वह सूचना देंगे ।

†**श्री बसुमतारी** : क्या यह सच है कि आसाम राज्य में चावल कूटने की मिलों के मालिक ही चावल इकट्ठे करने वाले हैं ?

†**श्री अ० म० थामस** : आसाम में अनधिकृत रूप से बेचने वालों के पास से लगभग २१५४ मन 'साली' धान, ११,७२८ मन 'आस' धान तथा ४६४ मन आस चावल जब्त किये गये हैं। आसाम से हमें यह सूचना मिली है ।

†**श्री बसुमतारी:** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। मैं यह जानना चाहता था कि क्या आसाम में चावल की मिलों के मालिक ही खाद्यान्नों के मालिक हैं।

†**श्री अ० म० थामस** : मैं प्रश्न नहीं समझ सका ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि क्या चावल कूटने की मिलों के मालिक ही इकट्ठे करने वाले हैं। क्या माननीय उपमंत्री को इसकी जानकारी है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री अ० म० थामस** : हमें यह जानकारी नहीं है। जब्त की गई मात्रा और मांगी गई मात्रा के बारे में हमने राज्य सरकार से सूचना मांगी है। चूंकि हमारे पास मांगी गई जानकारी नहीं है, इस कारण हमने समय मांगा है।

†**श्री जगन्नाथ राव** : क्या दिल्ली क्षेत्र में अन्न जमा करने और उसे चोरी-छिपे लाने ले जाने के संबंध में किसी पर अभियोग चलाया गया है?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : दिल्ली में काफी लोगों पर मुकदमें चलाये गये हैं।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या यह सच है कि जब्ती के कारण खाद्यान्नों को छिपा दिया गया और कुछ स्थानों पर गेहूं का भाव ३५ रुपये प्रतिमन तक हो गया?

†**श्री अ० प्र० जैन** : इसके बारे में भिन्न-भिन्न मत हैं। कुछ लोगों का कहना यह है कि इन कार्यों के कारण खाद्यान्नों के स्टाक छिपा दिये गये और कुछ का कहना यह है कि जब स्टाकिस्ट जमा करने में लाभ नहीं देखते तो मूल्य गिर जाते हैं?

†**श्री सिंहासन सिंह** : अनाज के थोक बाजार को अपने नियंत्रण में ले लेने के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद् के संकल्प पर अब तक सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

†**श्री अ० प्र० जैन** : प्रश्न की जांच की जा रही है।

†**श्री विमल घोष** : इसके बारे में एक अलग प्रश्न है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री बड़े सजग हैं।

†**श्री तंगामणि** : क्या राज्य व्यापार की राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णयानुसार सरकार का विचार अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन मद्रास में स्टाक खरीदने का है?

†**श्री अ० प्र० जैन** : जहां तक राज्य व्यापार के प्रश्न का संबंध है, मैं कह चुका हूं कि इसकी जांच की जा रही है। यह एक गंभीर समस्या है जिसके बारे में दूरलक्षी निर्णय पर पहुंचना होगा।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : क्या यह सच है कि केन्द्र ने अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन की जाने वाली कार्यवाही के बारे में इस वर्ष काफी देर से सलाह दी थी, यदि ऐसा है, तो वर्ष के मध्य में जब मूल्य चढ़ने लगे थे तो राज्यों से कार्यवाही करने के लिये क्यों नहीं कह दिया गया था?

†**श्री अ० प्र० जैन** । अत्यावश्यक अधिनियम के अधीन अधिकतर शक्तियों को राज्य सरकारें स्वयं लागू करती हैं; इसमें हमें निदेश देने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमने निदेश दिये भी थे तो समय के भीतर ही वैसा कर लिया गया था।

†**श्री सिंहासन सिंह** : क्या राज्य व्यापार के बारे में राष्ट्रीय विकास परिषद् का निर्णय मानने के लिये सरकार बाध्य है अथवा यह केवल सिफारिश के रूप में होता है?

†**श्री विमल घोष** : जैसा कि मैं कह चुका हूं, इस बारे में एक अलग प्रश्न है।

†**श्री सिंहासन सिंह** : मेरे प्रश्न का उत्तर दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन** : राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा किये गये प्रत्येक निर्णय को सरकार बड़े आदर की दृष्टि से देखती है।

†**श्री स० म० बनर्जी** : अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने के साथ-साथ खाद्यान्न संग्रह को रोकने के लिये क्या अन्य उपाय किये जा रहे हैं?

†**श्री अ० प्र० जैन** : अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम स्वयं तथा बहुत बड़ी संख्या में उसके उपबन्ध हमारे मेज़बान के रूप हैं। जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही होंगे कि एक अपील भी की गई थी।

केरल में केन्द्रीय चावल गोदाम

†*४०१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल में स्थित केन्द्रीय डिपो में १ अक्टूबर, १९५८ को चावल का कितना स्टाक था ; और

(ख) ऐसे डिपो से पिछले एक वर्ष में राज्य के बाहर के स्थानों को कितनी मात्रा ले जाई गई ?

†**खाद्य तथा कृषि उपमंत्री (श्री अ० म० थामस)** : (क) लगभग २१,२०० टन।

(ख) केरल के केन्द्रीय गोदामों से ३० सितम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाले बारह महीनों में लगभग ८,७०० टन चावल ले जाया गया था। इसी काल में लगभग ९६,४०० टन चावल इन डिपो में स्टाक में था।

मद्रास-अरकोणम् सेक्शन का विद्युतीकरण

+

†*४०४. { **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** :
श्री नागी रेड्डी:

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मद्रास-अरकोणम्-सेक्शन के विद्युतीकरण के लिये कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) प्रारम्भिक सर्वेक्षण १९५६-५७ में किया गया था।

(ख) उस समय यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस सेक्शन का विद्युतीकरण करना वित्तीय दृष्टि से संगत नहीं होगा। किन्तु क्योंकि अब इस सेक्शन पर बहुत अधिक औद्योगिक विकास हो गया है इसलिये इस सेक्शन पर एक नया सर्वेक्षण करने के लिये आदेश जारी किये गये हैं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : यह सर्वेक्षण कब प्रारम्भ होगा और कितने समय में पूरा होगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यह आदेश पिछले महीने जारी किये गये थे । अनुमान है यह कार्य शीघ्र शुरू हो जायेगा।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : मद्रास-विलुपुरम् लाइन के विद्युतीकरण में कितनी प्रगति हुई है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न यहां कैसे उत्पन्न होता है ?

†**श्री वें० प० नायर** : दोनों में मद्रास सामान्य है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्योंकि दोनों लाइनें मद्रास से आरम्भ होती हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : योजना आयोग ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ताम्ब्रम से चिंगलेपुट तक लाइन का विद्युतीकरण करने का निश्चय किया है। यह ताम्ब्रम से विलुपुरम तक की लाइन के विद्युतीकरण करने की योजना का एक भाग है।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या मद्रास–अरकोणम लाइन के विद्युतीकरण में मद्रास सेंट्रल स्टेशन का नवनिर्माण भी शामिल है जहां पर कि आजकल प्लेटफार्मों पर काफी भीड़-भाड़ जमा रहती है।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : वास्तव में मद्रास सेंट्रल स्टेशन की प्लेटफार्मों की क्षमता की समस्या एक बड़ी भारी समस्या है । वहां पर केवल चार प्लेटफार्म हैं। हम वहां पर कम से कम १० प्लेटफार्म बनाना चाहते हैं ताकि वहां से गाड़ियां शीघ्रता से आ जा सकें। हम नवनिर्माण के कार्यक्रम को सिलसिले वार भागों में बांटना चाहते हैं।

†**श्री नरसिंहन्** : क्या कोई अन्तिम निश्चय करने से पहले मद्रास–विलुपुरम तथा मद्रास–अरकोणम लाइनों की यातायात सबंधी आवश्यकताओं का तुलनात्मक अध्ययनकिया जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : कदाचित मेरे मित्र यह सोच रहे हैं कि दोनों में कोई प्रतिस्पर्धा है। यह दोनों लाइनें एक दूसरे की पूरक लाइनें हैं । इसलिये यह प्रश्न ही नहीं उत्पन्न होता कि किस लाइन पर कम यातायात है और किस पर अधिक। वैसे मद्रास-अरकोणम लाइन पर यातायात की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक है।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : मैं यह कहना चाहता हूं कि दोनों सेक्शनों में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। ताम्ब्रम से विलुपुरम तक के विद्युतीकरण की पहले स्वीकृति दी जा चुकी है और वहां पर कार्य भी शुरू हो चुका है।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मद्रास–अरकोणम सेक्शन पर पुनर्सर्वेक्षण कराया जाने वाला है, क्या सरकार ने इस बीच में इस सेक्शन पर यातायात की अव्यवस्था इत्यादि को हल करने के लिये कोई उपाय सोचे हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : वर्तमान क्षमता पर्याप्त है। अभी तक वाष्प इंजन भी बड़ा अच्छा कार्य कर रहे हैं। किन्तु अब हम सब स्थानों पर विद्युतीकरण करना चाहते हैं। इसालये इस सेक्शन पर सिविल निर्माण कार्य शुरू कर दिय गये हैं।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : इस बात को देखते हुए कि इस लाइन पर चलने वाले ज्यादातर इंजन पुराने हैं क्या कोई नये इंजन खरीदने का इरादा है?

†**श्री सें० वें० राम स्वामी** : मैं इस बात को स्वीकार नहीं करता कि वे बहुत पुराने हैं?

श्रीमती पार्वती कृष्णन् : मैं आंकड़े दे सकती हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका तात्पर्य था कि यद्यपि वे पुराने हैं फिर भी वे अच्छे हैं।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : दक्षिण भारत में बड़ी लाइन पर कोई नये इंजन नहीं भेजे गये है। दो तीन साल तक उनका उत्तर भारत में उपयोग करने के बाद उनको दक्षिण की रेलों पर भेजा जाता है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मूल प्रश्न मद्रास-अरकोणम् लाइन से संबंध रखता है। अब माननीय सदस्या विद्युतीकरण की बजाय बाष्प इजनों का प्रश्न उठा रही हैं।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : यह दोनों चीजें परस्पर संबंधित है। यातायात की भीड़ को-कम करने के लिये ही विद्युतीकरण की योजनाएं बनाई जा रही है।

मेसर्स बर्ड एण्ड कंपनी

*४०५. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या **रेलवे मंत्री** ५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५३९ के भाग (ग) और (घ). के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के सेवामुक्त सदस्य किस तारीख से मेसर्स बर्ड एण्ड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में सम्मिलित हुए हैं ;

(ख) सकरीगलीघाट और मनीहारीघाट में काम करने वाले वर्तमान हेंडलिंग ठेकेदारों की अनुमोदित सेवाओं को समाप्त करने के लिये रेलवे ने उनको किस तारीख को नोटिस भेजे थे ; और

(ग) उक्त घाटों का हेंडलिंग का ठेका किस तारीख को मेसर्स बर्ड एण्ड कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड को दिया गया था?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) रेलवे बोर्ड के सदस्य १ अगस्त १९५५ को बोर्ड से सेवामुक्त हुए थे। उन्होंने सरकार की अनुमति से इसी तारीख को मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी में सेवा भार सम्भाला।

(ख) ये नोटिस क्रमशः २७-९-५५ और २९-९-५५ को जारी किये गये थे।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) नया ठेका देने के लिये टेंडर नोटिस १९५६ के प्रारम्भ में जारी किये गये थे। यह ठेका न्यूनतम टेंडर देने वाले को २७-४-५६ को दिया गया। इस ठेकेदार ने १-५- १९५६ से काम शुरू किया।

†**श्री वि० च० शुक्ल:** क्या बर्ड एण्ड कम्पनी का भारतीय रेलों से पहले से सी एक बड़े पैमाने पर कारोबार चल रहा था। यदि हां, तो सरकार ने रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व चेयरमेन को सेवामुक्ति के तुरन्त पश्चात् इस कंपनी में सेवा करने की कैसे अनुमति दी?

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवन राम)** : इसमें कोई शक नहीं कि इस कंपनी का रेलवे से बहुत सा लेनदेन होता था। रेलवे का देश की सभी बड़ी फर्मों से लेनदेन चलता रहता है। जहां तक अनुमति का प्रश्न है, ऐसे सरकारी कर्मचारी, जिनको पेंशन नहीं मिलती है, सेवामुक्ति के पश्चात् कहीं पर भी बिना अनुमति के फिर से सेवा कर सकते हैं?

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या यह सच है कि रेलवे के भूतपूर्व चेयरमेन के कंपनी में शामिल होने के बाद इस कंपनी को सकरीगलीघाट और मनीहारीघाट में काम करने के इतने बड़े बड़े ठेके मिले जो कि आज तक वहां पर किसी भी बड़े से बड़े ठेकेदार को नहीं दिये गये थे और कंपनी को इतना भुगतान किया गया है जितना कि पहले कभी नहीं हुआ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं इन आक्षेपों से सहमत नहीं हूं।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : इसमें कोई आक्षेप नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी उन्होंने उत्तर समाप्त नहीं किया है।

†**श्री जगजीवन राम** : बर्ड एण्ड कम्पनी को इस लिये ठेका नहीं दिया गया कि उनके यहां रेलवे का एक भूतपूर्व चेयरमेन काम करता था। इसके लिये टेंडर बुलवाये गये थे और जिसका न्यूमतम टेंडर था उसको ठेका दिया गया है।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : क्या सरकार इस संबंध में एक विवरण लोक सभा के पटल पर रखने की कृपा करेगी कि प्रत्येक टेंडर भेजने वाले ने क्या क्या दाम लिखे थे व उनकी क्या क्या शर्तें थीं तथा सरकार ने किस आधार पर मेसर्स बर्ड एण्ड कंपनी को यह ठेका दिया है?

†**श्री जगजीवन राम** : जी हां। मैं यह सारी सूचना लोक सभा के पटल पर रख दूंगा।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : इसमें उन बातों का भी उल्लेख भी रहना चाहिये जिन के कारण सरकार ने इस कंपनी को यह ठेका दिया है।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं पहले बता चुका हूं कि यह ठेका न्यूनतम मूल्य भेजने वाले को दिया गया है। हमने प्रत्येक टेंडर पर उसकी शर्तों के अनुसार विचार किया है और फिर न्यूनतम मूल्य वाले को ठेका दिया है।

†**श्री तिरुमल राव** : क्या यह सच नहीं है कि अन्य टेंडरों से तुलना करने से यह पता चला है कि सरकार को बर्ड एण्ड कम्पनी को यह ठेका देकर लगभग २ लाख रुपये की हानि हुई है?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री जगजीवन राम** मैं भी यही बात बताने जा रहा था। मैं अभी यह देख रहा था कि टेंडर मंगवाने से पहले वहां किन दरों पर काम होता था और अब किन दरों पर होता है। मैं समझता हूं कि सरकार को नये टेंडर मंगवाने से बड़ा लाभ हुआ है।

†**श्री तिरुमल राव** : यह अधिकारी १–८–१९५५ को सेवामुक्त हुआ और वह उसी दिन इस सार्थ में सम्मिलित हो गये और यह ठेका २७–५–१९५५ को दिया गया। क्या इससे यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इन महाशय ने बर्ड एण्ड कंपनी को यह ठेका दिलाने में अनुचित प्रभाव डाला है।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कितनी राशि का ठेका है ?

†**श्री तिरूमल राव** : यह एक चलते रहने वाला ठेका है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मंत्री महोदय से पूछ रहा हूं कि वह यह बताने की कृपा करें कि यह कितनी राशि का ठेका है ताकि मैं निश्चय कर सकूं कि क्या मैं इसके बारे में और अनपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दू या न दूं।

†**श्री जगजीवन राम** : यह लगभग ११ लाख से १२ लाख रुपये प्रतिवर्ष का ठेका है।

†**श्री अ० च० गुह** : यह कितने वर्ष तक चलेगा।

†**श्री शाहनवाज खां** : तीन साल तक।

†**श्री रामेश्वर टांटिया** : क्या सरकार ने सक्षम वित्तीय प्राधिकारी से स्वीकृति लेकर यह टेंडर स्वीकार किया है ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं समझता हूं सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की गई होंगी।

†**श्री त्यागी** : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जिस दिन उन्होंने नौकरी छोड़ी उसी दिन वह इस सार्थ में शामिल हो गये यह सन्देह स्वाभाविक ही है कि कदाचित यह सज्जन ठेका देने से पहले इस सार्थ के यहां अपनी नौकरी की बातचीत चला रहे थे और शायद उन्होंने अनुचित दवाब डाल कर इसी शर्त पर यह ठेका स्वीकार किया है। इस लिये क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या उनकी नई भर्ती से पहले मंत्री महोदय की सलाह या अनुमति ली गई थी ?

†**अध्यक्ष महोदय** सन्देह क्या है ? क्या आप यह कहना चाहते हैं कि वह अपनी नौकरी के लिये उनसे पहले बात चीत चला रहे थे ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं एक बात और बताना चाहता हूं। यह अधिकारी अपनी सेवावधि के समाप्त होने से कुछ दिन पहले ही सेवामुक्त कर दिये गये थे। सामान्यता वह उस वर्ष के सितम्बर मास में सेवामुक्त होते। किन्तु वह अगस्त में निवृत्त हो गये। तब

---

†मूल अंग्रेजी में

उन्होंने इस कार्य में नौकरी को अनुमति मांगी। सरकार ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस प्रकार वह रिटायर होते ही उधर नौकरी पर लग गये?

कई माननीय सदस्य उठे--

†**अध्यक्ष महोदय**: यह एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। यदि वे लोग जो रेलवे प्रशासन का संचालन करते हैं अपने सेवाकाल के तुरन्त पश्चात् ऐसी जगह पर नौकरी कर लेते हैं जिनके साथ कि उनका लेन देन रहा है तो स्वाभावतः इस सभा को उत्सुकता हो जाती है कि क्या उनका उन फर्मों से कोई अनुचित संबंध तो नहीं रहा है। इसी दृष्टिकोण को सामने रखते हुए श्री त्यागी यह पूछना चाहते हैं कि उनकी पुनः नियुक्ति के संबंध में सरकार के और उनके बीच कितने दिन तक तथा क्या पत्र व्यवहार हुआ? यह काम यकायक नहीं हो सकता। इसमें आक्षेप या आरोप की कोई भावना नहीं।

†**श्री त्यागी**: मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय से भी परामर्श किया गया था?

†**अध्यक्ष महोदय**: जी और यह भी कि उनसे कब परामर्श किया गया।

†**श्री जगजीवन राम**: सेवानिवृत्ति से पहले रेल बोर्ड के चेयरमैन कुछ अर्से से छुट्टी पर थे। उनके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति कार्य भार संभाल रहा था। शायद उस समय पत्र व्यवहार हुआ हो। मैं इस संबंध में अभी ठीक ठीक नहीं बता सकता। मेरे पास इस बात का कोई रिकार्ड नहीं है कि यह पत्र व्यवहार कितने दिन तक हुआ। किन्तु एक बात निश्चित है कि उन्होंने जब रिटायर होने के लिये प्रार्थनापत्र दिया तो उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि वह मेसर्स बर्ड एण्ड को० में सम्मिलित होने के लिये जल्दी रिटायर होना चाहते हैं। मैं इस से अधिक और कुछ नहीं बता सकता।

†**श्री त्यागी**: मैं यह जानना चाहता था.....

†**अध्यक्ष महोदय**: मंत्री महोदय को इसकी जानकारी नहीं कि इस अधिकारी ने कंपनी के साथ अपनी नौकरी के बारे में कब पत्र व्यवहार प्रारम्भ किया।

†**श्री त्यागी**: मैं यह कहना चाहता था कि जब तक कोई सरकारी कर्मचारी सेवा-रत होता है, चाहे वह छुट्टी पर हो या काम पर हो, वह 'प्रापर चैनल' के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से अन्यत्र नौकरी करने के लिये पत्र व्यवहार नहीं कर सकता। क्या इस नियम का पालन किया गया है।

†**श्री अ० च० गुप्त**: यह स्थिति.....

†**श्री सिंहासन सिंह**: क्या यह अधिकारी वहां पर सरकार की अनुमति से गये हैं अथवा अन्यथा?

श्री रंगा उठे--

अध्यक्ष महोदय: श्री रंगा।

†**श्री रंगा**: इस नियम को देखते हुए तथा सरकार द्वारा १९४५ में इस सभा को दिये गये इस आश्वासन के होते हुए कि इस प्रकार के जिम्मेदारी के पद पर काम करने वाले

---

†मूल अंग्रेजी में

किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपनी सेवानिवृत्ति के तुरन्त पश्चात् किसी भी ऐसे समवाय या सार्थ में काम नहीं करने दिया जायेगा जिसके साथ कि उस मंत्रालय या विभाग का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष संबंध रहा हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस अधिकारी को क्यों समय से पहले रिटायर होने और फिर तुरन्त ही बर्ड एण्ड कम्पनी में सेवा करने की अनुमति दी है। मैं समझता हूं कि हमारे पास इस प्रकार का और कोई उदाहरण नहीं है।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं पहले बता चुका हूं कि इनके मामले में सरकार से अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्यों ?

†**श्री जगजीवन राम** : क्योंकि यह नियम केवल उन्हीं अधिकारियों पर लागू होता है जो पेंशन वाले पदों पर काम कर रहे हों। जिन लोगों को केवल भविष्य निधि वगैरह का ही लाभ प्राप्त होता है उन पर यह नियम नहीं लागू होता। वह सेवानिवृत्ति के पश्चात् कहीं भी बिना अनुमति के नौकरी कर सकते हैं। इनको कोई पेंशन नहीं मिलनी थी। यह केवल भविष्यनिधि के हकदार थे। फिर भी यद्यपि इनको अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं थी, तथापि इन्होंने सरकार से अनुमति लेकर इस सार्थ में नोकरी की है।

†**श्री जोकीम आल्वा** : एक प्रश्न श्रीमान्।

†**श्री त्यागी** : यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं समझता हूं कि हमारा प्रशासन नितान्त ढीला पड़ रहा है। इससे हमारा भविष्य बड़ा अंधकारमय बन जायेगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति। शायद सदस्य इस प्रश्न पर सारा दिन लगाना चाहते हैं। मंत्री महोदय ने बता दिया है कि जिस व्यक्ति को पेंशन नहीं मिलती उसे अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं। किन्तु इस मामले में सावधानी स्वरूप उन्होंने अनुमति मांग ली थी। अब इस मामले में और कुछ नहीं रह जाता।

कई माननीय सदस्य उठे--

अध्यक्ष महोदय : श्री तिरूमल राव।

†**श्री जोकीम आल्वा** : श्रीमान् वह तीन प्रश्न पूछ चुके हैं मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

†**श्री तिरुमल राव** : पहले हमें यह बताया गया है कि इस अधिकारी ने अनुमति ली है और अब यह कहा जा रहा है कि अनुमति लेना लाजमी नहीं था। इसमें एक बहुत बड़ी सिद्धान्त की बात निहित है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वह सदस्य भारत सरकार के लिये औद्योगिक पूल बनाने के लिये भर्ती करने के जिम्मेवार अधिकारी थे तथा क्या उनका आयात और निर्यात संवर्द्धन परिषद् तथा अनेक ऐसी संस्थाओं से भी संबंध था जिनके साथ कि मेसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी के बहुत से वित्तीय हित जुड़े हुये थे ?

†**श्री जगजीवन राम** : यह प्रश्न संबंधित मंत्रियों से पूछा जाना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री तिरुमल राव** : यह सारा मसला रेलवे मंत्रालय से पूछे गये प्रश्न से उत्पन्न हुआ है। मैं रेलवे मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इन महाशय का अन्य अर्ध-सरकारी संस्थाओं से भी कोई संबंध है जिसके कारण भी इस सार्थ को और भी लाभ पहुंच सकते हैं।

†**श्री जगजीवन राम** : मैं इस प्रश्न का कैसे उत्तर दे सकता हूं ?

†**श्री जोकीम आल्वा** : क्या सरकार को ज्ञात है कि बर्ड एण्ड कम्पनी भारत में अंग्रेज़ों की सबसे धनाढ्य सार्थ है ? यदि आप उनके कार्यालय में जायें तो आप को सैकड़ों अधिकारियों के साइन बोर्ड मिलेंगे.....

†**अध्यक्ष महोदय** : यह क्या प्रश्न है ?

†**श्री जोकीम आल्वा** : इन अधिकारियों में आधे दर्जन भी भारतीय आधिकारी नहीं हैं। इसलिये रेलवे बोर्ड के भूतपूर्व सदस्य के लिये ऐसी फर्म में नौकरी पाने का प्रलोभन एक भारी प्रलोभन हो सकता था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपका प्रश्न नहीं समझ सका।

†**श्री जोकीम आल्वा** : सरकार को पता होना चाहिये कि बर्ड एण्ड कम्पनी में बहुत कम भारतीय अधिकारी हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कोई उत्तर के योग्य बात नहीं।

†**श्री अ० चं० गुह** : यद्यपि यह लाजमी नहीं था कि यह अधिकारी नौकरी करने से पहले अनुमति लेते किन्तु फिर भी जब उन्होंने उसकी अनुमति मांगी तब क्या सरकार को यह ध्यान नहीं आया कि यह सामान्य प्रचलित आचरण व नीति के विरुद्ध बात होगी। उसने क्या समझ कर उन्हें अनुमति दी ?

†**श्री जगजीवन राम** : मैं पहले बता चुका हूं कि उन्होंने स्वयं अनुमति मांगी थी और उन्होंने स्वयं बताया था कि वह बर्ड एण्ड कम्पनी में नौकरी करने के लिये पहले रिटायर होना चाहते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह जानना चाहते हैं कि जब एक व्यक्ति को पता था कि उसको अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं और फिर भी उसने अनुमति लेना आवश्यक समझा तब मंत्री महोदय ने उसके मामले पर पूरा विचार किये बिना और यह सोचे बिना कि इसका प्रचलित नियमों तथा अन्य व्यक्तियों पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा उन्हें अनुमति देने में इतनी शीघ्रता क्यों की ?

†**श्री जगजीवन राम** : हम केवल इस ठेके से ताल्लुक रखते हैं.....

†**श्री रंगा** : हमें इस ठेके से इतना तालुक नहीं जितना कि इस गलत प्रथा से।

†**श्री त्यागी** : यह एक सर्वथा अनुचित प्रथा बन गई है ?

†**श्री जगजीवन राम** : जैसा कि मैं बता चुका हुं, मैं विभिन्न टेंडर भेजने वाले ठेकेदारों की दरों को दर्शाने वाले एक विवरण सभा पटल पर रख दूंगा। यह टेंडर उचित रीति से

---

†मूल अंग्रेज़ी में

स्वीकार किया गया है। अधिकारी द्वारा उक्त मार्थ में नौकरी करने के मामले का इससे कोई संबंध नहीं।

†**श्री त्यागी** : क्या इसका यह तात्पर्य है कि रेलवे बोर्ड के सभी सदस्य सेवा में रहते हुए अन्य जगहों पर नौकरी करने के लिये जहां चाहे पत्र व्यवहार कर सकते हैं?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य शायद यह जानना चाहते हैं कि क्या सचमुच यह नियम बोर्ड के सदस्यों पर नहीं लागू होता?

†**श्री त्यागी** : उन पर यह नियम तो लागू होता ही होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : नियम लागू होता हो या नहीं मैं इस विषय पर आधे घंटे की चर्चा की अनुमति देना चाहता हूं।

†**श्री सिंहासन सिंह** : इस विषय के लिये दो घंटे दिये जाने चाहियें। आधा घंटा काफी नहीं है।

†**श्री जगजीवन राम** : जहां तक इस नियम का संबंध है, यदि संसद् यह चाहती है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी सेवामुक्ति के पश्चात् अपने विभाग से ताल्लुक रखने वाले सार्थ में नौकरी न करे तो वह ऐसी विधि बना सकती है। तब हम अवश्य उसका पालन करेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय** : सामान्यता ऐसी चर्चा के लिये आधे घंटे की चर्चा का उपबन्ध है; किन्तु यदि कोई सदस्य इस पर प्रस्ताव रखना चाहे तो मैं एक या डेढ़ घंटा तक दे सकता हूं।

†**श्री जगजीवन राम** : श्रीमान्, मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। श्रीमान् मैं इस समस्या पर तभी बोल सकता हूं जब एक सामान्य प्रश्न सामने रखा जाये। इसके लिये केवल रेलवे मंत्रालय सभी बातों का उत्तर नहीं दे सकता। गृह-मंत्रालय को भी इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। इसलिये पहले यह निश्चय होना चाहिये कि इसका उत्तर कौन देगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस विषय से संबंधित सभी मंत्रियों को सूचना भेज दूंगा।

†**श्री फीरोज गांधी** : मैं यह सुझाव देना चाहता हूँ कि रेलवे मंत्रालय को रेलवे बोर्ड के ऐसे सभी सदस्यों का नाम दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखना चाहिये जो कि सेवा निवृत्ति के पश्चात् गैर-सरकारी सार्थों में नौकरी करने लगे हैं तथा वे लोग सेवा निवृत्ति के कितनी देर पश्चात् उन सार्थों में नौकर हुए?

†**श्री जोकीम आल्वा** : मिस्टर बाखले से लेकर सभी सदस्यों के नाम उसमें आने चाहियें।

†**अध्यक्ष महोदय** : अन्य मंत्रालयों के ऐसे कर्मचारियों का भी विवरण आना चाहिये? केवल रेलवे मंत्रालय का ही क्यों? रेलवे मंत्री यदि असुविधाजनक न समझें तो वह १९४७ से लेकर आज तक के चेयरमैनों व सदस्यों के नामों की सूची तैयार करवा सकते हैं जो कि रिटायर होने के बाद प्राइवेट नौकरियों में चले गये और इनमें से कितने लोग मंत्री महोदय की अनुमति से गये हैं। और कितने वैसे ही। यह सूचना सभा को अवश्य दी जानी चाहिये।

---

†मल अंग्रेज़ी में

†**श्री जोकीम आल्वा** : इस वर्तमान महाशय का क्या नाम है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : २० मिनट इस प्रश्न पर चर्चा होती रही और अभी तक आप को उनके नाम की जानकारी नहीं है। आप खुद ढूंढ सकते हैं। अगला प्रश्न।

कलकत्ता-दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग

\+

†४०६. **श्री सुबिमन घोष:**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ते से दुर्गापुर तक एक राष्ट्रीय एक्सप्रेस मार्ग बनाने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी योजना और प्राक्कलन तैयार कर लिए गए हैं ;

(ग) काम के कब प्रारंभ किए जाने तथा समाप्त हो जाने की आशा है ;

(घ) इस काम के लिए कितनी भूमि की आवश्यकता होगी ; और

(ङ) इसका प्रभाव कितनी खेती योग्य भूमि पर पड़ा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य–मंत्री (श्री राजबहादुर)** : (क) जी हां। प्रस्ताव पर प्रारम्भिक जांच की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) से (ङ). ब्यौरेवार सर्वेक्षण के तथा योजना और प्राक्कलन तैयार हो जाने के पश्चात् जानकारी की जा सकती है। इसमें लगभग एक वर्ष लगेगा।

†**श्री सुबिमन घोष** : यह प्रस्तावित सड़क कलकत्ता तथा दुर्गापुर के बीच में ही राष्ट्रीय राजपथ से कितने मील कम होगी ?

†**श्री राज बहादुर** : जितनी मुझे जानकारी है यह उससे २४ मील कम होगी तथा कुल लगभग १०० मील लम्बी होगी।

†**श्री सुबिमन घोष** : इस तथ्य के आधार पर कि प्रस्तावित सड़क का खेती योग्य अधिक भूमि पर प्रभाव पड़ेगा, क्या हमने योजना बनाते समय इसकी जांच नहीं की थी कि कलकत्ता तथा दुर्गापुर के बीच ग्रांन्ड ट्रन्क रोड की चौड़ाई अधिक करने से उद्देश्य पूरा हो जाये ?

†**श्री राज बहादुर** : प्रारंभ में हमने वर्तमान राजपथ को चौड़ा करने के बारे में विचार किया था। परन्तु पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के सुझाव पर नये प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। उस प्रस्ताव से सम्बन्धित विभिन्न मामलों की जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में तपेदिक सम्बन्धी सर्वेक्षण

†४०७. **श्री पाणिग्रही** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फेफड़ों को तपेदिक के राष्ट्रीय सर्वेक्षण के लिए उड़ीसा के कुछ भाग भी लिए गए हैं ; और

(ख) क्या उड़ीसा में तपेदिक रोग का निर्धारण अन्य किसी सूत्र से भी किया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) उड़ीसा के किसी भाग में भी तपेदिक का राष्ट्रीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ख) जी नहीं ?

†**श्री पाणिग्रही** : भारत सरकार के तपेदिक परामर्शदाता ने कहा है कि भारत में प्रतिवर्ष लगभग ५ लाख व्यक्ति तपेदिक से मरते हैं। क्या इन आंकड़ों में उड़ीसा के आंकड़े भी शामिल हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या उड़ीसा के आंकड़े भी शामिल हैं ?

†**श्री करमरकर** : उड़ीसा भी भारत का अंग है।

†**श्री पाणिग्रही** : परन्तु वहां पर कोई सर्वेक्षण नहीं किया गया है ;

†**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि उड़ीसा सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया गया है तो क्या उड़ीसा के आंकड़े इसमें शामिल हैं ?

†**श्री करमरकर** : तपेदिक रोग की घटनाओं की निर्णय करने के लिए नमूना सर्वेक्षण किया गया था तथा ५ लाख के आंकड़ों में उड़ीसा के आंकड़े शामिल हैं।

अल्प सूचना प्रश्न और उत्तर

लेडी हार्डिग अस्पताल में एक स्त्री की मृत्यु

+

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४.** { **श्री नवल प्रभाकर:** / **श्री बाल्मीकी :** / **श्री क० भे० मालवीय :** / **श्री भोला राउत :** / **श्री उमराव सिंह :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेडी हार्डिग अस्पताल नई दिल्ली में, एक हरिजन महिला जच्चाखाने में भरती हुई। ठीक प्रकार से बच्चा हो जाने के पश्चात् २१ नवम्बर १९५८ की रात में जच्चाखाने में पलंग पर गला घोंट कर उसको मार डाला गया ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो मामले की जांच के लिए और आगे क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) २१ नवम्बर, १९५८ की रात को एक हरिजन महिला जिसने हाल में ही बच्चा जना था, पलंग पर गर्दन में कपड़ा बांधे हुए मरी पाई गई।

(ख) आवश्यक जांच के लिए मामला पुलिस को सौंप दिया गया है तथा जांच हो रही है।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस समय उस के परिवार के लोगों को सूचित किया गया और वे आये तो वहां पर जो लोग ड्यूटी पर थे उन्होंने उनको उस महिला से मिलाने से इनकार कर दिया ?

†**श्री करमरकर** : मैं मामले की जांच करूंगा।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस समय पुलिस आई उस समय उसके पति से और जो दूसरे रोगी आस पास में थे उनसे कोई स्टेटमेंट नहीं लेने दिया गया ?

†**श्री करमरकर** : मामले की जांच हो रही है। मैं नहीं जानता पुलिस ने किस के बयानात लिये हैं। इसलिये मैं नहीं बता सकता कि पुलिस ने क्या किया।

श्री नवल प्रभाकर: क्या मैं जान सकता हूं कि पांच बजे जब उस के पति उससे मिलने के लिये गये जब वह अच्छी हालत में थी और साढ़े नौ बजे जब उसकी मृत्यु हुई, इस बीच में उसका नर्सेज से कोई झगड़ा हुआ था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : वह यह नहीं जानते हैं, सब कुछ इन्वेस्टिगेशन में है।

†**श्री करमरकर** : जब उनके पति उनसे मिलने आये उस समय वह ठीक थीं। उनकी मृत्यु लगभग ९ बजे हुई। नर्सों के साथ झगड़े के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। परन्तु मैं सभा को बता देना चाहता हूं कि उन्होंने २१ नवम्बर को प्रातः काल बच्चा जना था। वह ठीक थी तथा सोती पाई गई। ९ बजे जब वार्ड में नर्स गई तो उसने उन्हें मरा पाया। एक कपड़ा उनकी गर्दन के चारों ओर बंधा था। मामला पुलिस को सौंप दिया गया जिसकी जांच हो रही है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। ज्यों ही और तथ्यों का पता लगेगा, मैं उन्हें बता दूंगा।

श्री नवल प्रभाकर : क्या मैं जान सकता हूं कि इस सिलसिले में कोई गिरफ्तार किया गया है ?

†**श्री करमरकर**: जहां तक मुझे मालूम है कोई गिरफ्तार नहीं किया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय**: उसका पति भी नहीं ?

†**श्री करमरकर** : नहीं; पति भी गिरफ्तार नहीं किया गया है।

†**श्री तंगामणि**: उसका गला बच्चा होने के पहले घोंटा गया अथवा बाद में ?

†**श्री करमरकर**: जैसा कि मैंने बताया बच्चा होने के पश्चात् ५.३० बजे शाम तक वह बिल्कुल ठीक थी। रात को ९ बजे वह मर गई।

†**अध्यक्ष महोदय** : बच्चे का गला नहीं घोंटा गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री करमरकर: जी नहीं। केवल महिला, गले के चारों ओर कपड़े की पट्टी द्वारा मरीं।

†**अध्यक्ष महोदय :** बच्चा होने के पश्चात् उनकी मृत्यु हुई ?

†**श्री करमरकर** : जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय :** ऐसा प्रश्न क्यों पूछा गया कि बच्चे होने के पहले मृत्यु हुई अथवा बाद में ?

†**श्री करमरकर :** बच्चा तो वहां पर है।

श्री रा० क० वर्मा : क्या श्रीमान् ने यह जानने की कोशिश की कि वह किस कारण से मरी है ?

श्री करमरकर : सब कुछ जानने की कोशिश की है। मेरे पास और भी इन्फार्मेशन हैं लेकिन मामला अभी सबजुडिस है।

अध्यक्ष महोदय: अभी सब कुछ सब जुडिस है और वहां पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है।

†**श्री ब्रजराज सिंह :** यह सबजुडिस नहीं हो सकता क्योंकि मामला न्यायालय में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: यह सब मालूम है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

दिल्ली तथा रेवाड़ी के बीच गाड़ियों का देर से चलना

† ३९३. **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के मीटर लाइन सेक्शन के दिल्ली तथा रेवाड़ी स्टेशनों के बीच सभी गाड़ियां सामान्यतः देर से चलती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) जी नहीं; परन्तु कुछ गाड़ियां ठीक समय पर नहीं चल रही हैं।

(ख) दिल्ली तथा रेवाड़ी के बीच गाड़ियां मुख्यतः इन कारणों से नहीं चल रही हैं :—

(१) इस वर्ष रेत के भारी तूफानों तथा भारी वर्षा के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर नियंत्रण लगाया गया तथा सुरक्षा के लिये गाड़ियों को पाइलट करना पड़ा ;

(२) खतरे की जंजीर का बार बार खींचा जाना ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(३) दिल्ली–रेवाड़ी सेक्शन पर गाड़ियों के अधिक चलने के कारण, यदि एक गाड़ी देर से चलती है तो उसका असर अन्य गाड़ियों पर पड़ जाता है और सभी गाड़ियां ठीक समय पर नहीं चल पाती हैं ; और

(४) दुर्घटनायें, इंजन तथा इंटरलाकिंग आदि में गड़बड़ी ।

(ग) दिल्ली–रेवाड़ी सेक्शन पर गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिये सभी सम्भव उपाय किये जा रहेहैं । इस सेक्शन पर गाड़ियों के आने जाने में कुछ सुधार भी हो गया है ।

दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था का पुनः ठीक किया जाना

†*३९६. **श्री संगण्णा :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जुलाई १९५८ में भारी बाढ़ के कारण दिल्ली तथा नई दिल्ली में टेलीफोन व्यवस्था के फिर से ठीक किये जाने पर भारी धनराशि व्यय की गई ;

(ख) यदि हां, तो वास्तव में कितना ुक्सान हुआ ;

(ग) क्या हानि के लिये कोई पदाधिकारी किसी तरह जिम्मेदार है ; और

(घ) क्या इस प्रकार की घटनाओं का सामना करने के लिये कुछ उपाय किये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का०पाटिल) :** एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) २०/२१ जुलाई १९५८ की रात में भारी वर्षा के कारण टेलीफोन सेवा नष्ट-भ्रष्ट हो गई । दिल्ली तथा नई-दिल्ली में इसके पुनः स्थापन पर लगभग ४०,००० रुपये व्यय किये गये ।

(ख) बाढ़ का टेलीफोन ग्राहकों के यहां से आनेवाले सभी तारों तथा दूसरे एक्सचेंजों के जंक्शन तारों, प्रकीर्ण सर्किट वाले तारों तथा पी० बी० एक्स तारों सभी पर बुरा प्रभाव पड़ा ।

(ग) और (घ). डाक तथा तार के महानिदेशक ने मामले की जांच के लिये एक जांच समिति नियुक्त की । आशा है कि समिति की सिफारिशें दिसम्बर के मध्य तक मिल जायेंगी । प्रतिवेदन के आधार पर और आगे कार्यवाही की जायेगी ।

सहायकों के दल

†*४००. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २७ सितम्बर १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६५२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि प्रवर्तन दल (सहायक दल) के रबी की फसल के व्यय संघ क्षेत्रों के लिये फैला लिये गये हैं ; और

(ख) संघ क्षेत्रों पर कुल कितना धन व्यय किया गया है तथा प्रतिदल कितना व्यय फैला है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) जी हां, दिल्ली के लिये फैला लिये गये हैं क्योंकि वर्तमान रबी उत्पादन आंदोलन के अन्तर्गत यही संघ क्षेत्र में आता है ।

(ख) अब तक ६९० रुपये अथवा प्रतिदल लगभग २१ रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

देवनूर जलविद्युत् परियोजना

†*४०२. **श्री त० ब० विट्ठलराव :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २० अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ३१७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देवनूर जलविद्युत परियोजना (आंध्र प्रदेश) की जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर काम कब आरम्भ किया जायेगा ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी):** (क) देवनूर जलविद्युत् की प्रारम्भिक जांच पूरी हो चुकी है तथा केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग प्रारम्भिक प्रतिवेदन पर विचार कर रहा है ।

(ख) ब्यौरे वार जांच पूरी हो जाने पर ही योजना प्रारम्भ किये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है ।

कुष्ट निरोधक कार्य

†*४०३. **श्री कोडियान :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुष्ट निरोधक कार्य के लिये अपेक्षित डाक्टरों की संख्या के संबंध में क्या सरकार ने कोई अनुमान लगाया है ;

(ख) इस समय कितने डाक्टर उपलब्ध हैं ; और

(ग) कुष्ट निरोधक कार्य के लिये प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने के संबंध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा समय पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) प्रत्येक वर्ष २०–२० के तीन बैचों में ६० डाक्टरों को प्रशिक्षित करने की योजना सरकार के विचाराधीन है ।

डाक-तार विभाग के भवन और कर्मचारियों के क्वार्टर

*४०८. **श्री भक्त दर्शन :**
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५७–५८ के वित्तीय वर्ष में डाक तथा तार विभाग के भवन-निर्माण-कार्यक्रम के लिये जो धनराशि मंजूर की गई थी , उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाया है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि का उपयोग नहीं किया गया है ;

(ग) उस धनराशि का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इस स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष में इस विषय में अब तक क्या स्थिति रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० क० पाटिल) :** (क) से (ङ). इस संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण

(ग) जी हां ।

(ख) १९५७-५८ में १६६ लाख रुपयों की धनराशि उपयोग में नहीं लायी गयी ।

(ग) इसके उपयोग न करने के कई प्रमुख कारणों में से एक कारण यह था कि वित्त मन्त्रालय ने २०,००० रुपयों से अधिक लागत के सब नये भवनों पर रोक लगा दी थी । इस रोक के कारण वे भवन, जिनका निर्माण कुर्सी से ऊपर नहीं हुआ था, उन्हें बन्द करना पड़ा । कुछ एक भवनों पर उक्त रोक को हटाये जाने के लिये वित्त मन्त्रालय को लिखना पड़ा । यह रोक जून में लगायी गयी थी और इसके उठाये जाने तथा केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा भवन-निर्माण कार्य को चालू कराये जाने में पर्याप्त समय लग गया । केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के अधिकारियों द्वारा भवन के निर्माण-कार्य में दिखायी गयी धीमी प्रगति भी इसका एक कारण है ।

(घ) केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के अधिकारियों को लगातार कहा जा रहा है कि डाक-तार विभाग की भवन-निर्माण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रयोजन से अपने विभाग का पुनर्गठन करें । भवन-निर्माण कार्य की प्रगति को फिर से आंकने के लिये निदेशालय एवं परिमण्डल-स्तर पर सामयिक बैठकें की जाती हैं ।

(ङ) डाक-तार विभाग ने इस वर्ष नये भवनों के निर्माण के लिये १६२ लाख रुपये निर्धारित कर रखे थे । केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के अधिकारियों ने यह पहले ही कह दिया है कि वे चालू वर्ष में १२० लाख रुपयों से अधिक रकम खर्च नहीं कर सकेंगे ।

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी सम्मेलन

†*४०९. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री विभूति मिश्र ।
श्री रघुनाथ सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री मोहम्मद इलियास :
श्री राम कृष्ण :
श्री पाणिग्रही :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जेनेवा में हुए अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन के क्या परिणाम निकले ;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय-चीनी समझौता, जो दिसम्बर १९५८ में समाप्त हो रहा है, के स्थान पर किये जाने वाले नये समझौते में भारत भी एक पक्ष है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) समझौते में भारत के रहने से अन्य देशों को क्या सहायता मिलेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) १९५९, १९६० तथा १९६१ तीन वर्षों में प्रत्येक के लिए भारत को १ लाख मीटरिक टन का मूल कोटा तथा ५०,००० मीटरिक टन का रक्षित कोटा दिया गया है ।

(ख) मामला विचाराधीन है ।

(ग) भारत द्वारा समझौते में भाग लेने के औचित्य के सम्बन्ध में विभिन्न देशों के भिन्न भिन्न मत हैं । भारत समझौते में तभी हिस्सा लेगा जब वह यह समझेगा कि यह भारत के लिए कल्याणकर होगा ।

आंध्र प्रदेश में चावल का समाहार

†*४१०. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सितम्बर तथा अक्तूबर १९५८ में केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र प्रदेश से कुल कितने चावल का समाहार किया गया; और

(ख) समाहार किए गए चावल भांडार का सरकार ने क्या किया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) सितम्बर तथा अक्तूबर १९५८ में चावल की मिलों से वास्तव में ६,००० टन चावल मिला है ।

(ख) आन्ध्र प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों में स्थित केन्द्रीय भांडार डिपो में समाहार किया गया चावल, उन क्षेत्रों में वितरण हेतु जिनमें आवश्यकता हो, ले जाया गया ।

सियालदा डिविन के बानगांव सेक्शन पर गाड़ी का रोका जाना

†*४११. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के सियालदा डिवीज़न के बानगांव सेक्शन में पान तथा सुपारी के तस्कर व्यापारी सीमा क्षेत्र में गाड़ी को रोक लेते हैं जिससे यात्रियों को बहुत असुविधा होती है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी हां, परन्तु हाल के महीनों में ऐसी घटनाओं की संख्या बहुत कम हो गई है ।

(ख) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही की गई है :—

(१) राज्य रिज़र्व पुलिस में से अतिरिक्त पुलिस दल बुला लिया गया है जो गड़बड़ करने वालों द्वारा खतरे की जंजीर खेंचने वालों को पकड़ेगी ।

(२) जी० आर० पी० से निकटस्थ सम्बन्ध बनाये जा रहे हैं ।

(३) उत्पादन शुल्क विभाग ने सुपारी के तस्कर व्यापारियों पर नियन्त्रण बढ़ा दिए हैं । यह लोग खतरे की जंजीर खींच कर तस्कर व्यापार में सहायता देते थे ।

निम्नलिखित कार्यवाहियों पर विचार किया जा रहा है ।

(क) रेलवे कर्मचारियों को आदेश दिए जा रहे हैं कि अपराधियों को उसी स्थान पर पकड़ लिया जाये और रेल मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अपराधियों का उसी स्थान पर परीक्षण करने के लिए उस सेक्शन पर रेलवे मजिस्ट्रेट चलते फिरते न्यायालय के रूप में काम किया करें ।

दिल्ली में यमुना के पानी का गन्दा होना

†*४१२. **श्री वाजपेयी** : क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक और औद्योगिक गवेषणा परिषद् वज़ीराबाद बन्द (वेयर) के निकट यमुना के पानी के गन्दे होने के बारे में जांच करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो यह जांच किस प्रकार की है तथा उसमें कितनी प्रगति हुई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां ।

(ख) वज़ीराबाद तथा ओखला के बीच १३ मील के टुकड़े के आठ स्थानों पर भौतिक, रासायनिक, जीवाणु तथा कीटाणु सम्बन्धी जांच एक गवेषणा इकाई कर रही है ।

१९५८ के आरम्भ में सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया था तथा उसकी स्वीकृति दो वर्ष की अवधि के लिए है ।

व्यास क्षेत्र में वन उद्योग

†*४१३. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री ५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १५९९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास क्षेत्र में वन उद्योग स्थापित करने के सम्बन्ध में फिनलैण्ड के विशेषज्ञों का प्रतिवेदन मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) सिफारिशों का सारांश सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६७]**

(ग) जी हां, पर्याप्त प्रतियां मिलने पर ।

शरबती जलविद्युत् परियोजना, मैसूर राज्य

†*४१४. **श्री मोहम्मद इमाम :**
श्री वोडयार :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न सख्या १२३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शरबती पन-बिजली परियोजना, मैसूर राज्य के लिए आवश्यक यंत्रों तथा उपकरणों का आयात करने के लिए आवश्यक विदेशी मुद्रा उपलब्ध करने के बारे में कोई निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्णय किस प्रकार का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) और (ख). अभी नहीं। योजना आयोग के परामर्श से हाल में ही विचार किया गया था तथा अपेक्षित विदेशी मुद्रा उपलब्ध करने की संभावनाओं की जांच की जा रही है ।

मैसूर में राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण

†*४१५. **श्री वोडयार** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि में अब तक मैसूर राज्य में कितने मील राष्ट्रीय राजपथ बनाया गया है ; और

(ख) पश्चिमी तट राष्ट्रीय राजपथ सड़क योजना में बम्बई-कन्या कुमारी सड़क पर कितनी प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) चालू योजनावधि में मैसूर में अब तक राष्ट्रीय राजपथ के सम्बन्ध में किया गया काम, वर्तमान राष्ट्रीय पत्रों का समन्वय तथा सुधार है । किसी नये राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण प्रारम्भ नहीं किया गया है ।

(ख) पश्चिम तट सड़क राष्ट्रीय राजपथ नहीं है । द्वितीय योजना में इस सड़क के लिए ४ करोड़ रुपये की व्यवस्था थी जिसमें से योजना के पहले तीन वर्षों में १.३१ करोड़ रुपये व्यय का अनुमान है । हाल में ही हमने कितने ही पुलों तथा सड़कों की परियोजनायें स्वीकार की हैं तथा शेष दो वर्षों में काम की प्रगति बढ़ जाने की आशा है ।

दिल्ली में मलेरिया

†*४१६. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री कुन्हन :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रैस में छपे हुए उन समाचारों को देखा है कि दिल्ली में इस वर्ष मलेरिया के केस बढ़ गये हैं ;

(ख) क्या सरकार ने मलेरिया के केसों में वृद्धि होने के कारणों की खोज की है;

(ग) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं; और

(घ) सरकार इसकी रोकथाम करने के लिये क्या क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) इसके कारण निम्नलिखित हैं ।

(१) असाधारण रूप से अत्यधिक वर्षा;

(२) समय समय पर बाढ़ें;

(३) तीन मील के बेल्ट क्षेत्र के उत्तर की ओर के ग्रामों और विशेषकर बुरारी गांव के निवासियों द्वारा अपने पशुओं को शहरी क्षेत्र में लाना;

---

†मूल अंग्रेजी में

(४) बाढ़ों के उतर जाने के बाद दिल्ली के उन आस पास के ग्रामों से ग्रामीणों का दिल्ली को वापिस आना, जो कि दिल्ली प्रशासन के मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अधीन नहीं हैं ।

(५) मलेरिया निरोधक संगठन के वर्तमान कर्मचारी सभी ओर होने वाले निर्माण-कार्यों पर नियंत्रण नहीं रख सके हैं ।

(घ) घर घर जा कर पीड़ित ग्रामों में रोग के सभी मामलों की खोज करने और मलेरिया के सभी पीड़ित व्यक्तियों का इलाज करने के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की गयी है । इस समय स्थिति पूर्णरूपेण काबू में है । इस क्षेत्र में रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अनुसरण में बीमारी की रोक थाम और उस के विस्तार को समाप्त करने के सम्बन्ध में पूरी पूरी कार्यवाही की गयी है ।

कर्मचारियों में मौलिक विचार की भावना जागृत करने की योजना

†*४१७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश की विभिन्न सवारी डिब्बों, इंजन तथा अन्य प्रकार की रेलवे फैक्टरियों के कर्मचारियों में मौलिक विचार की भावना जागृत करने की कोई योजना लागू की है; और

(ख) यदि हां, तो वह योजना इस समय कैसे चल रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां । इस सम्बन्ध में एक योजना लागू की गयी है, जिस के द्वारा सभी स्तरों पर काम करने वाले कर्मचारियों को यह प्रोत्साहन दिया जाता है कि व रेलवे के हर प्रकार के कार्य के वर्तमान तरीकों में सुधार करने के लिये नये सुझाव देवें ।

(ख) योजना संतोषजनक ढंग से चल रही है ।

भाखड़ा-बांध

†*४१८. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री हेम राज :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री राम कृष्ण :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री सूपकार :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि २९ अक्तूबर, १९५८ को भाखड़ा बांध क्षेत्र में एक भारी चट्टान गिर गयी थी;

(ख) यदि हां, तो उस घटना का पूरा विवरण क्या है;

(ग) क्या उस से भाखड़ा बांध को कोई क्षत्ति पहुंची है; और

(घ) यदि हां, तो उस से कितनी क्षत्ति हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (घ). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में अपेक्षित जानकारी निहित है ।

†विवरण

२८ अक्तूबर, १९५८ को लगभग १३ ·४० बजे दांये बांध पर मुख्य भाखड़ा बांध के ऊपर की ओर नदी के पास एक चट्टान गिर गयी थी । वह चट्टान लगभग ८००० घन गज़ की थी । वह घटना बांध के ऊपर की नदी के मुहाने और हीलक्ले स्टोन के बीच विद्यमान एक रिब पर हुई थी, रिब वास्तव में बांध के आधार का भाग नहीं है । चट्टान के टूटने से पहले ही वहां से सभी लोगों और सामान को हटा लिया गया था । उस से भाखड़ा बांध अथवा हीलक्ले स्टोन को जरा भी क्षति नहीं पहुंची है, परन्तु उस नींव को क्षति पहुंची है । जो कि १०,००० रुपये की लागत पर डिंकी मार्ग के हीलक्ले स्टोन तक पहुंचाने के लिये बनाई गई थी । चट्टान के गिरने से वहां पर कुछ काम बढ़ गया है क्योंकि उस टूटी हुई चट्टान को वहां से हटाने के लिये काम करना पड़ेगा । संभव है कि इस से निर्माण-कार्य पर कुछ असर पड़े, परन्तु बांध पूरा करने के सम्पूर्ण कार्यक्रम पर कुछ भी असर नहीं पड़ेगा ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पटना सिटी बुकिंग आफिस में गबन

†*४१९. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटना सिटी बुकिंग आफिस में जो कि एक ठेकेदार द्वारा चलाया जा रहा है, कुल कितनी राशि का गबन हुआ है;

(ख) वह मामला कब पकड़ा गया था और उस ठेकेदार के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) उक्त बुकिंग आफिस का कार्य सरकार ने कब संभाला था और उस पर कितना खर्च होता है; और

(घ) क्या वह हानि पर चल रहा है ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) अभी तक जितने खातों का परीक्षण किया गया है, उन से यह पता लगा है कि लगभग ४६.६६० पयों का गबन हुआ है ।

(ख) ८-४-१९५७ को ।

उस ठेकेदार की २०,००० रुपये की जमानत और टिकट बेचने पर उसे दी जाने वाली कमीशन रोक ली गई है ताकि उस से वसूल की जाने वाली राशि उस राशि में से वसूल की जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मामले के सम्बन्ध में अभी पुलिस प्राधिकारी जांच कर रहे हैं ।

(ग) १ जून, १९५७ को ।

उस पर लगभग १४,००० रुपये प्रति वर्ष खर्च होता है ।

(घ) जी, नहीं ।

मनीपुर में खाद्यान्नों की वसूली

†*४२०. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आगामी कटाई के मौसम में मनीपुर से खाद्यान्नों की वसूली के लिये कोई योजना बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या चावल की वसूली के दाम पहले वाले ही होंगे ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जी हां ।

केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद्

†*४२१. **श्री जाधव** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् द्वारा स्वीकृत उस सिद्धान्त को कहां तक स्वीकार किया गया है कि विश्वविद्यालयों के स्नातक-स्तर पर आधुनिक चिकित्सा की शिक्षा का स्तर विश्व के अन्य देश के स्तर के समान ही होना चाहिये ; और

(ख) उसे लागू करने के लिये क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) उस सिद्धान्त को पूर्णरूपेण स्वीकार कर लिया गया है ।

(ख) केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की सभी सिफारिशों को राज्य सरकारों के पास भेज दिया गया है । इस के अतिरिक्त इस मामले पर नवम्बर, १९३८ में मैडिकल स्कूल शिक्षा सम्मेलन द्वारा भी विचार किया गया था और उस ने भी यही सिफारिश की थी कि सम्पूर्ण भारत में आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के सभी डाक्टरों के लिये प्रशिक्षण और अर्हताओं का न्यूनतम स्तर एक जैसा होना चाहिये; और वह भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित सभी शर्तों के अनुसार ही होना चाहिये । उस सिफारिश के परिणामस्वरूप सिवाय आर्य मेडिकल स्कूल, लुधियाना के शेष सभी चिकित्सा संस्थाओं के या तो ग्रेड ऊंचे कर दिये गये हैं अथवा उन संस्थाओं को बन्द कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बम्बई राज्य के ग्रामों में बिजली लगाना

†*४२२. **श्री पांगरकर** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई राज्य सरकार ने केन्द्र से उस राज्य के ग्रामों में बिजली लगाने के कार्य के लिये कोई सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्र ने उस बारे में क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) योजना आयोग ने राज्य सरकार को बता दिया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन ग्रामों में बिजली लगाने की योजनाओं के लिये केन्द्र की ओर से किस प्रकार की सहायता दी जाती है ।

राजस्थान मरुस्थल

†*४२३. **श्री झूलन सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २५ फरवरी, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा अभी तक किये गये उपायों से राजस्थान मरूस्थल के विस्तार की रोक थाम में कोई सफलता मिली है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : इस सम्बन्ध में किये गये उपायों का मूल्यांकन तो कुछ एक वर्षों के बाद ही किया जा सकेगा, क्योंकि यह कार्य दीर्घकालीन कार्य है। अभी तो उस कार्य का केवल प्रयोग ही चल रहा है ।

आस्ट्रेलिया से गेहूं

†*४२४. **श्री हेम बरूआ** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आस्ट्रेलिया शीघ्र ही भारत को ९००० टन गेहूं देगा;

(ख) यदि हां, तो उस गेहूं की अनुमानतः कितनी कीमत होगी; और

(ग) सरकार उस की बिक्री से होने वाली आय का किस प्रकार से इस्तेमाल करने का विचार रखती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) आस्ट्रेलिया सरकार ने अक्तूबर, १९५८ में कोलम्बो योजना के अधीन उपहार के रूप में हमें लगभग ९.४५ हजार टन गेहूं भेजा था;

(ख) इस गेहूं की कीमत लगभग ३१ लाख रुपये है ।

(ग) मामला अभी विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

परिवार नियोजन

†*४२६. श्री आसर :
श्री राम कृष्ण :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री तंगामणि :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम के सम्बन्ध में अभी तक हुई प्रगति पर विचार करने के लिये १५ नवम्बर, १९५८ को दिल्ली में परिवार नियोजन बोर्ड की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) बोर्ड द्वारा क्या क्या निर्णय किये गये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६८]**

खाद्यान्नों का राज्य व्यापार

†*४२७. श्री स० म० बनर्जी :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राम कृष्ण :
श्री पाणिग्रही :
श्री विमल घोष :
श्री महन्ती :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री आसर :
श्री वाजपेयी :
श्री नौशीर भरूचा :
श्री ले० अचौ सिंह :
श्री साधन गुप्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् ने खाद्यान्नों के सम्बन्ध में राज्य व्यापार करने के लिये कोई फैसला कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय खाद्य तथा कृषि मंत्रालय और योजना आयोग इस सम्बन्ध में कोई योजना बना रहे हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो उस योजना की रूपरेखा कैसी होगी; और

(घ) इस योजना को लगभग किस तिथि को लागू किया जायेगा ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी, हां ।

(ख) और (घ). उन पर विचार करने के लिये पदाधिकारियों का एक दल ब्यौरे तैयार कर रहा है ।

दूसरे शिपयार्ड का स्थान

†*४२८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :
श्री पदम देव :
श्री कोडियान :
श्री वि० च० शुक्ल :
श्री दामानी :
श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :
श्री मोहम्मद इमाम :
श्री वोडयार :
श्री अ० क० गोपालन :
श्री पुन्नूस :
श्री वासुदेवन् नायर :
श्री नागी रेड्डी :
श्री जाधव :

क्या **परिवहन** तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूसरे शिपयार्ड के स्थान के सम्बन्ध में ब्रिटिश शिपयार्ड मिशन के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये जिस उच्च-स्तरीय समिति की स्थापना की गयी थी क्या उसने अपना कार्य पूरा कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) दूसरे शिपयार्ड की स्थापना के लिये सरकार ने कौन सा स्थान अन्तिम रूप से चुना है; और

(घ) दूसरे शिपयार्ड के लिये वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अभी नहीं। अभी तो समिति कुछ प्रविधिक बातों पर विचार कर रही है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में गीदड़ों का उत्पात

†*४२९. श्री राम कृष्ण :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के कुछ भागों में, विशेष रूप से नई बस्तियों में, गीदड़ों का उत्पात दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है या की जाने वाली है ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) नई दिल्ली के पुराने बसे इलाकों में गीदड़ों की संख्या काफ़ी कम हो गयी है। नव-विकसित बस्तियों में इस समस्या की अपनी अलग विशेषतायें हैं, लेकिन स्पष्ट शब्दों में यह कहना भी संभव नहीं है कि इन इलाकों में गीदड़ों की संख्या में कुछ उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ख) नियमित रूप से गश्त की जाती है और गीदड़ों को मारने के लिये नयी दिल्ली म्युनिसिप कमेटी बन्दूकधारी तीन कुत्ते व गीदड़ मारने वालों की सेवाओं का उपयोग करती है।

अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद्

†*४३०. श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् को सहायता-अनुदान के रूप में हर वर्ष एक बड़ी राशि मिलती रही है;

(ख) क्या किसी अन्य संगठन को भी यह अनुदान मिलता है; और

(ग) जिन संस्थाओं को सहायता अनुदान दिये जाते हैं क्या उनके हिसाब-किताब की जांच की कोई व्यवस्था है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी नहीं, १९५७-५८ से अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद् को इस मंत्रालय से ऐसा कोई अनुदान नहीं मिला है।

(ख) पिछले वर्ष 'करोड़ों के लिये भोजन संघ'[1] को दी गयी तदर्थ सहायता के अलावा इस मंत्रालय ने ऐसे किसी संघ को अन्य कोई अनुदान नहीं दिया है।

(ग) जब भी किसी अनुदान का भुगतान किया जाता है तो पाने वाले को सरकार को इस बात से संतुष्ट कराना पड़ता है कि अनुदान का उपयोग उसी प्रयोजन के लिये किया गया है जिसके लिये वह मंजूर हुआ था।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Meals for Millions Association.

कलकत्ते में सहाय पत्तन[1]

†*४३१. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री राम कृष्ण :
श्री राजेन्द्र सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री वाजपेयी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री विमल घोष :
श्रीमती मफीदा अहमद :
श्री पाणिग्रही :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री ही० ना० मुकर्जी :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हुगली नदी के पश्चिमी तट पर एक गहरी वहति वाले पत्तन[2] के निर्माण की विश्व बैंक के प्रविधिक शिष्टमंडल की सिफारिश को क्रियान्वित करने के काम में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) अब तक कितने विदेशी विशेषज्ञों ने इस प्रस्तावित गहरी वहति वाले पत्तन की संभावनाओं पर विचार कर लिया है;

(ग) उन्होंने किन-किन स्थानों का सर्वेक्षण किया है;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार हाल्दिया में इस पत्तन की स्थापना करना चाहती है;

(ङ) क्या सरकार को मालूम है कि हाल्दिया और उसके दक्षिण की ओर के स्थानों में समय समय पर चक्रवात-आंधियां आने का खतरा रहता है; और

(च) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों का चक्रवात-आंधियों सम्बन्धी चार्ट सभा-पटल पर रखा जायेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (च). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) नये पत्तन के लिये स्थान का चुनाव हो रहा है और इस सम्बन्ध में प्रविधिक जांच जारी है।

(ख) कलकत्ते के लिये एक सहायक पत्तन की स्थापना की जांच कलकत्ता पत्तन आयुक्तों के परामर्शदाता-इंजीनियर मेसर्स रेन्डेल, पामर एण्ड ट्रिटन और रॉटरडैम पत्तन के डिप्टी डाइरेक्टर

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Subsidiary Port.

[2] Deep Draft Port.

श्री पोस्थुमा कर रहे थे। इसके अलावा सरकार को एक फ्रांसीसी इंजीनियर प्रोफेसर लारा से भी इस विषय पर एक प्रतिवेदन मिला है।

(ग) जिन स्थानों का सर्वेक्षण किया गया है वह हैं ज्योंखाली, हाल्दिया, हुगली नदी के बाहरी क्षेत्र की जेन्सेन बालुका-भूमि और धारा नदी के मुहाने के उत्तर की कनिका बालुका-भूमि।

(घ) हाल्दिया में पत्तन की स्थापना के विषय में अभी कोई दृढ़ निश्चय नहीं किया गया है। नये पत्तन के स्थान के प्रश्न के सम्बन्ध में अभी प्रविधिक जांच हो रही है।

(ङ) हाल्दिया क्षेत्र हुगली के मुहाने से लगभग २५ मील दूर है और वहां चक्रवात-आंधियां नहीं आतीं। लेकिन नदी के मुहाने पर हवा का दबाव कम होने का प्रभाव पड़ सकता है।

(च) चार्ट बनाया जा रहा है और मिलते ही सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

भारतीय व्यापारिक नौवहन के लिये विदेशी सहायता

†*४३२. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय व्यापारिक नौवहन के संगठन के लिए जिस विदेशी सहायता का प्रस्ताव किया गया है वह किसका है और कितनी सहायता के लिये है; और

(ख) सरकार इस विदेशी सहायता का उपयोग किस प्रकार करेगी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) और (ख). नौवहन के लिये अब तक जो बड़ी विदेशी सहायता वास्तव में मिली है वह है जापान की येन-ऋण। जापान सरकार ने कुल १८० करोड़ येन का जो उधार देने का वादा किया है उसमें से ५० करोड़ येन नौवहन के लिये अलग कर दिया गया है। इस रकम में से जापान में एक तेलवाहक पोत और एक माल-वाहक पोत के निर्माण के आदेश दिये जा चुके हैं। इस राशि का पूरा-पूरा उपयोग करने के विचार से कुछ ऑर्डर और देने के प्रश्न पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

अमरीका से खाद्यान्नों का आयात

†*४३३. **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री रा० च० माझी :
श्री राम कृष्ण :
श्री हो० ना० मुकर्जी :
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका से खाद्यान्नों के आयात के बारे में सितम्बर, १९५८ में किसी नये करार पर हस्ताक्षर हुए हैं;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो इस करार के अधीन इस वर्ष कितना खाद्यान्न प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) इस करार की शर्तें क्या हैं।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ग). खाद्यान्नों के संभरण के लिये २६ सितम्बर, १९५८ को अमरीका सरकार से एक करार पर हस्ताक्षर हुये थे। उसकी एक प्रति संसद्-पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) आयात कार्यक्रम के बारे में इस प्रकार की जानकारी प्रगट करना लोक-हित में नहीं है।

उत्तर प्रदेश और बिहार में अन्तर्देशीय जल परिवहन सेवायें

†४३४. **श्री श्रीनारायण दास** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २३ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १४७७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार और उत्तर प्रदेश में पहले जाइंट स्टीमर कम्पनियों द्वारा चलाई जाने वाली अन्तर्देशीय जल-परिवहन सेवाओं को फिर से चालू करने की योजना को अन्तिम रूप प्रदान कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं।

(ख) बिहार और उत्तर प्रदेश की सरकारों के विचारों की प्रतीक्षा की जा रही है।

बिहार के कोणार बांध की नहरें

†*४३५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के कोणार बांध से सिंचाई की नहरें अब तक नहीं खोदी गई हैं, हालांकि बांध दो वर्ष पहले पूरा हो चुका है ;

(ख) यह काम कब तक आरम्भ होने की संभावना है ; और

(ग) उस पर कितनी राशि व्यय होने की संभावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) जिस समय पहली बार दामोदर घाटी परियोजनाओं की योजना बनाई गई थी उस समय भी सीधे कोणार जलाशय से सिंचाई करने का कोई विचार नहीं था। फिर भी यह विचार था कि दुर्गापुर बांध और बंगाल की नहर प्रणाली के माध्यम से कोणार के कुछ पानी का उपयोग सिंचाई के लिये किया जायेगा। जांच से पता चला कि कोणार क्षेत्र बड़ा ही विषम है जिस से सिंचाई प्रणाली का संतोषप्रद बहाव संभव नहीं है। इसीलिए, जहां तक इस जलाशय का संबंध है, किसी सिंचाई व्यवस्था की योजना नहीं बनाई गई है।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय श्रम सम्मेलन

†*४३६. **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्रमशः जुलाई, १९५७ और मई, १९५८ में हुए भारतीय श्रम सम्मेलन के १५ वें और १६वें अधिवेशनों के निर्णयों पर सरकार ने विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो यूनियनों को मान्यता प्रदान करने से सम्बन्धित निर्णयों का लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). श्रम मंत्रालय के परामर्श से इस मसले पर अभी विचार किया जा रहा है ।

तलाबारू स्टेशन के निकट दुर्घटना

†*४३७. **श्री सुबिमन घोष :**
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री श० च० गोडसोरा :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ अक्तूबर, १९५८ को दक्षिण पूर्व रेलवे के तलाबारू स्टेशन के निकट एक दुर्घटना हो गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्ति मारे गये और घायल हुए ;

(ग) दुर्घटना का कारण क्या था ; और

(घ) क्या हताहतों के परिवार वालों को कुछ प्रतिकर दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी हां ।

(ख) तीन व्यक्ति मारे गये और ५७ घायल हुए ।

(ग) दुर्घटनाओं के सरकारी निरीक्षक की अस्थायी उपपत्तियों के अनुसार यह दुर्घटना रेलवे कर्मचारियों की असफलता के कारण हुई थी ।

(घ) अभी नहीं । लेकिन अनुग्रहात निम्नलिखित भुगतान किये गये हैं :—

मारे गये तीन व्यक्तियों के लिये प्रति व्यक्ति पीछे १०० रुपये ।

घायल हुए चार व्यक्तियों के लिये व्यक्ति पीछे १०० रुपये ।

घायल हुए सोलह व्यक्तियों के लिये व्यक्ति पीछे ५० रुपये ।

पीपली—कोणार्क रोड पर पुल

†४३८. **श्री पाणिग्रही** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के पुरी जिले में पीपली-कोणार्क रोड पर प्रस्तावित तीन पुलों के निर्माण के लिये स्थान चुन लिये गये हैं ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां ; और

(ग) क्या इन पुलों के लिये व्यय के प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां :

(ख) और (ग) :

पुल का नाम	स्थान	तैयार प्राक्कलनों के अनुसार लागत
		रुपय
१. भार्गवी पुल	पीपली-कोणार्क रोड के तीसरे मील पर हरिपुर गांव के निकट अच्छे मौसम वाली सड़क के पास ।	५,१५,७३०
२. धनुआ पुल	पीपली-कोणार्क रोड के सातवें मील पर गोरपद गांव के पास की अच्छे मौसम वाली सड़क के निकट ।	३,०८,१९०
३. खुशभद्रा पुल	पीपली-कोणार्क रोड के १३वें मील पर नीमपाड़ा गांव के पास की अच्छे मौसम वाली सड़क के निकट ।	५,३५,५००

ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस

†*४३९. { **श्री न० रा० मुनिस्वामी :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सरजू पांडे :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली जाने वाली ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस २५ अक्तूबर, १९५८ को छात्रों की हड़ताल से उपद्रवों के कारण छः घंटे से अधिक समय तक नेल्लोर (दक्षिण रेलवे पर) के निकट वेदयपलम् स्टेशन पर रुकी रही ;

(ख) यदि हां, तो इस घटना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) यात्रियों की जलपान, चाय और अन्य चीजों सम्बन्धी अत्यावश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये क्या प्रबन्ध किया गया था ; और

(घ) नेल्लोर स्टेशन पर सरकारी सम्पत्ति को कितनी क्षति पहुंची है ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). कालेज की फीस बढ़ाने के विरोध में नेल्लोर के एक स्थानीय कालेज के छात्र १-१०-५८ को अपनी कक्षाओं में नहीं गये । २५-१०-५८ को कुछ स्थानीय श्रमिक संघों के सहयोग से एक हड़ताल का आयोजन किया गया । सवेरे के समय छात्रों की एक भीड़ नेल्लोर रेलवे स्टेशन में घुस आयी और उस ने ट्रेनों के आने जाने में हस्तक्षेप करना आरम्भ कर दिया । इस वजह से ९ अप बम्बई-मद्रास मेल रुक गई । भीड़ ११ बजे हटाई जा सकी । तीसरे पहर भीड़ फिर से जमा हो गई और उस ने आने वाले सिग्नलों से छेड़छाड़ की

†मूल अंग्रेज़ी में

और सिग्नल देने और इन्टरलॉक सिस्टम खराब कर दिया । यात्रियों की सुरक्षा के ख्याल से १५ डाउन मद्रास-दिल्ली ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस को वेदयपलम् स्टेशन पर ३४३ मिनट तक रोक लिया गया ।

(ग) गाड़ी के नेल्लोर स्टेशन पर आने पर यात्रियों को जलपान आदि दिया गया ।

(घ) रेलवे उपकरणों, टेलीफोन और सिग्नल के तारों को ५५६४ रुपये ५० नये पैसे की क्षति पहुंची है । कुछ बंडलों को जो मामूली क्षति पहुंची है, उन पर ५० रुपये के हर्जाने के दावे आने का अनुमान है ।

भारतीय कृषि गवेषणा संस्था की श्रमिक समिति

†*४४०. **श्री तंगामणि :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री २८ नवम्बर, १९५६ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३९५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ और उस के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में जिस प्रकार की श्रमिक समिति का गठन अपेक्षित है, क्या उस के गठन में भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के कृषि सम्बन्धी तथा औद्योगिक कर्मचारी संघ से परामर्श कर लिया गया था ;

(ख) यदि नहीं, तो क्यों नहीं ; और

(ग) श्रमिक समिति का गठन किस प्रकार से किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) से (ग). संस्था में एक श्रम समिति (लेबर कमेटी) बना दी गई है जिस में एक डिवीजन के प्रधान अध्यक्ष हैं और तीन अन्य पदाधिकारी सदस्य । औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ के अधीन अपेक्षित श्रमिक समिति (वर्क्स कमिटी) का गठन अभी शेष है ।

भारत-सोवियत नौवहन समझौता

†*४४१. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री नागी रेड्डी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवहन सम्बन्धी भारत-सोवियत समझौते के क्रियान्वय का हाल ही में पुनरीक्षण किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते के अधीन अब तक जो नौवहन कार्य हुआ है उस का क्या अनुभव है ; और

(ग) इस पुनरीक्षण के फलस्वरूप क्या सुधार होने की संभावना है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ६९]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

भारतीय चिकित्सा परिषद्

*४४२. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री अजित सिंह सरहदी :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष डा० सी० एस० पटेल ने भारत सरकार के पास यह सुझाव भेजा है कि भारत में केवल आधुनिक चिकित्सा पद्धति को ही मान्यता दी जाये ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): सरकार को पता है कि भारतीय चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष डा० सी० एस० पटेल ने ३१ अक्तूबर, १९५८ को अपने अध्यक्षीय भाषण में परिषद् के सदस्यों से भारतीय चिकित्सा परिषद् का विचार व्यक्त करते हुए कहा था कि भारत में केवल एक ही चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए, अर्थात् आधुनिक चिकित्सा पद्धति ।

बम्बई में सहकारी चीनी मिलें

†*४४३. **श्री पांगरकर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई सरकार ने राज्य में सहकारी चीनी मिलें खोलने के उद्देश्य से मशीनें मंगाने के लिये विदेशी मुद्राओं के रूप में कुछ सहायता मांगी है ; और

(ख) क्या उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख) . चीनी मिलों की स्थापना के लिये जिन १६ सहकारी समितियों को लाइसेंस दिये गये हैं उनमें से १४ को मशीनें मगाने के लिये विदेशी मुद्रायें दे दी गयी हैं ।

एक-व्यक्ति वाला न्यायाधिकरण

†*४४४. **श्री अरविन्द घोषाल** : क्या **रेलवे** मंत्री १ अगस्त, १९५७ के तारांकित प्रश्न संख्या ५३२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के एक व्यक्ति वाले न्यायाधिकरण ने रेल-कर्मचारियों की शिकायतों के सम्बन्ध में तब से कोई पंचाट दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) पंचाट की विभिन्न मदों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्णय होते ही न्यायाधिकरण के पंचाट की एक प्रति सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

मनीपुर की खाद्य स्थिति

†४४५. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष की नई फसल के कटने के बाद से मनीपुर के संघ राज्य-क्षेत्र की खाद्य स्थिति बिगड़ गयी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मनीपुर के राज़कीय गोदामों में इस समय वास्तव में कितना स्टाक है ; और

(ग) क्या यह सच है कि मनीपुर घाटी के उत्तरी और पूर्वी भागों में चावल की फसल मारी गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) १५ नवम्बर, १९५८ को ३२,१४९ मन चावल ।

(ग) खबर है कि मनीपुर के उत्तरी और पूर्वी भागों के कुछ इलाकों में चावल की फसल को कृमियों से कुछ क्षति पहुंची है ।

दिल्ली विद्युत्-शक्ति नियंत्रण बोर्ड

†*४४६. **श्री राम कृष्ण :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री वाजपेयी :
श्री उ० ल० पाटिल :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगरपालिका निगम ने संघ सरकार से दिल्ली विद्युत् शक्ति नियन्त्रण बोर्ड को भंग कर देने का अ ुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्यों; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां ।

(ख) निगम का ख्याल है कि दिल्ली की विद्युत् सभरण अवस्था ऐसी है जिसमें बिजली के संभरण, वितरण या उपयोग पर नियन्त्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं है और उसे दिल्ली नगरपालिका निगम अधिनियम, १९५७ के उपबन्धों के अनुसरण में बिजली के वितरण की व्यवस्था करने की स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये ।

(ग) निगम के अनुरोध पर विचार किया जा रहा है ।

नौवहन बोर्ड और विकास निधि समिति

†*४४७. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वाणिज्यिक नौवहन अधिनियम, १९५८ के अधीन जिस राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड और नौवहन विकास निधि समिति की परिकल्पना की गयी थी, क्या उनका गठन हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो बोर्ड और समिति में किन-किन व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है ; और

(ग) क्या इन दोनों संगठनों द्वारा बनाये गये कार्य संचालन सम्बन्धी नियम सभा-पटल पर रखे जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं। अभी नहीं। फिर भी इस मसले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(ख) अभी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) बनाये जाने के बाद नियम सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे।

यमुना जल-विद्युत् परियोजना

†*४४८. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री २० अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या २७८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में यमुना जल-विद्युत् परियोजना की दूसरी प्रावस्था का कार्य आरम्भ हो गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो देर होने के क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी नहीं।

(ख) यमुना जल विद्युत् योजना की दूसरी प्रावस्था सम्बन्धी जांच अब भी चल रही है।

पश्चिमी बंगाल में नष्ट हुआ गेहूं

†*४४९. **श्री सुबिमन घोष :**
श्री च० का० भट्टाचार्य :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसनसोल रेलवे स्टेशन के यार्ड में हाल ही में लगभग १०,००० मन गेहूं नष्ट हो गया;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ;

(ग) क्या यह सच है कि यह गेहूं आस्ट्रेलिया से आयात किया गया था ; और

(घ) इस आयात के लिए कितनी विदेशी मुद्रा व्यय की गई थी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं। केवल ६३ बोरे (लगभग १२१ मन) गेहूं नष्ट हो गया था।

(ख) उतारे जाने के बाद वर्षा के कारण यह हानि हुई।

(ग) जी नहीं। यह अमरीकी गेहूं था।

(घ) इस गेहूं का आयात अमेरिका से पी० एल० ४८० समझौते के अधीन किया गया था तथा इसके मूल्य को भुगतान रुपयों में किया जाना था।

---

†मूल अंग्रेजी में

कृषि प्रशासन समिति

†*४५०. डा० राम सुभग सिंह :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री पाणिग्रही :
श्री संगण्णा :
श्री सूपकार :
श्री सुब्बया अम्बलम् :
श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :
श्री सरजू पांडे :
श्री साधन गुप्त :
श्री आसर :
श्री विमल घोष :
श्री हेम बरूआ :
श्री मू० च० जैन :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नालागढ़ के राजा सुरेन्द्र सिंह के सभापतित्व में सरकार द्वारा कृषि स्थिति का अध्ययन करने के लिए स्थापित विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने उस प्रतिवेदन को लागू करने का निर्णय कर लिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). समिति राज्यों में कृषि प्रशासन, तथा कृषि विभाग के कार्य संचलान का अध्ययन करने के लिए नियुक्त की गई थी तथा देश में कृषि स्थिति का अध्ययन करने के लिए नियुक्त नहीं की गई थी । उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जो सभा-पटल पर रखा जा चुका है ।

(ग) प्रतिवेदन राज्य सरकारों को भेज दिया गया है क्योंकि जो सिफारिशें वह ठीक समझे उनको लागू करने के सम्बन्ध में उनकी भी मुख्यत: जिम्मेदारी है । इन सिफारिशों पर राज्य सरकारों का दृष्टिकोण जानने के पश्चात् जिन सिफारिशों में भारत सरकार की रुचि है उनके सम्बन्ध में बाद में कार्यवाही की जायेगी ।

छोटे बन्दरगाहों का विकास

†*४५१. श्री संबंदम् :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :
श्री पाणिग्रही :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय हार्बर बोर्ड ने मद्रास में अपनी हाल की बैठक में देश के छोटे बन्दरगाहों क विकास के प्रश्न पर विचार किया था ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसने क्या विशिष्ट सिफारिशें की हैं ;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार के किसी प्रतिनिधि ने बैठक में भाग लिया था ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उड़ीसा सरकार ने अपने छोटे बन्दरगाहों के विकास के लिये प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७०]**

चावल का मूल्य

†४५२. **श्री तंगामणि** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ७ नवम्बर, १९५८ को नई दिल्ली में दक्षिण-चावल जोन के खाद्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की बैठक हुई थी तथा उस में क्या निर्णय लिये गये; और

(ग) क्या यह सच है कि मद्रास राज्य में चावल के मूल्य बहुत बढ़ गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जोन के कार्यसंचालन का पुनरीक्षण करने के लिये ७ नवम्बर, १९५८ को दिल्ली में दक्षिण-चावल जोन के राज्यों के खाद्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। बहुत से मामलों पर विचार किया गया तथा यह निर्णय किया गया कि तस्कर व्यापार को रोकने के लिये उपाय किये जायें तथा बम्बई राज्य से दक्षिण-चावल जोन की सीमा के पांच मील में चावल लाने ले जाने पर प्रतिबन्ध लगाया जाये।

(ग) जी हां। मद्रास राज्य में चावल के कुछ मूल्य बढ़े हैं।

पालम हवाई अड्डा

†५९५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पालन हवाई अड्डे, दिल्ली को बड़ा तथा आधुनिक बनाने के सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : जैट परिवहन विमानों के प्रयोग के लिये पालम हवाई अड्डे पर एक नया रनवे (१०,५०० फीट × १५० फीट) बनाने की योजना सरकार ने हाल में ही स्वीकार की है। इस परियोजना पर १५० लाख रुपये (अनुमानतः) व्यय होंगे।

डाकखाने

†५९६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य के गुरुदासपुर जिले में प्रथम पंचवर्षीय योजना काल में किन स्थानों पर सभी श्रेणियों के डाक घर, तार घर, व सार्वजनिक टेलीफोन घर खोले गये थे;

(ख) द्वितीय योजना काल में अब तक कितने खोले गये हैं; और

(ग) शेष द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने खोले जायेंगे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७१]**

(ख) ३१–१०–५८ तक खोले गये

(१) सभी श्रेणियों के डाकखाने	४
(२) तार घर	२
(३) सार्वजनिक टेलीफोन घर	१
(ग) (१) सभी श्रेणियों के डाकखाने	१४
*(२) तार घर	कोई नहीं
*(३) सार्वजनिक टेलीफोन घर	१

*नोट: यदि उचित समझा गया तो और प्रस्तावों को, यदि कोई हों, स्वीकार कर लिया जायेगा।

विमान परिवहन परिषद् की सिफारिशें

†५९७. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम कृष्ण :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री २० अगस्त १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६१३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमान परिवहन परिषद् द्वारा की गई सभी सिफारिशों को सरकार ने लागू कर दिया है;

(ख) यदि नहीं, तो अब तक किस प्रकार की सिफारिशें लागू नहीं की गई हैं;

(ग) ये कब तक लागू हो जायेंगी ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग) . परिषद् की मुख्य सिफारिशें यात्री किरायों के बारे में थीं जो स्वीकार कर ली गई हैं तथा लागू कर दी गई हैं । उचित भाड़ा दरों के बारे में सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

डाक तथा तार संग्रहालय

†५९८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय डाक तथा तार संग्रहालय की स्थापना में और आगे क्या प्रगति हुई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**) : प्रस्तावित संग्रहालय की स्थापना के लिये 'स्टाम्प सेंटेनरी हाल' में कुछ फेर बदल करने का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने प्रारम्भिक रूप से शुरू कर दिया है ।

नजफगढ़ लेक (दिल्ली) पर पम्पिंग स्टेशन

†५९९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री १६ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली राज्य में नजफगढ़ लेक पर पम्पिंग स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : नजफगढ़ लेक का सर्वेक्षण करने के पश्चात् यह पता लगा कि यदि पानी समुद्र तल से ६८८ फीट ऊंचा रहे तब ही कुछ पानी उपलब्ध हो सकता है। परन्तु इस ऊंचाई पर बहुत सी कृषि योग्य भूमि पानी में आ जाती है। इसलिये अब एक ऐसी योजना तैयार करने का निर्णय किया गया है जिस के अन्तर्गत पानी झील से बाहर निकाल दिया जाये जिस से खड़ी फसल को हानि न पहुंचे और खेती के लिये और भूमि भी ली जा सके।

सिगनलिंग तथा दूर संचार व्यवस्था में सुधार

†६००. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या रेलवे मंत्री १६ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३७३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे पर सिगनलिंग तथा तार दूर-संचार में सुधार करने के कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाजखां)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७२]

गाड़ी का पटरी से उतर जाना

†६०१. { **श्री नागी रेड्डी :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण रेलवे की काटपाडी विलूपुरम लाइन पर मादीमंगलम तथा पोलूट स्टेशनों के बीच २८ सितम्बर, १९५८ को मालगाड़ी पटरी से उतर गई थी;

(ख) डिब्बों तथा रेल मार्ग को कितनी धन राशि की हानि पहुंची;

(ग) पटरी से उतर जाने के क्या कारण थे; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) २८ सितम्बर, १९५८ को लगभग ११·२० बजे जब नं० २१२३ मालगाड़ी दक्षिण रेलवे के मादीमंगलम् तथा पोलूट स्टेशनों के बीच चल रही थी, उस के १४ वैगन पटरी से उतर गये।

(ख) अनुमानित हानि यह है : —

(१) डिब्बे	५,००० रुपये।
(२) स्थायी रेल मार्ग	२,००० रुपये।
	७,००० रुपये।

(ग) और (घ) . वरिष्ठ पदाधिकारियों की एक समिति ने प्रार्थना की जांच की। उस के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

यात्रा अभिकरण

†६०२. **श्री दामानी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने यात्रा अभिकरण काम कर रहे हैं तथा इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया इंटरनेशनल से उन्हें किन दरों पर कमीशन मिल रहा है;

(ख) विदेशी प्रबन्ध के विमान समवायों द्वारा उन को कितना कमीशन मिलता है; और

(ग) १९५६–५७, १९५७–५८ तथा १९५८–५९ में अब तक इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन तथा एयर इंडिया इंटरनेशनल ने कुल कितने धन को कमीशन के रूप में स्वीकार किया ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) से (ग) .एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७३]**

पंजाब में उचित मूल्य वाली दूकानें

†६०३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में जिलेवार इस समय कितनी उचित मूल्य वाली दुकानें हैं;

(ख) इन दुकानों पर किन मूल्यों पर अनाज बेचा जा रहा है; और

(ग) बाजार में अनाज के क्या मूल्य हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७४]**

आयोजित ब्रह्मपुत्र पुल

†६०४. **श्री राम कृष्ण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पांडू तथा अमीनगांव के बीच आयोजित ब्रह्मपुत्र के पुल पर अब तक कुल कितना धन व्यय किया जा चुका है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : सितम्बर, १९५८ के अन्त तक लगभग ८,३६,००० रुपये व्यय हुए हैं ।

पश्चिम तथा उत्तर रेलवे की मीटर लाइन के इंजन

†६०५. **श्री राम कृष्ण**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम तथा उत्तर रेलवे की मीटर लाइन पर कितने इंजन इस समय चल रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : ३०-९-५८ को मीटर इंजनों की संख्या इस प्रकार थी :—

	माप	डीजल	जोड़
पश्चिम	७९६	२०	८१६
उत्तर	३२१	—	३२१

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली तथा नई दिल्ली में रेलवे क्वार्टर

†६०६. **श्री राम कृष्ण :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे के लिये दिल्ली तथा नई-दिल्ली में कितने क्वार्टर बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) दिल्ली के कितने आवश्यक कर्मचारियों को अब तक क्वार्टर नहीं मिले हैं; और

(ग) आवश्यक कर्मचारियों को कब तक क्वार्टर मिल जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) विभिन्न प्रकार के ४४ यूनिटों, जो इस वर्ष पूरे हो जायेंगे, के अतिरिक्त १९५८-५९ में विभिन्न प्रकार के १४७ क्वार्टर बनाने का कार्यक्रम है ।

(ख) तीसरी श्रेणी के ६०५ तथा चौथी श्रेणी के २२०६ ।

(ग) निधि की कमी के कारण तथा आवश्यक कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाने के कारण, सभी आवश्यक कर्मचारियों को मकान देने में समय लगेगा ।

हावड़ा-बर्दवान लाइन के स्टेशनों पर ऊंचे प्लेटफार्म

†६०७. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई हावड़ा-बर्दवान कॉर्ड लाइन पर ऐसे कितने स्टेशन व हाल्ट हैं जहां पर ऊंचे प्लेटफार्म नहीं हैं;

(ख) क्या इन स्टेशनों तथा हाल्टों पर ऊंचे प्लेटफार्म बनाने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया जायेगा; और

(घ) स्टेशनों पर ऊंचे प्लेटफार्म किस प्राथमिकता क्रम से बनाये जायेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) छः । इनमें चार फ्लैग स्टेशन हैं तथा दो हाल्ट हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). काम शीघ्र ही आरम्भ किया जायेगा तथा क्रमशः आगे बढ़ाया जायेगा । किसी स्टेशन को प्राथमिकता देने का इस लिये प्रश्न ही नहीं उठता है ।

आसाम की ब्रह्मपुत्र नदी में मछली संसाधनों का सर्वेक्षण

†६०८. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय अन्तर्देशीय मछली गवेषणा केन्द्र का एक पदाधिकारी सरकार द्वारा आसाम में नियुक्त किया गया है जो ब्रह्मपुत्र नदी का इस दृष्टि से सर्वेक्षण करायेगा कि क्या उसमें मछली पकड़ी जा सकती है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पदाधिकारी ने क्या निर्णय दिया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जी हां । पदाधिकारी को अक्तूबर १९५८ में सर्वेक्षण करने के प्रारम्भिक प्रबन्ध करने के लिये नियुक्त किया गया था । डिब्रूगढ़

---

†मूल अंग्रेजी में

से दक्षिण सालमारा तक ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साथ १९ नमूने के स्थान छांटे गये हैं। फरवरी-मार्च १९५९ में सर्वेक्षण करने का विचार है।

उड़ीसा में खाद्य भंडार

†६०९. **श्री प्र० के० देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न ज़िलों में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के पास अच्छे तथा मोटे चावल तथा धान का कुल कितना भांडार है;

(ख) किन साधनों से तथा किन मूल्यों पर चावल का समाहार किया गया; और

(ग) खरीददारों को किन दरों पर यह दिया जायेगा ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) ९,२०० टन चावल तथा १२,००० टन धान।

(ख) यह भांडार राज्य सरकार ने आन्तरिक रूप में निम्नलिखित मूल्यों पर लिया था :

(मूल्य प्रति मन रुपयों में)

	साधारण	उत्तम	सर्वोत्तम
चावल	१५.५०	१६.००	१६.७५
धान	८.७५ से ९.००	९.२५	९.७५

(ग) राज्य सरकार निम्नलिखित मूल्यों पर चावल/धान दे रही है :—

(मूल्य प्रति मन रुपयों में)

	साधारण	उत्तम	सर्वोत्तम
चावल . .	१८.००	१९.६०	२१.६०
धान	१०.००	११.३७	१२.८१

चावल के मूल्य बिक्री कर समेत हैं। धान पर बिक्री कर नहीं लिया जाता है।

उड़ीसा में उचित मूल्य वाली दूकानें

†६१०. **श्री ० के० देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में इस समय ज़िलेवार कितनी उचित मूल्य वाली दुकानें हैं ;

(ख) इन दूकानों पर, विशेषतः करलाहांडी और फुलबजी जिलों में, खाद्यान्न किस मूल्य पर बेचा जा रहा है; और

(ग) बाजार में खाद्यानों के क्या मूल्य हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). ज़िलेवार उचित मूल्य वाली दूकानों की संख्या, तथा इन दूकानों पर बिकने वाले चावल/धान तथा गेहूं, के मूल्यों और खुले बाजार में बिकने वाले चावल/धान के मूल्यों को दिखाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७५]**

इंडियन रेड क्रास सोसायटी

†६१२. **श्री उ० चं० पटनायक** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों में इन्टरनेशनल रेड क्रास सोसायटी से इण्डियन रेड क्रास सोसायटी को कितनी वित्तीय सहायता मिली;

(ख) इस अवधि में संघ तथा राज्य सरकारों ने कितनी धनराशि दी;

(ग) जनता से कितना धन एकत्रित किया गया; और

(घ) भारत में लाटरी आदि से कितनी आय हुई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) गत पांच वर्षों में विभिन्न देशों की नेशनल रेड क्रास सोसायटियों तथा न्टरनेशनल रेड क्रास कमिटी से इण्डियन रेड क्रास सोसायटी को निम्नलिखित वित्तीय सहायता मिली :

	रुपये
१९५३	३६,४७४
१९५४	१,७६,४७८
१९५५	२,७७,६१७
१९५६	१,१३,०५४
१९५७	३५,८४६

(ख) संघ सरकार से इण्डियन रेड क्रास सोसायटी को निम्नलिखित अनुदान दिये गये :—

	रुपये
१९५३	८४,६९७
१९५४	२,७७,३७१
१९५५	२,२८,९४९
१९५६	४,२७,०००
१९५७	६,०५,७०१

राज्य सरकारों द्वारा इण्डियन रेड क्रास सोसायटी की राज्य शाखाओं को दी गई अनुदानों के सम्बन्ध में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

(ग) गत पांच वर्षों में नवम्बर मास में अखिल भारतीय निधि विस्तार तथा सदस्यता आन्दोलन के द्वारा इण्डियन रेड क्रास सोसायटी द्वारा एकत्रित धनराशि निम्नलिखित है :—

	रुपये
१९५३	३,८६,०७८
१९५४	३,८६,९०९
१९५५	५,२४,५७८
१९५६	५,४२,२४१
१९५७	६,२९,१०७

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) इण्डियन रेड क्रास सोसायटी की पश्चिम बंगाल तथा पंजाब शाखा ने लाटरी चलाई थी। इससे एकत्रित धनराशि के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

उड़ीसा में खाद्यान्नों के गोदाम

†६१३. **श्री उ० चं० पटनायक** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बरहामपुर गंजम (उड़ीसा) में केन्द्रीय खाद्यान्न गोदाम बनाने के काम, जिसके सम्बन्ध में कुछ वर्ष पूर्व निर्णय किया गया था, में क्या प्रगति हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : कोई नहीं। बाद में पुनरीक्षण पर यह निर्णय किया गया कि प्रस्ताव पर काम नहीं किया जाये।

बम्बई में रेलवे स्टेशन

†६१४. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय बम्बई राज्य में कितने रेलवे स्टेशन हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार १९५९-६० में उस राज्य में रेलवे स्टेशनों को बढ़ाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो विचाराधीन स्टेशन कौन कौन से हैं तथा किस समय तक काम आरम्भ होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) १-११-१९५८ को यात्रा के लिये खुले हुए १३६२।

(ख) जी हां।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७६**]

रेलवे संरक्षण दल

†६१५. **श्री पांगरकर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ वर्ष के लिये मध्य रेलवे पर रेलवे संरक्षण दल में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कितना कोटा रक्षित है ; और

(ख) इसी अवधि में इन जातियों तथा आदिम जातियों के कितने व्यक्ति छांटे गये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क)

	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां
तीसरी श्रेणी . . .	१६	९
चौथी श्रेणी . . .	१२९	१५२
(ख) तीसरी श्रेणी . . .	५	१
चौथी श्रेणी . . .	१३६	१४

(३०-१०-१९५८ के अनुसार) :

---

†मूल अंग्रेजी में

सुअर पालन

†६१६. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार भारत में अच्छी नस्ल के सुअर पालने को प्रोत्साहित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या भारत में सुअरों की नस्ल सुधारने की कोई योजना सरकार ने बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो उस के ब्यौरे क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) से (घ). सुअरों की नस्ल सुधारने तथा उन्हें पालने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने अखिल भारतीय सुअर पालन विकास योजना बनाई है । योजना की मुख्य बातों के बताने वाला तथा क्रियान्विति की वर्तमान स्थिति के बारे में एक नोट सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७७]**

मछली के खाद्य तत्व

†६१७. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चावल, गहूं तथा ज्वार बाजरे आदि की तुलना में मछली के खाद्य तत्वों में कितनी कैलोरीज़ होती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : भिन्न भिन्न प्रकार की मछली के प्रोटीन, चर्बी तथा अन्य खनिज पदार्थों के आधार पर अलग अलग कैलोरीज़ तत्व होते हैं । १०० ग्राम में ७५ से २०० कैलोरीज़ होती हैं । चावल, गेहूं तथा ज्वार बाजरे में निश्चित रूप से कैलोरीज़ तत्व अधिक होते हैं तथा प्रति १०० ग्राम में ३०० से ४५० कैलोरोज़ इन में होते हैं ।

अंडे, मांस आदि

†६१८. **श्री वें० प० नायर**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में इस समय मुर्गीखानों के उत्पादों और गोश्त तथा गोश्त उत्पादों की मात्रा क्या है ; और

(ख) १९४७ के पश्चात् इन में कितनी वृद्धि हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय लोक-सभा को उपलब्ध कर दी जायेगी ।

छोटे पैमाने पर मछलियां पकड़ने के बन्दरगाह

†६१९. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने जिन दो बन्दरगाह विशेषज्ञों को सर्वेक्षण कर के ऐसे उपयुक्त केन्द्रों की सिफारिश करने के लिये, जहां छोटे पमाने के मछिलियां पकड़ने के बन्दरगाह विकसित किये जा सकें, नियुक्त किया था क्या उन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

---

†मल अंग्रेजी म

(ख) यदि हां, तो क्या प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मछली के तेल

†६२०. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में जिन मछली के तेलों का उत्पादन होता है उनका कुल मूल्य क्या है ; और

(ख) खाद्य/औषधि के तौर पर इस्तेमाल होने वाले तेलों का मूल्य क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) लगभग ९ लाख रुपये प्रति वर्ष ।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि औषधि के तौर पर इस्तेमाल होने वाले तेलों का मूल्य ८ लाख रुपये था । खाद्य के तौर पर इस्तेमाल की गई मात्रा मालूम नहीं है ।

राज्यों में अनाज की उपज

†६२१. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के विभिन्न राज्यों में १९५०-५१ की तुलना में इस समय अनाज की प्रति एकड़ उपज क्या है ; और

(ख) उपरोक्त राज्यों में अनाज की उपज के लिये प्रति एकड़ कितना रासायनिक उर्वरक इस्तेमाल होता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७८]**

(ख) विभिन्न राज्यों में खाद्य की उपज के लिये उर्वरक के प्रति एकड़ प्रयोग के आंकड़े मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं । अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत राज्यों में बांटे गये नाइटरोजन युक्त उर्वरक के आंकड़ों के आधार पर और जहां ये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां विभिन्न फसलों के लिये राज्यों को आवंटित किये गये नाइटरोजन युक्त उर्वरक के आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया अनुमान वक्तव्य संख्या २ में दिया गया है । यह अनुमान १९५७-५८ में अनाज अर्थात् चावल गेहूं आदि की खेती के क्षेत्रफल को वितरित उर्वरक की मात्रा से भाग दे कर निकाला गया है । यह अनुमान मंत्रालय के पास उपलब्ध जानकारी के आधार पर औसतन तैयार किया गया है परन्तु यह अन्तिम नहीं था ।

अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन के अन्तर्गत नाइटरोजन युक्त उर्वरकों के अतिरिक्त कुछ फास्फेटिक उर्वरकों का भी वितरण किया गया था परन्तु अनाज के लिये वे अधिक उपयोगी नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मछली, साग सब्जी, दूध आदि का उत्पादन

†६२२. **श्री वें० प० नायर:** क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत के प्रत्येक राज्य में मछली के मांस, साग सब्जियों, दूध और दूध-उत्पादों के वार्षिक उत्पादन के आंकड़े क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : १९५७ में भारत में लगभग १२.३३ लाख मीट्रिक टन मछली के मांस का उत्पादन किया गया। उत्पादन के राज्यवार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। गोश्त, दूध और दूध उत्पादों के राज्यवार वार्षिक उत्पादन के आंकड़े दिखाने वाले विवरण सभा-पटल पर रखे जाते हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ७९]**। साग सब्जियों के वार्षिक उत्पादन के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

राज्यों में मीन-क्षेत्र योजनाओं के लिये अनुदान

†६२३. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को मीन-क्षेत्र योजनाओं के लिये आवंटित की गई केन्द्रीय सरकार की निधि पूरी खर्च कर दी गई है या कि कई राज्यों में उसे पूरी तरह खर्च नहीं किया जा सका है ; और

(ख) मीन-क्षेत्र योजनाओं के लिये केन्द्र द्वारा दिये गये अनुदानों तथा आर्थिक सहायता में से विभिन्न राज्यों में कितनी राशि खर्च होने से बच गई और वर्तमान स्थिति क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन०)** : (क) कई राज्यों में पूरी राशि खर्च नहीं हुई है।

(ख) १९५६-५७ और १९५७-५८ सम्बन्धी विवरण सभा-पटल पर रखे गये हैं। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८०]**.

मछली के मांस को डिब्बों में बन्द करने का उद्योग

†६२४. **श्री वें० प० नायर** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मछली के मांस को डिब्बों में बन्द करने के उद्योग की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) डिब्बों में बन्द मछली के मांस का प्रत्येक वर्ष कितना निर्यात किया जाता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) बेपुर (केरल) में मालाबार फिशरीज़ कम्पनी और बम्बई राज्य में मधु कैनिंग कम्पनी 'सारडीन' और 'मेकरल' और 'पोम्फ्रेटस' को सीमित मात्रा में डिब्बों में बन्द करते रहे हैं। कोचीन में चार कारखानों में 'प्रान्स' को काफी मात्रा में डिब्बों में बन्द किया जा रहा है।

(ख) डिब्बों में बन्द मछली भारत में ही बिक जाती है। जनवरी से सितम्बर, १९५८ तक कम से कम ५०,३५० पौंड डिब्बों में बन्द 'प्रान्स' का निर्यात किया गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

मछली परिरक्षण

†६२५. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में इस समय मछली का परिरक्षण करने और स्टोर करने में अनुमानतः कितनी बर्फ इस्तेमाल होती है ;

(ख) भारत में इस समय कितने बर्फ के कारखाने और मछली को ठंडा रखने के यूनिट हैं ;

(ग) बर्फ में रखी गई मछली की मात्रा ; और

(घ) प्रतिवर्ष कितना निर्यात किया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) यह अनुमान लगाना कठिन है कि मछली के परिरक्षण और स्टोर करने में कितनी बर्फ इस्तेमाल हुई क्योंकि हाल ही में बर्फ के कारखानों की संख्या बढ़ गई है और गैर-सरकारी क्षेत्र में इनकी संख्या और भी बढ़ने की सम्भावना है। ये कारखाने मछलियों तथा अन्य वस्तुओं के परिरक्षण की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं।

(ख) मछलियों को ठण्डा रखने का काम ८ यूनिट कर रहे हैं। बर्फ के कारखानों की संख्या के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

(घ) लगभग ५५० से ५०० टन वार्षिक।

मछली का उत्पादन

†६२६. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७-५८ में विभिन्न राज्यों में 'पिसीकल्चर' द्वारा मछली का कुल कितना वार्षिक उत्पादन हुआ; और

(ख) १९५०-५१ की तुलना में ये आंकड़े कम हैं या अधिक ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) और (ख). राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

भारत में मशीनों द्वारा मछलियां पकड़ना

†६२७. **श्री वें० प० नायर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में मशीनों द्वारा मछलियां पकड़ने की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ख) मत्स्य उद्योग में मशीनों के प्रयोग के लिये द्वितीय योजना में अब तक कुल कितनी पूंजी लगाई गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) बम्बई, मद्रास और केरल राज्यों में मत्स्य उद्योग में मशीनों के प्रयोग में काफी प्रगति हुई है ; १२०० से अधिक नावों में मशीनें लगाई गई हैं। मैसूर, आन्ध्र और उड़ीसा में मशीनों का प्रयोग आरम्भ हो गया है। मछलियां पकड़ने के तरीकों को सुधारने और तट पर सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। बम्बई, मैसूर, केरल, मद्रास और

---

†मूल अंग्रेजी में

आंध्र में नाव बनाने के यार्डों की स्थापना की जा रही है। मछुओं को कम कीमत पर मछली पकड़ने के 'गीयर' दिये जाते हैं। बम्बई, मैसूर, केरल, मद्रास और आंध्र में ९ केन्द्रों में मशीनयुक्त नावों को चलाने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। १ जुलाई से ३१ दिसम्बर, १९५७ तक एफ० ए० ओ० नौसेना के वास्तुकला शास्त्री की देख रेख में समुद्री तट के पास के राज्यों के पदाधिकारियों को मशीन से चलने वाली नावों के नमूने तैयार करने और उनका निर्माण करने का छः मास का विशेष पाठयक्रम आयोजित किया गया। इसी प्रकार का एक दूसरा पाठ्यक्रम १ जुलाई, १९५८ से आरम्भ किया गया था। एफ० ए० ओ० के दो बन्दरगाह विशेषज्ञों ने मत्स्य ग्रहण बन्दरगाहों के विकास के लिये बम्बई, मैसूर, केरल और मद्रास के कुछ प्रमुख केन्द्रों का सर्वेक्षण किया था।

(ख) मशीनों द्वारा मछलियां पकड़ने की योजनाओं के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यह व्यवस्था की गई है :—

(लाख रुपये)

१. मछलियां पकड़ने के काम में सुधार	५४.८२
२. मछली पकड़ने के सामान का सम्भरण करना . . .	५४.४५
३. मत्स्य ग्रहण बन्दरगाहों का विकास	१०९.००
४. 'टैक्ल' का सुधार	१५.८३
कुल . .	२३४.१०

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मत्स्य उद्योग में मशीनों के प्रयोग में वास्तव में कितनी पूंजी लगाई गई है, इसके आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे का आसाम सैक्शन

†६२८. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे के आसाम सैक्शन के किन-किन स्टेशनों पर रेल इंजनों, सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की सफाई और मरम्मत आदि करने की सुविधायें उपलब्ध हैं ;

(ख) क्या इंजन, सवारी डिब्बों और माल डिब्बों की सफाई और मरम्मत का काम बकाया है ; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक वर्ग की संख्या और सफाई और मरम्मत आदि का काम कब तक पूरा हो जायेगा ;

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८१]**

---

†मूल अंग्रेजी में

नई रेलवे लाइनें

†६२९. {श्री दी० चं० शर्मा :
श्री दलजीत सिंह :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में कौन-कौन सी रेलवे लाइनों का निर्माण किया गया; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में और कौन कौन सी लाइनों का निर्माण किया जायेगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) एक विवरण, जिसमें नई बनाई गई रेलवे लाइनें बताई गई हैं, सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८२]

(ख) ये विचाराधीन हैं।

दिल्ली में चिड़ियाघर

†६३०. {श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण :
श्री दलजीत सिंह :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री ५ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९४९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली में चिड़ियाघर की स्थापना के सिलसिले में और क्या प्रगति हुई है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): ५-९-५८ को लोक-सभा में तारांकित प्रश्न संख्या ९४९ का उत्तर देने के बाद दिल्ली में चिड़ियाघर की स्थापना के सिलसिले में यह प्रगति हुई है :—

१. चालू और आगामी वित्तीय वर्षों में आरम्भ किये जाने वाले निम्नलिखित निर्माण कार्यों के नमूने और प्राक्कलन तैयार किये जा चुके हैं।

(१) गैंडे के लिये चौगिर्दे ;
(२) हाथियों के लिये चौगिर्दे; } १९५८–५९ में बनाये जायेंगे
(३) जिराफों और शुतुरमुर्गों के लिये चौगिर्दे;
(४) भूरे भालू के लिये चौगिर्दे;
(५) घोड़े आदि के लिये चौगिर्दे;
(६) अस्पताल और कारंटाइन का निर्माण;
(७) बैठने आदि के स्थान का निर्माण;
(८) मोटर गाड़ियां रखने, १००० साइकिलें रखने और कम्पाउण्ड की दीवारों का निर्माण।

---

†मूल अंग्रेजी में

२. जापानी नमूने की एक वाटिका लगाने के लिये स्थान चुन लिया गया है और उसमें जलमार्ग, तालाब, सड़कें आदि बनाने और जल का वितरण करने की लाइनें बनाने के प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं।

३. बोटैनिकल गार्डन का नक्शा और इसमें लगाये जाने वाले पौधों की सूची तैयार कर ली गई है और सड़कों, तालाबों और जल मार्गों और बिना छने पानी के पाइप लगाने के प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं।

४. पिछली बार उत्तर देते समय जिन ग्यारह जानवरों के चौगिर्दे बनाने का उल्लेख दिया गया था वे काफी बन चुके हैं और एक और चौगिर्दे का निर्माण शुरू कर दिया गया है। आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष में इन का निर्माण पूरा हो जायेगा। मुख्य द्वार और टिकट घरों का निर्माण कार्य आरम्भ हो गया है और आशा है कि ३१ मार्च १९५९ तक पूरा हो जायेगा।

५. कार्यालय की इमारत भी काफी हद तक बन चुकी है और इसका कुछ भाग लगभग एक मास में अत्यावश्यक कर्मचारियों के बैठने के लिये तैयार हो जायेगा।

६. तेंदुआ, रीछ, शेर, हाथी और गैंडे आदि ग्यारह जानवरों और बड़े पक्षियों के लिये चौगिर्दे बनाने की औपचारिक कार्यवाही पूरी हो चुकी है और शीघ्र ही कार्य आरम्भ होने की आशा है।

७. चिड़ियाघर के जानवरों में पांच कंगरू और चौबीस पक्षी बढ़ाये जायेंगे जो सिडनी चिड़ियाघर, आस्ट्रेलिया से निःशुल्क उपहार के रूप में मिल रहे हैं। आशा है कि ये जानवर दिसम्बर, १९५८ के प्रथम सप्ताह में चिड़ियाघर में पहुंच जायेंगे।

नई दिल्ली में आवारा जानवर

†६३२. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली की नगरपालिका समिति ने आवारा पशुओं की समस्या को हल करने के लिये सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख). इस प्रयोजन के लिये नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने दिल्ली प्रशासन के द्वारा खाद्य तथा कृषि मंत्रालय से ६०,००० रुपये का अनुदान मांगा है। दिल्ली प्रशासन इस सुझाव पर विचार कर रहा है।

जगाधरी-चंडीगढ़-रोपड़-लुधियाना लाइन

†६३३. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री २ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७९६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इसके पश्चात् जगाधरी-चंडीगढ़-रोपड़-लुधियाना लाइन के परिवहन सर्वेक्षण का प्रतिवेदन प्राप्त हो गया था;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस लाइन पर निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) द्वितीय योजना काल में बनाई जाने वाली लाइनों के योजना आयोग द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम में यह लाइन शामिल नहीं है ।

ब्यास नदी पर बांध

†६३४. **श्री राम कृष्ण :**
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हेम राज :

क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री १८ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १३८२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यास नदी पर बांध बनाने सम्बन्धी अनुसन्धान पूरा हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) अभी पंजाब सरकार उस परियोजना का अनुसन्धान कर रही है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

चरखी दादरी में टेलीफोन एक्सचेंज

†६३५. **श्री राम कृष्ण :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने चरखी दादरी, पंजाब में इस वर्ष टेलीफोन ऐक्सचेंज लगाने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कार्य आरम्भ हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो काम कब तक पूरा हो जायेगा; और

(घ) यदि अभी कार्य शुरू नहीं हुआ है तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) जी हां ।

(ख) से (घ). दिसम्बर, १९५८ के प्रारम्भ में स्थापना कार्य शुरू होगा और उसी मास के मध्य तक पूरा हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ईंधन उपभोग समिति

†६३६. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री बर्मन :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :
पंडित द्वा० ना० तिवारी :
श्री त० ब० विट्ठल राव :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री वि० च० शुक्ल :

क्या **रेलवे** मंत्री २ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८३४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने उसके पश्चात् ईंधन उपभोग समिति के प्रतिवेदन का परीक्षण किया था;

(ख) यदि हां, तो समिति ने कौन सी मुख्य सिफारिशें दीं और उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) सरकार ने इस के लिये क्या कार्यवाही की है कि रेलवे को घटिया किस्म का कोयला न दिया जाये और संभरण निश्चित किस्म का हो ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) प्रतिवेदन का परीक्षण हो रहा है।

(ख) सिफारिशों का सारांश सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८३**] कुछ सिफारिशों पर कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

(ग) (१) इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय से प्रार्थना की गई है कि वे :—

(१) कोयला खानों की सतह पर "ट्रैवलिंग पिमिंग बैल्ट्स" चालू की जायें जिनसे कि कोयले में से कूड़ा कर्कट आदि ठीक ढंग से निकाल दिया जाये और निश्चित ग्रेड के कोयले का लदान किया जाये;

(२) कोयले के ग्रेड शीघ्र निश्चित किये जायें;

(३) बंगाल और बिहार के कोयले की ग्रेडिंग फिर से की जाये क्योंकि वह दस वर्ष से अधिक पुरानी हो चुकी है;

(४) संविदा प्रणाली शीघ्र शुरू की जाये जिसके अनुसार रेलवे विशेष कोयला खानों से संविदा कर के कोयले का संभरण प्राप्त कर सके और घटिया किस्म का कोयला सप्लाई करने पर उन्हें जुर्माना कर सके।

(ग) (२) धनबाद में एक रेलवे कोयला निरीक्षणालय स्थापित करने का निश्चय किया गया है जो धीरे-धीरे सभी कोयला क्षेत्रों से रेलवे को किये जाने वाले कोयले के संभरण का निरीक्षण किया करेगा।

रेलवे विभाग बड़े पैमाने पर कोयले की किस्मों का सावधिक सर्वेक्षण किया करेगा जिस से घटिया कोयले का संभरण न किया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में

हिमाचल प्रदेश में भूमि का कटाव

†६३७. **श्री बर्मन :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि **वनों** को काट देने के कारण हिमाचल प्रदेश में भूमि का कटाव बहुत अधिक होता रहा है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : जी हां, परन्तु उन्हीं वनों में जिनका सीमांकन नहीं किया गया है और बंजर भूमि में ऐसा हुआ है। १९५८–५९ में पांच भू-संरक्षण योजनायें, ४ वनों के लिये और एक कृषि भूमि के लिये बनाई गई हैं जिन पर कुल २.५८ लाख रुपये लागत आयेगी और उन पर कार्य संतोषजनक रूप से हो रहा है। बंजर भूमि को बन्द किया जा रहा है और वन लगाने का और "गल्ली प्लानिंग" का कार्य हो रहा है।

हिमाचल प्रदेश में कृषि संबंधी आंकड़े

६३८. **श्री पद्म देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में कृषि सम्बन्धी आंकड़े इकट्ठे करने और उनमें सुधार की कोई योजना प्रारम्भ की गई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो यह योजना कब प्रारम्भ की जायेगी ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) अभी तक नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

(ग) १९५९-६० में।

मंडी जिले (हिमाचल प्रदेश) में पशु-पालन योजना

६३९. **श्री पद्म देव**: क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में आरम्भ की गई पशु-पालन योजना के अन्तर्गत अब तक क्या प्रगति हुई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : पूछी हुई जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखियें परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८४]**

रिंडरपेस्ट

६४०. **श्री पद्म देव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के किन-किन जिलों में रिंडरपेस्ट के उन्मूलन की योजना चाल की गई है; और

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत अब तक कितना काम किया जा चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) बिलासपुर और मंडी ज़िलों में।

(ख) इस योजना के अन्तर्गत बिलासपुर ज़िले में कार्य पूरा कर दिया गया है। मंडी ज़िले की सुन्दर नगर और मंडी तहसीलों में कार्य चालू है। दोनों ज़िलों में अभी तक १,१०,००० डोरों को टीके लगाये जा चुके हैं।

पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्नों का संभरण

†६४१. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री हाल्दर :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल को नवम्बर, १९५८ में खाद्यान्न का कितना संभरण किया गया और दिसम्बर, १९५८ में कितना किया जायेगा; और

(ख) क्या यह मात्रा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) नवम्बर, १९५८ के लिये पश्चिमी बंगाल को केन्द्रीय रक्षित भंडार में से ४१,००० टन चावल और ६१,००० टन गेहूं आवंटित किया गया है। दिसम्बर, १९५८ के लिये चावल और गेहूं के आवंटन का मामला विचाराधीन है।

(ख) जी हां।

पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्य आत्म निर्भरता

†६४२. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :
श्री नागी रेड्डी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़ी क्षेत्रों को खाद्य के बारे में आत्म निर्भर बनाने की योजना बनाने के लिये कोई समिति नियुक्त की गई है; और

(ख) यदि हां, तो समिति की रचना क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां। एक समिति नियुक्त की गई है जिसका नाम "इनएकसैसिबल एरिया कमेटी"[1] है।

(ख) समिति की रचना बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८५]**

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Inaccessible Area Committee.

प्रतिरक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

†६४३. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री भक्त दर्शन :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना प्रतिरक्षा विभाग के उन असैनिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होती जिनका मुख्यालय दिल्ली में है परन्तु जो शकूरबस्ती में रहते हैं;

(ख) क्या यह अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना उन प्रतिरक्षा असैनिक कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होती जिनका मुख्यालय दिल्ली छावनी में है; और

(ग) क्या सरकार का यह विचार है कि प्रतिरक्षा विभाग के इन असैनिक कर्मचारियों पर भी स्वास्थ्य योजना लागू की जाये ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) इस समय अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना प्रतिरक्षा विभाग के उन असैनिक कर्मचारियों पर लागू होती है जिनका मुख्यालय दिल्ली/नई दिल्ली है और जो वे इस योजना में शामिल क्षेत्रों में रहते हैं। शकूरबस्ती में रहने वाले सरकारी कर्मचारियों के किसी भी वर्ग पर यह योजना लागू नहीं होती क्योंकि योजना का क्षेत्राधिकार उन बस्ती तक नहीं बढ़ाया गया है।

(ख) अभी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना प्रतिरक्षा विभाग के उन असैनिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होती जिनका मुख्यालय दिल्ली छावनी में है।

(ग) दिल्ली छावनी में रहने वाले प्रतिरक्षा विभाग के सभी वर्गों के असैनिक कर्मचारियों पर अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना लागू करने पर विचार है परन्तु अभी अन्तिम निर्णय नहीं हुआ है।

डाक और तार विभाग में सतकर्ता संगठन

६४४. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक और तार विभाग में भ्रष्टाचार और अन्य बुराइयों के उन्मूलन के लिये सतर्कता संगठन स्थापित किया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो इस संगठन की शक्तियां क्या हैं और किस स्तर पर किस प्रकार के पदाधिकारी रखे गये हैं; और

(ग) इस संगठन ने अब तक किस प्रकार का कितना काम किया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) पिछले जून में सरकारी कर्मचारियों के प्रति की गयीं शिकायतों का निपटान करने तथा भ्रष्टाचार व दुराचारों का सामना करने के निमित्त दण्ड देने तथा रोक-थाम रखने के उपायों को कार्यरूप देने के लिये १७ उच्च स्तर के अफ़सरों को १७ परिमण्डलों/प्रशासन-दफ़्तरों में सतर्कता-अफ़सर लगाये जाने के प्रयोजन से चुना गया था।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) उनके द्वारा किये गये काम के प्रकार व उसकी मात्रा के विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

होटल तथा भारतीय वेश-भूषा

†६४५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कुछ ऐसे भी होटल हैं जिनमें भारतीय वेश-भूषा अर्थात् धोती और कुर्ता पहन कर भारतीयों को उनकी सीमा में नहीं घुसने दिया जाता;

(ख) यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) इस प्रकार के विभेदकारी व्यवहार को समाप्त करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

नई दिल्ली में सड़कों की मरम्मत

†६४६. **{पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री हरिश्चन्द्र माथुर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली में जुलाई, १९५८ में वर्षा से जिन सड़कों की हालत खराब हो गई थी उनकी अभी तक मरम्मत नहीं हुई है;

(ख) यदि हां, तो उन सड़कों की संख्या कितनी है जिनकी अभी मरम्मत होनी बाकी है; और

(ग) कितना नुकसान हुआ तथा उन सड़कों की मरम्मत में कितना व्यय हुआ ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) और (ख). नई दिल्ली क्षेत्र में वर्षा से जितनी सड़कें खराब हो गई थीं उन सब की मरम्मत हो गई है।

(ग) मरम्मत पर अनुमानतः १०,००० रुपया व्यय किया गया है।

नगर आयोजन संबंधी आदर्श विधान

†६४७. **श्री राम कृष्ण :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार "नगर आयोजन सम्बन्धी आदर्श विधान" जारी करने के प्रश्न पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) और (ख). भारत की नगर आयोजकों की संस्था द्वारा तैयार किया गया एक आदर्श राज्य नगर आयोजन विधान का प्रारूप अक्तूबर, १९५७ में राज्य सरकारों में उन की प्रतिक्रिया जानने के लिये परिचालित किया गया था। इस मामले पर नई दिल्ली में २७ से २९ अक्तूबर, १९५८ तक स्थानीय स्वायत्त शासन की केन्द्रीय परिषद् की बैठक में विचार किया गया था जिस में यह निश्चय किया गया था कि केन्द्रीय प्रादेशिक तथा नगर आयोजन संगठन को देश में नगर आयोजन की समस्या के सभी पहलुओं की जांच करने और उन के बारे में अपनी सिफारिशें भेजने के लिये शीघ्र ही एक सम्मेलन का आयोजन करना चाहिये जिस में राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हों। इस सम्बन्ध में और आगे कार्यवाही सम्मेलन की सिफारिशें प्राप्त हो जाने के पश्चात् की जायेगी।

सरहिन्द नहर का नये नमूने का बनाया जाना

†६४८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरहिन्द नहर को नये नमूना का बनाने का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि नहीं तो विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) यह कार्य किस तिथि तक समाप्त होने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). प्रश्न सउत्पन्न नहीं होते।

पंजाब राज्य परिवहन निगम

†६४९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग द्वारा सुझाये गये राज्य परिवहन निगम की स्थापना करने पर पंजाब सरकार तैयार नहीं हुई ; और

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी नहीं। पेप्सू सड़क परिवहन निगम नामक एक निगम विद्यमान पंजाब राज्य के भूतपूर्व पेप्सू के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। पठानकोर्ट से मनाली तक अन्तर्राज्य मार्ग पर सड़क परिवहन सेवा चलाने के लिये जिस त्रिपक्षीय निगम बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, पंजाब सरकार ने उस में भाग लेना स्वीकार कर लिया है, इस के अन्य दो पक्ष हिमाचल प्रदेश प्रशासन और रेलवे मंत्रालय हैं। पंजाब के अवशिष्ट क्षेत्रों के लिये एक सड़क परिवहन निगम स्थापित करने का प्रश्न राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बर्मा से चावल का संभरण

†६५०. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बर्मा में हाल में हुए परिवर्तनों के परिणामस्वरूप भारत को संभरण किये जाने वाले चावल पर किसी प्रकार का प्रभाव पड़ा है ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो कहां तक ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पंजाब में चीनी की मिलें

†६५१. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जगाधरी चीनी मिल क्षेत्र में १९५७-५८ में गन्ने से कितने प्रतिशत चीनी निकलती है ; और

(ख) फगवाड़ा और भोगपुर चीनी मिल क्षेत्रों में कितने प्रतिशत चीनी निकलती है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) ९.७४ प्रतिशत ।

(ख) फगवाड़ा ९.४५ प्रतिशत
भोगपुर ८.९८ प्रतिशत

रेल गाड़ी पर पत्थर फेंकना

६५२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि ६ अक्तूबर, १९५८ को कुछ छात्रों ने आरा स्टेशन के पास जैन कालेज के सामने जनता अप एक्सप्रेस की जंजीर खींची और उस पर ईंट पत्थर चलाये जिस के फलस्वरूप कई यात्रियों को चोटें आईं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : जी हां । ६-१०-५८ को कुछ विद्यार्थी हावड़ा-दिल्ली जनता एक्सप्रेस में सफर कर रहे थे । साथ के दूसरे मुसाफिरों से उन्होंने झगड़ा किया और जैन कालेज, आरा के सामने खतरे की जंजीर खींची । गाड़ी से उतर कर विद्यार्थियों ने बोगी नम्बर सी० टी० वाई० ६८८९ पर पत्थर मारे जिस की वजह से सात मुसाफिरों को चोटें आयीं और बोगी की खिड़कियों के शीशे टूट गये ।

भूमि अर्जन अधिनियम

†६५३. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन करने का विचार रखती है ; और

(ख) यदि हां, तो संशोधनकारी विधेयक सभा के समक्ष कब रखने का विचार है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख) .भूमि अर्जन अधिनियम में संशोधन करने के सम्बन्ध में विधि आयोग ने अपने दसवें प्रतिवेदन में कुछ सिफारिशें की हैं । अधिनियम में संशोधन करने के बारे में निर्णय भिन्न-भिन्न सिफारिशों की जांच कर के ही किया जा सकेगा । इसमें कुछ समय लग सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में खानों की परिवहन संबंधी क्षमता

†६५४. **श्री दामानी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा की खानों की परिवहन सम्बन्धी क्षमता में वृद्धि करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या अतिरिक्त रेलवे सुविधायें देने का कार्यक्रम बनाया गया है और उन्हें कार्यान्वित किया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) उड़ीसा की खानों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में अतिरिक्त लौह अयस्क, कच्चा मैंगनीज़ तथा चूने के ले जाने के लिये निर्धारित अतिरिक्त सुविधायें और अब तक कार्यान्वित की गई सुविधायें निम्न प्रकार हैं :—

(१) राजखरस्वान और वराजमाडा के बीच लाइन का दुहरा करना (६० मील में से ५३ मील तक लाइन दुहरी की जा चुकी है)

(२) नोआमुंडी से बांसपानी तक १८ मील लम्बी एक नई शाखा लाइन खोलना (यह काम पूरा किया जा चुका है)

(३) बराजमाडा-बराबिल ब्रांच का पनपोह गोर्ग तक बढ़ाना (६ मील)

(४) गुआ, बराजमाडा-नोआमुंडी और डांगोआपासी यार्डों तक बढ़ाना ।

(५) रूरकेला से डुमारो तक एक नई बांच लाइन खोलना (४२ मील)

(६) जयपुर में क्योंझर रोड पर दो अयस्क लदाने के साइडिंग का उपबन्ध (इन की व्यवस्था की जा चुकी है)

(७) भारी बोझ ले जाने के लिये डब्ल्यू० जी० इंजन चलाने के वास्ते रूरकेला-वीर-मित्रपुर शाखा पर कोयल पुल की सड़क में सुधार करने और पुल को फिर से बनाना ।

(८) बीरमित्रपुर यार्ड को नये नमूने का बनाना ।

मद संख्या (१) से (६) लौह अयस्क और कच्चे मैंगनीज़ को ले जाने के बारे में है और शेष चूना ले जाने के लिये है ।

किरीबुडू क्षेत्र से विज़ागापटम पत्तन से हो कर लौह अयस्क ले जाने के लिये किरीबुडू से रूरकेला-डुमारो शाखा तक प्रस्तावित नई लाइन बनाने का विचार है तथा सम्बलपुर और टिटलागढ़ के बीच एक रेल सम्पर्क बनाने का विचार किया गया है—जिस के लिये विदेशी मुद्रा के अंश का वित्तपोषण विदेशी सहायता त्रिपक्षीय योजना के रूप में किया जायेगा तथा यह द्वितीय मूल योजना के निर्माण कार्यों के अतिरिक्त होगा । ये सुविधायें तृतीय योजना काल में उपलब्ध नहीं होंगी ।

बिनौले

†६५५. **श्री दामानी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिनौलों में तेल की मात्रा में वृद्धि करने के बारे में कोई गवेषणा की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला और वह किस प्रकार का है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) विभिन्न गवेषणा केन्द्रों में बिनौलों के बीज तैयार करने के प्रयोगों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के जो बिनौले उपलब्ध हुए हैं उनमें तेल की मात्रा निश्चित करने के लिये माटुंगा की भारतीय केन्द्रीय कपास समिति की कपास प्रौद्योगीकीय प्रयोगशाला में गवेषणा जारी है। इस का उद्देश्य ऐसे प्रारम्भिक आंकड़े एकत्र करना है जिन के आधार पर अधिक तेल वाले बीज तैयार करने के लिये कार्य की भावी योजना और कार्यक्रम तैयार किया जा सके ।

(ख) तेल की मात्रा निर्धारित करने के बारे में अब तक किये गये प्रयोग से पता लगा है कि अमरीकी बिनौले में औसतन लगभग १८–१९ प्रतिशत और 'आरबोरियम' एवं 'हरबेसियम' में १७-१८ प्रतिशत तेल की मात्रा होती है यह भी पता लगा था कि बिनौलों में तेल की मात्रा और रेशों की लम्बाई और उस के भार आदि अन्य विशेषताओं में कोई सम्बन्ध नहीं होता ।

दिल्ली के लिये एलेक्ट्रो-थैंक्टर[1]

†६५६. **श्री राम कृष्ण** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने आवारा कुत्तों को सहृदयता से मारने के लिये एक एलेक्ट्रो-थैंक्टर प्राप्त करने का निश्चय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या औजार प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उस से काम लेना आरम्भ कर दिया गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) दिल्ली नगरपालिका समिति ने असैनिक पशु चिकित्सालय, नई दिल्ली में इस्तेमाल करने के लिये एक एलेक्ट्रो-थैंकटर खरीदने के हेतु आयव्ययक में उपबन्ध कर लिया है ।

(ख) एलेक्ट्रो-थैंक्टर अभी इस कारण प्राप्त नहीं हो सका है कि यह भारत की किसी फर्म के पास उपलब्ध नहीं है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अम्बाला में ऊपरी पुल

†६५७. **श्री राम कृष्ण** : क्या **रेलवे** मंत्री, २५ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ८०४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अम्बाला में ग्रांड ट्रंक ोड पर समतल-पारण के उपर पुल बनाने के लिये उस की ड्राइंग और प्राक्कलन तैयार कर लिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) और (ख). इस्पात के गर्डर की ड्राइंग तथा सामान्य प्रबन्ध पर समिति पंजाब के लोक निर्माण विभाग के पास से प्राप्त हो गई है। मिलने वाले स्थान और नींव पर डिजाइन की योजनायें तैयार हो गई हैं जो शीघ्र ही स्वीकृति के लिये पंजाब के लोक निर्माण विभाग को भेज दी जायेंगी। योजनाओं पर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर आवश्यक प्राक्कलन तैयार किया जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Electro Thancter

गंगा नदी बोर्ड

†६५८. **श्री विमल घोष** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री, २३ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल सरकार से गंगा के लिये एक नदी बोर्ड स्थापित करने के बारे में प्राप्त प्रस्ताव पर कोई निर्णय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). जी नहीं। नदी बोर्ड स्थापित करने के लिये जिन आंकड़ों का संकलन करना आवश्यक होता है, जिस की स्थापना सामान्यतः काम करने के लिये आवश्यक होती है, आरम्भ कर दिया गया है।

डोहरीघाट और अयोध्या में घाघरा नदी पुर पुल

†६५९. **श्री कालिका सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डोहरी घाट और अयोध्या में घाघरा नदी पर पुल बनाने के सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है; और

(ख) इन पुलों के पूरे बन जाने के लिये कौन सा समय निर्धारित किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) डोहरीघाट में घाघरा नदी पर एक स्थायी पुल बनाने पर वित्त की कमी और विदेशी मुद्रा व्यय करने पर प्रतिबन्धों के कारण प्राथमिकता नहीं दी जा रही है तथा अन्तरिम प्रबन्ध के रूप में एक अस्थायी नाव पुल बनाने पर विचार किया जा रहा है।

अयोध्या में घाघरा पर जहां तक पुल बनाने का संबंध है, ८०.५२ लाख रुपये की कीमत पर गाइड बन्दों के लिये मंजूरी दे दी गई है जो प्रगति पर है। खास पुल बनाने की योजना और प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं।

(ख) डोहरीघाट में अस्थायी नाव पुल १९५९ के अन्त तक बन कर तैयार हो जाने की आशा है अयोध्या में पक्का पुल बनने में कार्य के आरम्भ होने से ले कर तीन वर्ष लगेंगे।

विभिन्न प्रकार के रेलवे स्टीमरों में ईंधन की खपत

†६६०. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार और बंगाल में चलने वाले विभिन्न प्रकार के रेलवे स्टीमरों में प्रतिदिन कितना ईंधन लगता है;

(ख) क्या यह सच है कि पिछले कुछ वर्षों में इन स्टीमरों में ईंधन की खपत बढ़ गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). रेलों से जानकारी एकत्र की जा रही है जो प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

उत्तर प्रदेश में नदी का पुनः प्रकट होना

†६६१. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य और कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि विस्मृत हरिनाद नामक एक नदी जो पिछली कई शताब्दियों से सूख चुकी थी और जो केवल लोक गीतों तक ही सीमित रह गई थी, हाल में हुई अत्याधिक वर्षा और बाढ़ में उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में पुनः प्रकट हो गई है ।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: अगस्त, १९५८ में, अलीगढ़ जिले के सुझिया क्षेत्र में अत्याधिक वर्षा के कारण आगरा जिले में अत्यन्त वर्षा हुई थी। वर्षा का जल एतमादपुर तहसील में अमानाबाद नामक गांव के निकट जाकर भर गया तथा उक्त प्रदेश में पुराने स्वाभाविक ढलान में बहने लगा। अन्ततोगत्वा वह आसन गांव के निकट फीरोजाबाद तहसील में सिरसा नदी से जाकर मिल गया। आशा यह की जाती है कि वह शीघ्र ही सूख जायेगा। उपलब्ध रेकार्डों के आधार पर यह कहना संभव नहीं कि विस्मृत नदी पुनः प्रकट हो गई है।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

६६२. **श्री भक्त दर्शन** :
श्री नवल प्रभाकर :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना अभी तक भारत सरकार की सभी श्रेणियों के कर्मचारियों पर लागू नहीं की जा सकी है; और

(ख) यदि हां, तो किस किस मंत्रालय के किस किस श्रेणी के कर्मचारी इस सुविधा से वंचित हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां।

(ख) निम्नांकित वर्गों के केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के अन्तर्गत नहीं आते हैं:—

(१) दिल्ली कैंट में काम करने वाले प्रतिरक्षा मंत्रालय के असैनिक कर्मचारी;

(२) वर्क चार्ज्ड स्टाफ जो नियमित संस्थापन पर नहीं है ;

(३) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, जो प्रति-नियुक्ति में अथवा उन अर्ध-सरकारी संस्थाओं या स्वायत्त निकायों (दिल्ली नगर निगम के अतिरिक्त) की बाह्य सेवा में हैं, जो अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना में विधिवत् शामिल नहीं हैं ।

(४) रेलवे सेवाओं के (रेलवे बोर्ड ए ' सम्पर्क कार्यालय के कर्मचारियों के अलावा), वे सरकारी कर्मचारी, जो अलग नियमों से प्रशासित होते हैं; और

(५) ऐसे सरकारी कर्मचारी, जो दिल्ली और नई दिल्ली में काम करते हैं, लेकिन दिल्ली के चारों तरफ बाहरी क्षेत्रों में रहते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

योग में प्रशिक्षण

†६६३. **श्री राम कृष्ण** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंच वर्षीय योजना काल में योग में प्रशिक्षण देने के लिये कुछ सुविधाओं की व्यवस्था करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अखिल भारतीय स्वास्थ्य विद्या तथा लोक स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता

†६६४. **श्री सुबिमन घोष** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय स्वास्थ्य विद्या तथा लोक स्वास्थ्य संस्था के सिंगूर स्वास्थ्य एवं प्रशिक्षण केन्द्र के छात्रावास में छात्रों की कितनी संख्या है;

(ख) उनमें से विदेशों के कितने छात्र हैं ;

(ग) इस केन्द्र में अब तक कितने लोगों ने प्रशिक्षण पाया है; और

(घ) विदेशों से सर्वप्रथम किस वर्ष प्रशिक्षार्थी आये ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ७२ छात्र ।

(ख) विदेशों के ११ छात्र ।

(ग) २१८६ छात्र ।

(घ) १९४४ ।

शल्य क्रिया द्वारा आंख की पुतली बदलना

†६६५. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मेडिकल अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग का प्रतिनिधित्व करने वाले आंखों के अमरीकी सर्जन एवं मद्रास के आंख रोगवेता ने मिलकर, जो २५ सितम्बर, १९५८ को मद्रास में मिले थे और जिनके बीच चर्चा हुई थी, आंख की पुतली बदलने के बारे में क्या तरीका ढूंढा गया है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : २५ सितम्बर, १९५८ को सरकारी आंख अस्पताल मद्रास में मेडिकल अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग के प्रतिनिधि आंख के अमरीकी सर्जन तथा मद्रास के आंख रोगवेताओं के बीच ट्रान्सप्लान्टेशन के बारे में जो वाद-विवाद हुआ था उससे कोई नया तरीका नहीं ढूंढा जा सका है । आंख के अमरीकी सर्जन डा० एच० सालसुगर, डा० रोनेल्ड लोवे और डा० ए० बेनेडिक्ट रिज्जुही ने बताया है कि "पुपिल ब्लाक इन एफाकिक आइज", "अक्यूट ग्लूकोमा रिक्वायरिंग कैटरेट एक्सट्रैक्शन" और "कैटरेट सर्जरी आफ्टर ग्लूकोमा आपरेशन" विषयों पर क्रमश : भाषण दिये थे । तत्पश्चात् इस पर विचार-विमर्श किया गया जिसमें इस देश आने वाले चक्षुरोग चिकित्सकों से यहां के मेडिकल अधिकारी ने यह पूछा कि क्या आंख बिल्कुल खराब हो जाने की दशा में भी पुतली बदली जा सकती है, जिसका उन्होंने कोई निश्चित उत्तर नहीं दिया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे सज्जा के लिये स्वदेशी क्षमता

†६६६. { श्री हाल्दर :
श्री राम कृष्ण :

क्या रेलवे मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में रेलवे सज्जा की कई महत्वपूर्ण वस्तुओं की स्वदेशी क्षमता बहुत कम ही थी;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने स्वदेशी क्षमता को बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की; और

(ग) अनिवार्य सज्जा के आयात के लिये विश्व बैंक ने कितनी और किस प्रकार की सहायता दी ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८६]

(ग) १७५० लाख डालर; दो ऋणों में ।

दिल्ली का चिड़ियाघर

†६६७. श्री विभूति मिश्र : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक दिल्ली के चिड़ियाघर के लिये किन-किन स्थानों से जानवर लाये गये हैं और वे कौन-कौन से जानवर हैं;

(ख) क्या यह सच है कि जो जानवर यहां रखे गये हैं उन सब के लिये दिल्ली की जलवायु अनुकूल नहीं है; और

(ग) क्या सरकार इस बात को देखते हुए चिड़ियाघर को किसी और जगह ले जाने का विचार कर रही है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :(क) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८७]

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता ।

पंजाब द्वारा संभरित बीज का गेहूं

६६८. श्री मोहन स्वरूप : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने रबी की फसल बोने के लिये कुछ राज्यों को गेहूं के बीज दिये हैं तथा केन्द्रीय सरकार ने उसके बदले उतनी ही गेहूं देने की सहमति दी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी गेहूं संभरित की जा रही है और किन-किन राज्यों को लाभ पहुंचा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) (१) राजस्थान . . . . १,५०,००० मन
(२) मध्य प्रदेश . . . . १,००,००० मन
(३) उत्तर प्रदेश . . . . ५,००,००० मन
(४) बिहार . . . . २५,००० मन

कुल . . ७,७५,००० मन

हावड़ा–बर्दवान कार्ड लाइन पर बिजली की गाड़ियां

†६६९. श्री सुबिमल घोष : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा-बर्दवान कॉर्ड लाइन पर बिजली की गाड़ियां चलाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब आरम्भ की जायेगी और इसे कब तक पूरा किया जायेगा; और

(ग) योजना का अनुमानित व्यय कितना होगा ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) से (ग). हावड़ा-बर्दवान कॉर्ड, दुर्गापुर-बर्दवान-हावड़ा गोदी सेक्शन का एकीकृत भाग है और इसके विद्युतीकरण की योजना द्वितीय पंच वर्षीय योजना के कार्यक्रम में सम्मिलित की जा चुकी है । विदेशी मुद्रा के अभाव, विद्युत् के अभाव इत्यादि के कारण से इन विभागों का काम दूसरे रूप से रेखांकित करना पड़ा । दुर्गापुर-बर्दवान-हावड़ा गोदी सेक्शन में अब केवल असैनिक इंजिनीयरिंग कार्य करने का ही निश्चय किया गया है । अन्य विद्युतीकरण के कार्य अर्थात् ऊपरी सज्जा का संस्थापन, सब स्टेशनों का निर्माण, सिगनलों का परिवर्तन तथा दूर संचार इत्यादि ये सब बातें तीसरी योजना में ही पूरी की जायेंगीं। अनुमान है कि विद्युतीकरण पर १३.४ करोड़ रुपये व्यय होंगे ।

गंडक, राप्ति, घाघरा तथा रोंहिणी परियोजनायें

†६७०. श्री कालिका सिंह : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन वर्षों में गंडक, राप्ती तथा घाघरा और रोहिणी परियोजनायें प्रस्थापित हुई थीं और अब तक उन योजनाओं के अन्तिम रूप में कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इन परियोजनाओं को कब तक क्रियान्वित करना है; और

(ग) ऊपरी परियोजनाओं के क्या अनुमानित व्यय हैं तथा क्या लाभ हैं ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें आवश्यक जानकारी दी जाती है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८८]

†मूल अंग्रेजी में

टिटोरा से कलोल तक रेल का भाड़ा

†६७१. **श्री पु० र० पटेल :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोई अभ्यावेदन आया है कि टिटोरा तथा कलोल के बीच किराये के लिये चार मील का अन्तर है पांच का नहीं; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की जाती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां।

(ख) १-११-५८ से यात्री किराया केवल ४ मील पर ही लगाया जा रहा है।

ब्रह्मपुत्र का पुल

†६७२. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मपुत्र पुल के निर्माण का ठेका दे दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक दिया जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) हां, श्रीमान्। यह ठेका मैसर्ज हिन्दुस्तान कंस्ट्रक्शन कम्पनी को दिया गया है। ठेके के अनुसार वे नींव तथा निचला हिस्सा ही बनायेंगे।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

आंध्र में राष्ट्रीय मलेरिया तथा फाइलेरिया कार्यक्रम

†६७३. **श्री ई० मधुसूदन राव :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने राष्ट्रीय मलेरिया तथा फाइलेरिया नियंत्रण योजनाओं के अन्तर्गत आंध्र राज्य को क्रमशः कितनी-कितनी धनराशि दी है;

(ख) क्या १९५८-५९ के लिये मलेरिया शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत भी आंध्र को मलेरिया नियंत्रण के लिये कोई राशि दी गई है;

(ग) क्या कोई और सहायता भी दी गई है; और

(घ) क्या सरकार के पास आन्ध्र सरकार की कोई ऐसी जानकारी आई है जिसमें बताया गया हो कि यह राशि अब तक जिलावार किस प्रकार से व्यय हुई ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) १९५५-५६ से १९५७-५८ तक राष्ट्रीय फ्लइलेरिया कार्यक्रम के अधीन ११.४८ लाख रुपये तथा १९५३-५४ से १९५७-५८ तक मलेरिया कार्यक्रम के अन्तर्गत ४९.५६ लाख रुपये।

(ख) राष्ट्रीय मलेरिया शिक्षा योजना १९५८-५९ के अन्तर्गत केन्द्र अनुमानतः आंध्र को ४७.५७ लाख की राशि देगा।

(ग) जी हां। वित्तीय सहायता तथा सामग्री एवं सज्जा की सहायता के अतिरिक्त हम उन्हें मलेरिया इंस्टीट्यूट के योग्य चिकित्सकों की सेवायें भी देते हैं। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी योजना की कार्यान्विति में सहायता देने के लिये स्वतः वहां जाते हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

१० चिकित्सा पदाधिकारी तथा दो फाइलेरिया निरीक्षक जिन्हें राज्य सरकार ने नामांकित किया था, फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की कार्यान्विति के लिये एरणाकुलम् के फाइलेरियासिस प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षित किये गये हैं। १४ चिकित्सा पदाधिकारी और ५ मलेरिया निरीक्षक आंध्र से अब तक मलेरिया विज्ञान में प्रशिक्षित किये गये हैं। राष्ट्रीय मलेरिया शिक्षा योजना के बारे में आंध्र को प्रचार सामग्री, पोस्टर, तथा पुस्तिकाएं तथा फिल्में आदि भेज दी गई हैं। जून १९५८ में प्रचार सप्ताह मनाया गया था।

(घ) राष्ट्रीय फाइलेरिया या मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम के लिये जिलावार काम की कोई जानकारी आन्ध्र की ओर से प्राप्त नहीं हुई। किन्तु उनके प्रतिवेदनों के अनुसार उनका व्यय इस प्रकार है :—

	राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम	राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम
	रुपये	रुपये
१९५३–५४ . .	६,०६,०००	
१९५४–५५ . . .	४,३७,३१६	
१९५५–५६ . . .	३,२७,५०३	१,८०,३४३
१९५६–५७	९,०५,५४१	४९,३११
१९५७–५८	१७,०९,४००	४९,५०८

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग के टेक्नीकल प्रशिक्षण केन्द्र

†६७४. श्री कोडियान : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के टैक्नीकल प्रशिक्षण केन्द्रों में कितने टैक्नीशियन प्रशिक्षित हुए ;

(ख) प्रत्येक प्रशिक्षार्थी पर कितना व्यय हुआ तथा इस अवधि में प्रशिक्षण पर कुल कितना; और

(ग) प्रशिक्षण के पश्चात् कितनी संख्या को नौकरियां दी गईं ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) कोटा तथा नागार्जुनसागर के प्रशिक्षण केन्द्रों म गत दो वर्षों में १३४ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया।

(ख) प्रत्येक प्रशिक्षार्थी पर लगभग ८००० रुपया वार्षिक व्यय होता है। प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र पर गतावधि में १६.८६ लाख व्यय हुआ जिसमें ४ लाख आवर्तक व्यय है तथा शेष १२.८६ लाख अनावर्तक व्यय जो कि मशीनरी तथा सामान के कारण था।

(ग) प्रशिक्षित १३४ व्यक्तियों में से, ८३ तो सरकारी नौकर हो गये, ५ अर्ध-सरकारी संस्थापनों में गये और ९ गैर-सरकारी निकायों में गये। शेष ३७ के बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं है।

†मूल अंग्रेजी में

रेडियो लाइसेंस

†६७५. **श्री सुबिमन घोष** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक ही लायसेंस में जबकि पहिले एक मकान में चार रेडियो सैट रखने की अनुमति थी अब एक से अधिक रेडियो सैट रखने में क्यों प्रतिबन्ध लगा दिया है ; और

(ख) एक ही मकान में रखे गये खराब रेडियो सैटों पर भी पृथक लायसेंस क्यों लगाया जा रहा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)**: (क) रेडियो सैटों के लिये दो प्रकार के लायसेंस होते हैं।(१) रेडियो सैटों को काम में लाने का (२) रेडियो सैट रखने का। दूसरे प्रकार का लायसेंस उन सैटों के लिये होता है जो काम में नहीं लाये जाते हैं। वह मुख्यत: रेडियो विक्रेताओं के लिये होता है।

(ख) १–११–१९५८ के पूर्व, पहिले प्रकार के लायसेंस के अन्दर एक ही मकान में काम में लाये जाने वाले रेडियो सैटों की संख्या सीमित नहीं की गई थी। यह रियायत हटा दी गई है और प्रत्येक सैट के लिये पृथक् लायसेंस लेना होगा यह रेडियो सैटों के अनधिकृत उपयोग को रोकने के लिये किया गया है। लायसेंस शुल्क आकाशवाणी द्वारा किये गये प्रसारण सम्बन्धी सेवाओं के लिये लिया जाता है। इसलिये यह शुल्क काम में आने वाले प्रत्येक रेडियो सैट के आधार पर लिया जाता है।

रेडियो सैटों को रखने के लायसेंस शुल्क में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और एक लायसेंस के अन्तर्गत मनमानी संख्या में २ रेडियो सैट रखे जा सकते हैं।

बाढ़ से रक्षा करने के उपाय

†६७६. **श्री झूलन सिंह** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस बात का कोई हिसाब लगाया गया है कि पिछले पांच वर्षों में बाढ़ से रक्षा करने के उपायों को काम में लाने के परिणामस्वरूप कुल कितने क्षेत्र की रक्षा हुई है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : प्रश्न का उत्तर हां में है। देश में अब तक काम में लाये गये बाढ़ रक्षा उपायों से ५० लाख एकड़ भूमि, ४२ शहर व ४००० गांवों की रक्षा हुई है।

छपरा-सावन शाखा लाइन में पुरानी लाइन के स्थान पर नई रेलवे लाइन बिछाना

†६७७. **श्री झूलन सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मशरक होकर जाने वाली छपरा सावन शाखा लाइन को बिल्कुल बदल कर नई लाइन बिछाई जा रही है ;

(ख) क्या पटरी से गाड़ी उतर जाने के भय से इस पुरानी पटरी पर गाड़ियां बहुत देर से चल रही हैं इसलिये समय सारिणी में कई बार परिवर्तन करने पड़े हैं तथा कमी को पूरा करने के लिये गाड़ियों के समय को एक या दो घंटे बढ़ा दिया गया है ;

(ग) क्या दूर जाने वाली गाड़ियों के यात्रियों की असुविधा को भी ध्यान में रखा गया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । मशरक थावे भाग में, पुरानी पटरी और गाड़ियों की धीमी गति के कारण ७-९-५८ से गाड़ियों का समय बदल दिया गया है ।

(ग) जी हां । छपरा और सावन स्टेशन पर अधिक से अधिक गाड़ियों का मेल करवाने का प्रयत्न किया गया है ।

अन्दमान से इमारती लकड़ी

†६७८. **श्री प्र० के० देव ।**
श्री वि० चं० प्रधान :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीप समूहों से इमारती लकड़ी के निर्यात के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) क्या सरकार अन्दमान के जंगलों में सरकारी क्षेत्र में प्लाइवुड और उसी प्रकार की अन्य लकड़ियों का कारखाना खोलने का विचार कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) दक्षिण और मध्य अन्दमान में मिलने वाली इमारती लकड़ी का निर्यात, स्वयं अन्दमान प्रशासन के द्वारा भारत को किया जाता है । उत्तरी अन्दमान में काटी गई लकड़ी का निर्यात एक ठेकेदार मैसर्स पी० सी० राय एण्ड कम्पनी (आई) प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा की जाती है । सरकारी लकड़ी सरकारी जहाज एम० वी० अन्दमान और एम० वी० निकोबार तथा कोस्टल कान्फ्रेंस लाइन के जहाजों में ले जाई जाती है । मैसर्स पी० सी० राय एण्ड कम्पनी (आई) प्राइवेट लिमिटेड अपनी लकड़ी अपने जहाजों या कम्पनी द्वारा किराये पर लिये गये जहाजों में ले जाते हैं ।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । क्योंकि वर्तमान उत्पादन भारत म स्थित कारखानों की मांग को पूरा करता है ।

जंगली जानवर

†६७९. **श्री प्र० के० देव :**
श्री वि० चं० प्रधान :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उड़ीसा, मध्यप्रदेश और आसाम के जंगली भैंसों के परिरक्षण के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है क्योंकि यह जाति नष्ट होती जा रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ०प्र० जैन)**: उड़ीसा में भैंसों को बिल्कुल सुरक्षित जाति घोषित कर दिया है । मध्य प्रदेश में १९६२ तक जंगली भैंसों के शिकार का प्रतिशेध कर दिया गया है । आसाम में शिकारगाहों में जंगली भैंसों को बिल्कुल सुरक्षित रखा जाता है । आसाम के श्रेणी १ के जंगलों में लायसेंस के अधीन ही भैंसे के शिकार खेलने की अनुमति दी जाती है लेकिन भैंस का शिकार करना निषिद्ध है ।

रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†६८०. **श्री राजेन्द्र सिंह**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कितने रेलवे कर्मचारियों को उनकी प्रार्थना के बावजूद भी क्वार्टर नहीं मिला है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

चावल की खरीद

†६८१. **श्री नागी रेड्डी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, अगस्त, सितम्बर, अक्तूबर, १९५८ में केन्द्र ने कुल कितने चावल की खरीद की ;

(ख) खरीद किस दर से की गई ; और

(ग) और खरीदा गया खाद्यान्न किन राज्यों को दिया गया ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) खरीदे गये तथा केन्द्र को दिये गये चावल की राशि निम्नलिखित है :

जुलाई	लगभग १२,००० टन
अगस्त	७,००० टन
सितम्बर	८,००० टन
अक्तूबर	३,००० टन

(ख) चावल की खरीद निम्नलिखित दर से की गई ।

आंध्र

चावल की किस्म	प्रतिमन (८२.२/७ पौंड) की अधिकतम कीमत जिस में बोरे की कीमत भी शामिल है कृष्णा, पश्चिम गोदावरी, पूर्व गोदावरी, गुंटूर जिले
	रुपये न० प०
१. बढ़िया	
के १२ (सन्ना कुसुमा) . . .	१७.५०
दिल्ली भोगम् (वेंकसन्म) . . .	१८.००
एस० के० के० (सन्ना कृष्ण कतुकुलू) . .	१८.७५
किचड़ी (किचड़ी सम्बा) . .	१९.२५
वंगरुती मुलू	२०.००
अन्य किस्में	१७.५०
२. मोटे चावल	
नल्लरलू	१५.५०
गरिकल्लू	१६.००
बसांगी	१६.००
कुसुमा	१६.७५
अकुल्लू	१७.००
३. अन्य किस्में	१६.००

टिप्पणी :—उक्त कीमतें, कीमत नियंत्रण आदेश के अधीन कटौती करने के पश्चात् औसत रूप से अच्छी किस्म की चावल के लिये अधिकतम नियंत्रित मूल्य है ।

†तूल अंग्रेजी में

पंजाब

किस्म	बोरी में भरे हुए प्रति मन चावल का मूल्य
	रुपये नये पैसे
बेगमी	१८.००
दारा और सेला जोशी	१६.५०
बासमती कच्ची	२५.००
बासमती उबली (सेला)	२२.७५
हंसराज, मुश्किन, परमल, रामजवायन और चहोड़ा	
(क) कच्चा	२२.२५
(ख) उबली हुई	२०.५०
सफेद टोटा	१२.२५
मोगरा	१६.२५
कनी	८.५०

टिप्पणी :—ये कीमतें नमूनों के अनुरूप तथा विहित कटौती किये जाने के पश्चात् औसत बढ़िया प्रकार के चावलों के लिये हैं ।

(ग) पंजाब में वसूली किये गये चावल में से कुछ राशि सीधे जम्मू और काश्मीर को भेजी गई । पंजाब में वसूल किये गये अवशेष चावल तथा आंध्र प्रदेश में वसूल किया गया कुल चावल पंजाब और आंध्र प्रदेश के केन्द्रीय गोदामों में भेज दिया गया जहां से वह बाद में आवश्यकता वाले क्षत्रों को भेजा जायेगा ।

बीकानेर डिवीजन में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय

६८२. श्री प० ला० बारूपाल : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में बीकानेर डिवीजन की कितनी तहसीलों और मुख्य नगरों में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय खोलने की योजना है ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : *पांच ; अर्थात् कोलायत, लूंकरन-सर, नोखा, पद्मपुर और श्री डूंगरगढ़ ।

त्रिपुरा में सड़कें

†६८३. श्री दशरथ देब : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में अब तक त्रिपुरा प्रशासन में कुल कितने मील बिना सड़कें बनवायीं हैं ;

(ख) इन सड़कों में कुल कितनी राशि व्यय की गई ;

†मूल अंग्रेजी में

*प्रस्तावों के न्याय-संगत होने तथा उपयुक्त स्थान के मिलने पर निर्भर है ।

(ग) क्या निर्माण की प्रगति सन्तोषजनक है ; और

(घ) यदि नहीं, तो निर्माण कार्य तेज़ी से करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) ९४ मील सड़कों का निर्माण हुआ तथा ८८ मील सड़कें सुधारी गईं ।

(ख) ८४.१२ लाख रुपये । इस में आसाम अगरतला सड़क पर देव, मनु और खोवाई में पुलों के निर्माण का व्यय भी शामिल है ।

(ग) जी हां ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

डाकघरों के इंस्पैक्टर

†६८४. **श्री दलजीत सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब वृत्त, अम्बाला में डाकघरों के इन्सपेक्टरों की संख्या कितनी है ; और

(ख) उन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के इन्सपेक्टरों की संख्या कितनी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) ६५, उन में पोस्ट आफिस के अधीक्षकों के कार्यालय में ज्येष्ठ क्लर्क भी शामिल हैं जो उसी पदालि में हैं ।

(ख) अनुसूचित जातियों के ६

अनुसूचित आदिम जातियों के

रेलवे गजट

†६८५. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे गजट कितनी भाषाओं में प्रकाशित होता है ;

(ख) वह कब प्रकाशित होता है ; और

(ग) कर्मचारियों के वेतन को मिला कर उस का वार्षिक व्यय क्या है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ८९]

केन्द्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद्

†६८६. **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री ले० अचौ सिंह :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २७ अक्तूबर, १९५८ की दिल्ली में केन्द्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद् की एक बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस परिषद् की मुख्य २ सिफारिशें क्या हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में बैठक में की गई सिफ़ारिशें निहित हैं । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९०**]

पोतों की खरीद

†६८७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले १३ वर्षों में सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र में विदेशों से खरीदे गये नये या पुराने जहाजों पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गई थी ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिस में यह बताया गया है कि सरकारी क्षेत्र में नये और पुराने जहाजों की खरीद के लिये कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी थी । [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९१**]

गैर-सरकारी क्षेत्र सम्बन्धी जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

उड़ीसा में बीज फार्म

†६८८. **श्री पाणिग्रही** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में बीज फार्म स्थापित करने के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उड़ीसा को अभी तक कोई ऋण अथवा राजकीय सहायता दी गई है;

(ख) क्या उड़ीसा सरकार ने इस प्रकार के फार्मों की स्थापना में किसी प्रकार की प्रगति होने के बारे में कोई रिपोर्ट दी है; और

(ग) यदि हां, तो राज्य में इस सम्बन्ध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया था ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां । उड़ीसा सरकार को बढ़िया बीजों की वृद्धि और वितरण की योजना के अधीन बीज फार्म स्थापित करने के लिये अभी तक १२.१८ लाख पये ऋण के रूप में और १८.७५ लाख रुपये राजकीय सहायता के रूप में देने मंजूर किये गये हैं ।

(ख) उड़ीसा सरकार ने यह रिपोर्ट दी है कि १९५७–५८ के अन्त तक ७८ यूनिटों के लिये भूमि अधिग्रहण के लिये प्रस्ताव किये गये थे और २२ अन्य यूनिटों के लिये स्थान की खोज की जा रही है । इन ७८ यूनिटों में से ३७ यूनिट को, जिन में से प्रत्येक का क्षेत्र २५ एकड़ है, अपने कब्जे में ले लिया गया है और इस वर्ष के खरीफ मौसम में लगभग २९ यूनिटों में बीजों का उत्पादन भी प्रारम्भ कर दिया गया है ।

(ग) १०० बीज फार्म ।

कपास की फसल को क्षति

†६८९. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को किसी भी राज्य में कीड़ों से कपास की फसल को क्षति पहुंचने के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो उस के ब्यौरे क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मैसूर राज्य से इस प्रकार की सूचनायें प्राप्त हुई हैं;

(ख) उन के ब्यौरे निम्नलिखित प्रकार से हैं:—

(१) पंजाब से यह रिपोर्ट मिली है कि वहां पर जुलाई से सितम्बर, १९५८ तक की अवधि में फसल पर जस्सीद, वाइट फ्लाई, सेमी-लूपर, लीफ-रोलर और हेमरी कटेर पिल्लर के आक्रमण हुए थे ।

(२) राजस्थान से सूचना मिली है कि जून, १९५८ में कापासिक क्षेत्र में फसल पर कीड़ों का मामूली आक्रमण हुआ था ।

(३) उत्तर प्रदेश से यह समाचार मिला है कि अगस्त और सितम्बर, १९५८ में अमेरिकन कपास की फसल पर लीफ-रोलर का एक भयंकर आक्रमण हुआ था।

(४) मैसूर राज्य से सूचना मिली है कि उस के धावार डिवीजन की फसल पर अक्तूबर १९५८ में 'रेड लीफ ब्लाइट' और 'ब्लैक आर्म' रोगों का आक्रमण हुआ था।

(ग) कपास विस्तार योजनाओं के अधीन, जिन के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी गयी थी, आवश्यक नियंत्रण सम्बन्धी कार्यवाहियां की गई थीं, जैसे कि उपयुक्त कीटाणु नाशक औषधियों का छिड़कना आदि ।

उत्तर रेलवे के रेलवे स्टेशन

†६९०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय उत्तर रेलवे के कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं; और

(ख) इस वर्ष अभी तक कुल कितने और कौन कौन से नये स्टेशन स्थापित किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) ३१-१०-१९५८ को उत्तर रेलवे में रेलों के आवागमन के लिये कुल १,२३३ स्टेशन थे ।

(ख) लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये **परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९२**]

फिरोजपुर (पंजाब) में पीने के पानी का संभरण

†६९१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने फिरोजपुर में पीने के पानी के संभरण के सम्बन्ध में कोई योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का स्वरूप और उस के ब्यौरे क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा यह योजना मंजूर कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो उस योजना के लिये अभी तक कितनी राशि मंजूर की गई है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष में कितनी राशि मंजूर की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) यह एक जल संभरण योजना है जिस पर लगभग ५.३९ लाख रुपयों के खर्च का अनुमान है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सभी स्वीकृत योजनाओं के लिये इकट्ठी ही राशि मंजूर की जाती है, अलग अलग नहीं । प्रत्यक योजना के लिये अलग अलग राशि निर्धारित करना राज्य सरकार का काम होता है । पंजाब की ६१ स्वीकृत नगरीय जल संभरण योजनाओं के लिये मार्च, १९५८ तक पंजाब सरकार को कुल ६०.६२५ लाख पये दिये गये हैं ।

(ङ) चालू वित्तीय वर्ष के लिये पंजाब राज्य की सभी स्वीकृत योजनाओं के लिये ३६ लाख रुपये निर्धारित किये गये हैं; और वह राशि प्रति मास प्रदान की जाती है ।

डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†६९२. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक तथा तार के तीसरी तथा चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये कानपुर में क्वार्टर तैयार किये जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने क्वार्टर तैयार किये जा रहे हैं; और

(ग) उन के लिये कितनी राशि मंजूर की गयी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). वहां पर तीसरी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये क्वार्टरों के ७२ यूनिट तैयार किये जा रहे हैं । चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के सम्बन्ध में अभी कोई प्रस्थापना नहीं है ।

(ग) ६,२०,३०० रुपये ।

भुवनेश्वर में डाक तथा तार विभाग की मारतों का निर्माण

†६९३. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री २५ अगस्त, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७९७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में उड़ीसा के डाक तथा तार विभाग के डायरेक्टर के कार्यालय और कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण के लिये भूमि अधिग्रहण करने की प्रस्थापना के लिये मंजूरी दे दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो निर्माण कब प्रारम्भ किया जायेगा; और

(ग) क्या उड़ीसा सरकार ने भूमि की कोई कीमत मांगी है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) भूमि अधिग्रहण करने के बाद ही निर्माण का प्रश्न उत्पन्न होगा ।

(ग) जी, हां ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जाजपुर में मुख्य डाक घर की इमारत

†६९४. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५४४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जाजपुर में मुख्य डाक घर की इमारत का निर्माण-कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उस के पूरा होने में लगभग कितना समय लगेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). अभी तक निर्माण-कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है क्योंकि इस के लिये प्राप्त होने वाले दो टेण्डरों को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा इसलिये अस्वीकार कर दिया गया है कि उन में बताये गये दर बहुत ऊंचे थे ।

उड़ीसा में डाकघर

†६९५. **श्री बै० च० मलिक** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में कई डाक घर किराये की इमारतों में स्थित हैं; और

(ख) यदि हां, तो हर वर्ष किराये की मद पर कितनी रकम खर्च की जाती है ।

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) और (ख). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

उड़ीसा में किराये की इमारतों में स्थित डाकघरों की संख्या १०४ है । इन पर किराये के रूप में हर वर्ष ६१,९८०.७२ रुपये दिये जाते हैं । विभागीय इमारतों में डाकघरों की संख्या ५७ है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ४५ विभागीय इमारतों के निर्माण का प्रस्ताव है ।

मोहरी रेल दुर्घटना

६९६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **रेलवे** मंत्री २ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने परिवारों को, जिन के सम्बन्धी मोहरी स्टेशन पर हुई रेल दुर्घटना में मारे गये थे, अब तक क्षत्तिपूर्ति दी जा चुकी है ;

(ख) जिन लोगों के सम्बन्धी उक्त दुर्घटना में मारे गये थे, किन्तु जिनके शव नहीं पहचाने जा सके थे यद्यपि उक्त दुर्घटना से उन की मृत्यु होने के ठोस प्रमाण हैं; उन लोगों को क्षत्तिपूर्ति देने के लिये सरकार ने क्या नीति अपनाई है ; और

(ग) क्या सरकार उन लोगों को सहायता देने का विचार कर रही है जिनके इस दुर्घटना के कारण अंग भंग हो गये थे और जो अब शेष जीवन कोई भी व्यवसाय करने के लिये अयोग्य हो गये हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) ४ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) दावा कमिश्नर, जो जूडिशियल अफसर होते हैं सब दावों की जांच कर के उनका फैसला करते हैं। सवाल में जिस तरह के मामलों का जिक्र किया गया हैं उनमें क्षत्तिपूर्ति देने का अधिकार तदर्थ दावा कमिश्नर को है जो इस सम्बन्ध में नियुक्त किये गये हैं।

(ग) दावा कमिश्नर ने क्षत्ति पूर्ति की जो रकम मंजूर की है, उस के देने के अलावा सरकार इस बात पर भी राजी हो गई है कि जिन्हें जरूरत हो, उन्हें सरकारी खर्च पर कृत्रिम अंग दिये जायें।

गंगा नदी द्वारा भूमि का कटाव

६९७. **श्री सरजू पांडे** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गंगा नदी द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिये १९५७–५८ में राज्य सरकारों को कितनी धन राशि दी गई, और

(ख) किन किन राज्य सरकारों ने अब तक उक्त राशि का उपयोग किया है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). सब स्वीकृत बाढ़ नियंत्रण योजनाओं पर साल भर के अन्दर होने वाले खर्च के लिये राज्य सरकारों को हर साल कर्जे दिये जाते हैं। वास्तविक खर्चे के आधार पर इन कर्जों की रकमों को थोड़ा बहुत घटाया बढ़ाया जाता है। उत्तर प्रदेश तथा बिहार सरकारों ने गंगा नदी द्वारा भूमि के कटाव को रोकने के लिये १९५७–५८ में निम्नलिखित स्वीकृत योजनायें चालू की या समाप्त कीं और इन योजनाओं का खर्चा राज्य सरकारों ने उस साल उन को मिले हुए कर्जे (उत्तर प्रदेश –२८० लाख रुपये, बिहार-२६८ लाख रुपये) में से पूरा किया :—

स्वीकृत योजना का नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	राज्य सरकार द्वारा सूचित १९५७-५८ में हुआ खर्चा (लाख रुपयों में)
(१) उत्तर प्रदेश		
हरिद्वार के पास कनखल शहर के बचाव के लिये मायापुर में ठोकर (स्पर) बनाना . . .	१०.७२	१.८५
वाराणसी में, चेतसिंह घाट, गुलरिया घाट, शीतला घाट, दशाश्वमेध घाट, विजयनगरम घाट, त्रिपुरभरवी घाट, मीर घाट, मीर घाट तथा ललिता घाट के बीच का भाग, बंदी परकोटा घाट, दुर्गाघाट और ब्रह्म घाट की मरम्मत तथा उनको फिर से बनाना। . .	५५.१२	९.५७
वाराणसी में आनन्दमयी घाट की मरम्मत . .	३.००	१.३१
गंगा नदी द्वारा कटाव से बलिया नगर की रक्षा .	९.३६	२.२०
(२) बिहार		
गंगा नदी द्वारा कटाव से बकसर शहर की रक्षा .	१.४४	१.३३
गंगा नदी द्वारा कटाव से सुल्तानगंज शहर की रक्षा .	०.३०	०.२४

हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनायें

†६९८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है;

(ख) १९५८ में अभी तक कितनी घातक दुर्घटनायें हुई हैं; और

(ग) इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग) अपेक्षित जानकारी हिमाचल प्रदेश प्रशासन से एकत्र की जा रही है और यथा समय लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे दुर्घटनाओं के लिये प्रतिकर

†६९९. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री रेलवे दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में किये गये दावों पर १९५७-५८ में दी गई रकम बताने की कृपा करेंगे ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : रेल-दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में मृत्यु, चोट और यात्रियों की हानि के लिये प्रतिकर के रूप में १९५७-५८ में १२,११,५३५.५७ रुपये दिये गये थे ।

लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों की कांफ्रेंस

†७००. **श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह बताया गया हो कि :

(क) अक्टूबर, १९५८ में नई दिल्ली में आयोजित लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों की कान्फ्रेंस में क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं ;

(ख) संरक्षित जल संभरण और स्वच्छता सम्बन्धी सुविधाओं के लिये ग्राम्य योजनाओं पर अनुमानित परिव्यय कितना है; और

(ग) इनकी कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९३]**

(ख) ग्राम्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जल संभरण और स्वच्छता कार्यक्रम के अधीन द्वितीय पंच-वर्षीय योजना अवधि की राज्यकीय योजनाओं के लिये २८ करोड़ रुपये का उपबन्ध किया गया है, इसकी आधी रकम केन्द्रीय सरकार राजकीय सहायता के रूप में देगी । प्रथम योजना की अवधि में केन्द्रीय सहायता के रूप में ग्राम्य योजनाओं पर २·८ करोड़ रुपये की रकम उपलब्ध कराई गई थी ।

(ग) ग्राम्य जल संभरण और स्वच्छता सम्बन्धी २०१ योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं और उनके द्वितीय योजना अवधि के अन्त तक पूरी होने की आशा है ।

उत्तर प्रदेश में नदियों पर पुल

७०१. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ दिसम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३७० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि नदियों पर पुल बनाने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को अनुदान देने की विचाराधीन प्रस्थापना के बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर): राज्य सरकार के सुझावों की जांच की जा चुकी है और आशा की जाती है कि यह विषय जल्दी ही तय कर दिया जायेगा।

ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों की सड़कें

७०२. **श्री भक्त दर्शन :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री १८ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २३७१ के उत्तर के सम्बन्ध में एक ऐसा विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिसमें यह जानकारी दी गई हो कि ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों की सड़कों के बारे में विशेष पदाधिकारियों की रिपोर्ट में, जो विचाराधीन थीं, क्या-क्या सिफारिशें की गई हैं और उनके बारे में क्या निश्चय किये गये हैं ?

परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : ग्रामीण सड़कों के बारे में विशेष अफसर की रिपोर्ट में दी गई मुख्य सिफारिशें और उन पर की गई कार्यवाही के विषय में एक विवरण साथ में लगा दिया गया है। यह निश्चय किया गया है कि इन सिफारिशों पर स्टेट चीफ इंजीनियर्स की अगली बैठक में विचार किया जाय जो जनवरी, १९५९ में होने वाली है।

आउट-एजेंसियां

†७०३. **{श्री भक्त दर्शन :**
श्री सरजू पांडे :

क्या **रेलवे** मंत्री १५ नवम्बर, १९५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या २५१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक रेलवे खंड में किन-किन जगहों पर इस बीच आउट-एजन्सियां खोली गयी हैं;

(ख) किन-किन नयी जगहों पर आउट-एजेन्सियां खोलने का विचार है;

(ग) उनमें से प्रत्येक स्थान पर ये आउट एजेन्सियां संभवतः कब तक खोली जायेंगी;

(घ) आउट एजेन्सियों के बारे में अपर्याप्त प्रचार, उनकी ऊंची दरों तथा अन्य कुप्रबन्ध के बारे में किन-किन जगहों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) उन शिकायतों को दूर करने तथा आउट एजेन्सियों को अधिक लोकप्रिय बनाने के लिये क्या विशेष कार्यवाही की गयी है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) से (ङ). एक बयान सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ९५]**

---

†मूल अंग्रेजी में

त्रिपुरा में डाक तथा तार भवन

†७०४. **श्री बांगशी ठाकुर :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा में विभागीय सब पोस्ट आफिस, टेलीग्राफ आफिस और कर्मचारियों के लिये क्वार्टर बनाने के लिये जमीन प्राप्त करने में कुछ कठिनाइयां अनुभव की जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य कठिनाइयां क्या हैं; और

(ग) इस कठिनाई को दूर करने में कितना समय लगेगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) :** (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

आम्ता जल निस्सारण योजना, हावड़ा जिला, पश्चिमी बंगाल

†७०५. **श्री ही० ना० मुकर्जी :**
श्री मोहम्मद इलियास :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ८ मई, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५६८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा जिले की आम्ता जल निस्सारण योजना में कुछ परिवर्तन के विरुद्ध विभिन्न संगठनों द्वारा भेजे गये अभ्यावेदन में उठाई गई कुछ बातों के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल सरकार की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) और (ख). आम्ता जल निस्सारण योजना के बारे में विभिन्न अभ्यावेदनों के सम्बन्ध पश्चिमी बंगाल सरकार के चीफ इंजीनीयर के कुछ टिप्पण प्राप्त हुए थे, और पुनरीक्षित योजना पर सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं की परामर्श-दाता समिति ने ३० अक्तूबर, १९५८ को चर्चा की थी । योजना आयोग ने पुनरीक्षित योजना स्वीकार कर ली है ।

सभा पटल पर रखा गया पत्र

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन निकाली गई अधिसूचनायें

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा) :** मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(१) जी० एस० आर० संख्या १००४ दिनांक २५ नवम्बर, १९५८

(२) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ संशोधन करने वाला जी० एस० आर० संख्या १०८२, दिनांक १५ नवम्बर, १९५८

[पुस्तकालय में रखी गयी देखिये संख्या एल० टी० १०६०/५८]

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री हजारनवीस द्वारा २१ नवम्बर, १९५८ को प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा करेगी :—

> "कि इस बात की घोषणा करने वाले विधेयक पर, कि सरकार के अधीन कुछ लाभ-पदों को धारण करने वाले ऐसे पदों को धारण करने के कारण संसद् सदस्य चुने जाने या होने के लिये अनर्ह नहीं होंगे, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

सामान्य चर्चा के बाद खण्डवार विचार तथा तृतीय वाचन लिया जायेगा, जिसके लिए ५ घण्टे का समय रखा गया है । श्री अ० कु० सेन अपना भाषण जारी करें ।

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : पिछले अवसर पर मैं अनेक पदों, जो संयुक्त समिति द्वारा लगाई गयी अनुसूची के अतिरिक्त हैं, के सम्बन्ध में की गई आपत्तियों का जिक्र कर रहा था । होमगार्ड, एन० सी० सी० तथा प्रादेशिक सेना आदि की चर्चा मैं कर चुका था ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

मैं यह बात उस दिन स्पष्ट कर दी थी कि सरकार का इरादा इन लोगों को, जो मेरे विचार से और सभा के अधिकांश सदस्यों के विचार से देश की रक्षा के लिये बहुमूल्य सेवायें कर रहे हैं, अनर्ह करने का नहीं है ।

दो पद और हैं जिनकी चर्चा करना शेष है । मैं बता चुका हूं कि उपकुलपति के सम्बन्ध में सरकार एक संशोधन स्वीकार करने को तैयार है । शेरिफ के पद के सम्बन्ध में मूलत: भार्गव समिति ने और फिर प्रवर समिति ने काफी विचार कर लिया है । इन पदों का मूल उद्गम बहुत प्राचीन है और ये बम्बई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसीडेन्सी जिलों में ही हैं । वे केवल एक साल ही सेवा करते हैं और जनता में से महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से उन्हें नियुक्त किया जाता है । उन्हें उच्च-न्यायालय द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार काम करना पड़ता है । इंगलैंड में भी जहां पहले यह पद अपने धारणकर्ता को अनर्ह कर देता था उसे मुक्त कर दिया गया है पर वहां एक शर्त है कि शेरिफ उस चुनाव क्षेत्र से नहीं चुनाव लड़ सकता जहां वह सेवा कर रहा हो या जो उसका अपना चुनाव क्षेत्र हो । अत: जहां तक प्रेसीडेन्सी जिलों का प्रश्न है शेरिफ के पद के लिए अनर्हता हटा दी जानी चाहिए पर उसे उस चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए जहां उसको उच्च-न्यायालय ने नियुक्त किया हो या जहां वह सेवा करता हो । भार्गव समिति ने सुझाव दिया था कि शेरिफ के पद को मुक्त किया जाना चाहिए । संयुक्त समिति ने मूल विधेयक को स्वीकार कर लिया अत: शेरिफ को मुक्ति देने का उपबन्ध ठीक है ।

शेरिफ़ के पद को अनर्ह करने के सम्बन्ध में कोई मान्य कारण नहीं बताया गया है कि उसके पद को क्यों अनर्ह किया जाय यद्यपि शेरिफ प्रविधिक दृष्टिकोण से लाभ-पद धारण करते हैं पर अपनी योग्यता तथा अपने महत्वपूर्ण सार्वजनिक जीवन के बल पर ही उन्हें शेरिफ बनाया जाता है अत: इन लोगों को लोक सभा या संसद् का सदस्य बनने की अनुमति क्यों न दी जाये जबकि उन्हें राज्य विधान मण्डलों का चुनाव लड़ने की छूट है । यदि ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को अनर्ह कर दिया जायेगा तो इन प्रेसीडेन्सी जिलों में शेरिफ जैसे महत्वपूर्ण पदों के लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति मिलना कठिन हो जायेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

यद्यपि शेरिफ इन तीनों उच्च न्यायालयों की डिक्री, आदेश तथा निषेधाज्ञाओं का पालन करता है पर वस्तुतः वह स्वयं इनका पालन नहीं करता । चूंकि इन व्यक्तियों को इतना सम्माननीय तथा महत्वपूर्ण समझा जाता है कि उच्च न्यायालय अपने आदेशों तथा निषेधाज्ञाओं को कार्यान्वित करने के लिए उन्हें सक्षम तथा योग्य समझती है तो फिर मैं नहीं समझता कि इस सभा के विचार-विमर्श में भाग लेने से उन्हें क्यों अनर्ह किया जाये । अतः मेरा निवेदन है कि सभा को प्रसन्नता से यह स्वीकार करना चाहिए कि शेरिफों को मुक्त किया जाये ।

विधेयक की धारा ३ के खण्ड (ञ) में वर्णित कुछ राजस्व पदाधिकारियों जैसे लम्बरदारों, माल-गुजारों, पटेल तथा देशमुख लोगों के बारे में भी आपत्ति की गयी । वास्तविक अर्थों में ये पदाधिकारी नहीं होते बल्कि जितना राजस्व ये इकट्ठा करते हैं उसके आधार पर उन्हें कुछ कमीशन दिया जाता है । यह लोग बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं और यह समझना गलत है कि वे एक चुनाव क्षेत्र के ४ या ५ लाख व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं । हो सकता है कि उनका कोई भी प्रभाव न हो ।

यह तर्क उपस्थित किया गया कि ये व्यक्ति इतने प्रभावशाली होते हैं कि जब ये चुनाव में खड़े हो जाते हैं तो अन्य किसी व्यक्ति के विजयी होने की कोई आशा नहीं रहती । पर मैं इस बात को नहीं मानता । संयुक्त समिति ने एक अर्हता और रख दी जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है और वह अर्हता है' "पर जो कोई पुलिस कर्तव्यों का पालन न करता हो "।

यह बताया गया कि कुछ स्थानों पर ये लोग पुलिस कर्त्तव्यों का भी पालन करते हैं अतः ये लोग अपने प्रतिद्वन्दियों की तुलना में अधिक प्रभाव जनता पर डाल सकेंगे । यदि ऐसा है तो सरकार ने संशोधन स्वीकार कर लिया है । वैसे मेरा व्यक्तिगत विचार है कि ऐसे व्यक्ति जनता को प्रभावित करने में प्रायः असुविधाजनक स्थिति में होते हैं क्योंकि कई बार उन्हें ऐसे काम भी करने पड़ते हैं जिससे लोग उनसे अप्रसन्न हो जाते हैं ।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : 'पुलिस कर्त्तव्य' की क्या परिभाषा है ।

श्री अ० कु० सेन : सभा के सदस्य इतने बुद्धिमान हैं कि उन्हें पुलिस कर्त्तव्य का अर्थ पता होगा ।

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव** (हिसार) : पुलिस कर्त्तव्य की परिभाषा दण्ड प्रक्रिया संहिता या अन्य किसी भी स्थान पर नहीं दी हुई है । अतः माननीय मंत्री उसकी परिभाषा पर प्रकाश डालें तो अच्छा हो ।

†**श्री अ० कु० सेन** : 'पुलिस कर्त्तव्य' का अर्थ मेरे विचार में उन कार्यों से हम जो शान्ति और व्यवस्था बनाये रखते हैं । इससे विधि तथा व्यवस्था को बनाये रखने वाले काम तथा इनको भंग करने से रोकने वाले काम भी सम्मिलित हैं । यह है 'पुलिस कर्त्तव्य' का अर्थ । 'पुलिस कर्त्तव्य' का अर्थ सड़क पर पहरा देना नहीं है । लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा ७ के अधीन इनमें से कुछ को तो मुक्ति प्राप्त है ही । अतः यह भय करना व्यर्थ है कि हमारी सभा में मालगुजार व लम्बरदार ही भर जायेंगे क्योंकि अभी तक, मुक्ति होते हुए भी, कोई भी मालगुजार या लम्बरदार हमारी सभा में नहीं है । प्रश्न यह है कि क्या कोई व्यक्ति राज्य के प्रति कोई उपयोगी सेवा करने के कारण संसद् की सदस्यता के लिए अनर्ह हो जाता है । यदि ऐसा होगा तो कोई भी व्यक्ति राज्य के लिये कोई उपयोगी सेवा नहीं करेगा । फिर, यह सिद्धान्त का प्रश्न है । यदि सभा समझती है कि हमारे जैसे राज्य में, जहां ग्राम पुनर्निर्माण कार्यक्रम या समाज कल्याण का क्रम चल रहे हैं, जो राज्य को स्थायी बना सकते हैं

---

†मूल अंग्रेजी में

और इन कार्यक्रमों में कुछ सक्रिय व्यक्तियों की सेवा ली जाती है या कुछ व्यक्ति अपनी उपयोग सेवायें अर्पित करते हैं तो क्या इसी कारण वे व्यक्ति संसद् के सदस्य नहीं बन सकते इस बात के होते हुये भी कि सरकार के किसी लाभप्रद पद पर नहीं है। अतः ऐसे व्यक्तियों को अनर्ह बनाना आवश्यक है, केवल राज्य के हित के लिए ही नहीं बल्कि इसलिए भी कि अच्छे व्यक्तियों को राज्य की सेवा करने का अवसर मिले।

मुझे यही बातें कहनी थीं और मेरा निवेदन है कि सभा, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के लिए विधेयक को स्वीकार करे।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस बात की घोषणा करने वाले विधेयक पर, कि सरकार के अधीन कुछ लाभ पदों को धारण करने वाले, ऐसे पदों को धारण करने के कारण संसद् सदस्य चुने जाने या होने के लिए अनर्ह नहीं होंगे, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २—(परिभाषायें)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार चर्चा करेंगे। खण्ड २ पर कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड ३—(अनर्ह न करने वाले कुछ लाभ-पद)

†**उपाध्यक्ष महोदय**: खण्ड ३ पर जो माननीय सदस्य संशोधन प्रस्तुत करना चाहें, वे कर सकते हैं।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मैं अपने संशोधन संख्या १८, २०, २१, २२, २३, २४, २५, २६, २७, २९ और ३० प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री तंगामिण** (मदुरै) : मैं अपने संशोधन संख्या ४, ५ और ७ प्रस्तुत करता हूं।

मैं अपना संशोधन संख्या ६ भी प्रस्तुत करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३, पंक्ति ५, में से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायें :—

"**or member of the standing or executive committee** (स्थायी या कार्यकारिणी समिति के सदस्य या)"

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बि० दास गुप्त** (पुरुलिया) : मैं अपना संशोधन संख्या १ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री ले० अचौ सिंह** (आन्तरिक मनीपुर): मैं अपने संशोधन संख्या ८, ९ और १२ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं अपना संशोधन संख्या ८६ प्रस्तुत करता हूं।

†**विधि उपमंत्री (श्री हजारनवीस)** : मैं अपना संशोधन संख्या ५३ प्रस्तुत करता हूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ ३,—

पंक्ति १२ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये:—

"*Explanation*.—For the purposes of clauses (h) and (i), the office of Chairman or Secretary shall include every office of that description by whatever name called [व्याख्या खण्ड (ज) (झ) के प्रयोजनों के लिए सभापति या सेक्रेटरी के पद में, इस प्रकार के सभी पद चाहे जिस नाम से पुकारे जायें, सम्मिलित होंगे।]"

†**श्री मोहम्मद इमाम** (चीतलद्रुग) : मैं अपना संशोधन संख्या ३९ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री लीला धर कटकी** (नवगांव) : मैं अपना संशोधन संख्या ५६ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री रघुवीर सहाय** (बदायूं) : मैं अपने संशोधन संख्या १३, ६१ और ६२ प्रस्तुत करता हूं।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : मैं अपने संशोधन संख्या ७६ और ७७ प्रस्तुत करता हूं॥

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : संशोधन संख्या ६५ श्रीमती सुचेता कृपलानी के नाम से है।

†**श्री महन्ती** : आप उसे कैसे प्रस्तुत कर सकते हैं ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि आवश्यक होगा तो उसे प्रस्तुत करने की अनुमति दी जायेगी।

†**श्री अ० कु० सेन** : मैं समझता हूं कि हम इसे स्वीकार कर लेंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : आपके आश्वासन पर मैं श्री जगन्नाथ राव को अनुमति देता हूं कि वह इस संशोधन को प्रस्तुत कर सकते हैं।

†**श्री जगन्नाथ राव** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ २,—

पंक्ति २३ से २८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये:—

"(f) the office of Chairman or member of the syndicate, senate, executive committee, council or court of a University or any other body which is an advisory body connected with a University; (किसी विश्वविद्यालय के सिन्डीकेट, सीनेट, कार्यकारिणी समिति, परिषद् या कोर्ट के या किसी अन्य संस्था के, जो किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परामर्शदाता संस्था के रूप में हो, सभापति या सदस्य का पद);"

---

†मूल अंग्रेजी में

†उपाध्यक्ष महोदय : अब ये संशोधन सभा के सामने हैं।

†पंडित ठाकुर दास भार्गव: मेरा पहला संशोधन है संख्या १६, जिससे मेरा आशय पंक्ति १६ तथा २० को हटा देने से है। वास्तव में होमगार्ड का वास्तविक स्वरूप तो तब ज्ञात हुआ जब कुछ सदस्यों ने उस पर प्रकाश डाला। वे तो पुलिस का ही हिस्सा हैं। उन्हें तो किसी भी समय कार्य के लिये बुलाया जा सकता है। उन्हें दो या कुछ अधिक रुपये दैनिक भत्ता भी मिलता है इस कारण उनका आह्वान किसी भी समय किया जा सकता है। ये लोग तो पुलिस दल का ही भाग है।

हमने पुलिस को इस क्षेत्र से बाहर रखा है अतः होमगार्ड की सदस्यता भी लाभप्रद ही के समान है। राष्ट्रीय छात्रसेना तथा क्षेत्रीय सेना तो केवलमात्र आपातकाल में ही सेवा करती हैं। मैं आपको बताऊंगा कि यह विचार गलत है कि जो व्यक्ति सरकार की सेवा करता है उसे पूर्ण विमुक्ति दे देनी चाहिये।

इसके पश्चात् संशोधन संख्या १७ है जिससे मेरा आशय पंक्ति २१ तथा २२ को हटा देने से है। अब माननीय विधि मंत्री ने बताया है कि शेरिफ उच्च-न्यायालयों के नियमित पदाधिकारी होते हैं। यदि सरकार उन्हें नियमित रूप से वेतन देती है तो कोई कारण नहीं कि हम उनको विमुक्ति प्रदान करें। यह बात महत्वहीन है कि भारत में कुल दो शेरिफ हैं। उनकी संख्या भले ही कितनी भी हो इससे हमें कोई सम्बन्ध नहीं है। इंग्लैण्ड में उन्हें विमुक्त नहीं किया गया है। पुराने विचार, के शेरिफ नगरों के प्रथम नागरिक होते हैं तथा राज्यपाल आदि के स्वागत का उत्तरदायित्व उन्हीं पर होता है; गलत है। वे तो बिक्रियों की क्रियान्विति भी कराते हैं। यदि हम पहले समिति में गलती कर गये तो यहां तो हमें उसी गलती को नहीं दोहराना चाहिये।

इसके पश्चात् मेरा संशोधन संख्या १८ है जिसका आशय पृष्ठ २ पर से पंक्ति २३ से २६ को हटाने से है। जहां तक उपकुलपति वाले संशोधन का सम्बन्ध है उस पर बोल कर मैं सभा का समय नष्ट नहीं करना चाहता क्योंकि माननीय मंत्री उसे स्वीकार कर चुके हैं।

†श्री हजारनवीस : माननीय सदस्य ने कहा कि इंग्लैण्ड में भी शेरिफ पद की नियुक्ति नहीं है। यह किस आधार पर कहा गया है।

†पंडित ठाकुर दास भार्गव : अधिनियम के पृष्ठ १ को देखें। मैं कह रहा था कि उपकुलपति वाले संशोधन पर मुझे सभा का समय नष्ट नहीं करना है। किन्तु सिंडीकेट के सभापति तथा सीनेट आदि के सदस्यों का प्रश्न भी तो है। विश्वविद्यालयों की सलाहकार समितियों के पदों को हमें विमुक्ति नहीं देनी है। हमें वास्तव में समस्त समितियों पर पूर्ण विचार करना चाहिये क्योंकि कोई भी मामला हमें बाद के विवादों को निपटाने वाले निकायों पर नहीं छोड़ना चाहिये। हमें विधि में कहीं भी अस्पष्टता नहीं रखनी चाहिये। उपखण्ड (ञ) के बारे में भी मेरी यही शिकायत है। इस प्रश्न पर संयुक्त समिति ने भी अपने कर्तव्य का यथोचित पालन नहीं किया। वास्तव में हमें किसी भी व्यक्ति को खुली छुट्टी नहीं देनी चाहिये यह ठीक नहीं कि हम इस बारे में अस्पष्टता रहने दें।

इस के पश्चात् यह बात भी हमारे सम्मुख स्पष्ट नहीं है कि क्या इन निकायों के सदस्य वैतनिक होते हैं अथवा अवैतनिक। उनको किस आधार पर विमुक्ति प्रदान की जाती है। अतः सामान्य से नियम बना देना तो उचित नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

जिस प्रकार से उपकुलपति का स्तर है वैसे ही इन सदस्यों का भी स्तर है । जो बातें उस पर लागू होती हैं वहीं बातें इन पर भी लागू होती हैं । यह ठीक है कि यह सम्माननीय पद हैं । न्यायाधीशों के पद भी क्या कम प्रतिष्ठा वाले होते हैं परन्तु इनको भी संसद् सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जा सकती । मैं इन लोगों से घृणा नहीं करता ; मैं इनका सम्मान करता हूं । यह देश की महान् सेवा करते हैं । हमारे अपने ही लोग हैं ।

इसके पश्चात् भारत से बाहर जाने वाले या स्थित शिष्टमंडलीय सदस्यों के बारे में मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं । संविधान के अनुच्छेद १०१(४) में सदस्यों की अनुपस्थिति के बारे में उपबन्ध है । यदि कोई सदस्य ६० दिन से अधिक सभा में अनुपस्थित रहे तो वह अनर्ह घोषित कर दिया जाता है । यदि ऐसा ही कोई सदस्य वर्ष भर के लिये बाहर जाये तो सभा तो उसकी मंत्रणा से वंचित रह जायेगी । उसके निर्वाचन क्षेत्र को भी उसके प्रतिनिधित्व से वंचित रहना पड़ेगा । अतः मेरा आशय यह है कि यदि कोई ऐसा सदस्य ६ मास से अधिक समय तक अनुपस्थित रहे तो उसे अनर्ह घोषित कर देना चाहिये ।

अब मैं सरकार को परामर्श देने के लिये बनाई जाने वाली परामर्शदात्री निकाय के सदस्यों के बारे में कुछ अपने विचार सभा के समक्ष रखूंगा । यदि एक ही सलाहकार हो तो 'निकाय' नाम रखना ही निरर्थक है । यदि एक सलाहकार नियुक्त करने की बात कही जाती तो सभा कभी भी इस बात को स्वीकार न करती । यहां तो निकाय का प्रश्न है । निकाय को तो किसी भी प्रकार से विमुक्ति दी जा सकती है परन्तु यह आज्ञा तो नहीं दी जा सकती कि प्रत्येक मंत्री एक अलग सलाहकार रखे । यह सारा घोटाला है । हमें यहां भी सारी अस्पष्टता को दूर करने के लिये यथोचित कार्यवाही करनी चाहिये । हम इस प्रकार का उपबन्ध तो कभी नहीं बना सकते जिससे सरकार को व्यापक अधिकार प्राप्त हो जाय और बाद में उसी बात के भयंकर परिणाम निकलें । अतः मेरी प्रार्थना तो यही है कि उपबन्ध (ज) के वास्तविक परिणामों से हम पूर्णतया अनभिज्ञ हैं और हमें ऐसे उपबन्ध का समर्थन ही नहीं करना चाहिये ।

उसके पश्चात् "अस्थायी" शब्द का भी पूर्ण अर्थ मैं नहीं समझा हूं । हो सकता है मंत्रीगण सदस्यों में से अपने सह-सचिव रखने आरम्भ कर दें और फिर मनमानी करने लगें । लोग तो ऐसे सह-सचिव को ही काम निकालने का साधन समझने लगेंगे चाहे वास्तविक शक्ति मंत्री के पद में ही क्यों न निहित हो ।

इंग्लैण्ड के अधिनियम से हमें ज्ञात होता है कि उन्होंने तो वहां मंत्रियों की कुल संख्या भी निर्धारित कर दी है । वहां ७० से अधिक मंत्री नहीं हो सकते । यदि यहां पर ऐसे सलाहकार नियुक्त हो गये तो निस्सन्देह वह लोग तो सरकार के साथ ही मतदान करेंगे । इस प्रकार सभा की स्वतंत्रता नाममात्र को ही रह जायेगी । मैं यह नहीं कहता कि मंत्री इसका दुरुपयोग करेंगे बल्कि इसकी संभावना तो हो ही सकती है । इस समय यद्यपि हमें ऐसा कोई खतरा नहीं है किन्तु भविष्य में न जाने क्या हो । हम तो यह विधि स्थायी काल के लिये ही बना रहे हैं । अतः माननीय विधि मंत्री को इस ओर गंभीरता से विचार करना चाहिये ।

इसके पश्चात् मैं उपखंड (१) पर आता हूं । यह तो मैं अनेक बार कह चुका हूं कि हमने पूर्ण अनुसूची नहीं बनाई है । चाहिये तो यही था कि यह अनुसूची पूरी बनाई जाती । न केवल अनुसूची अधूरी ही है वरन यह जटिल भी है । हमने यह कभी नहीं कहा कि जिन समितियों के गठन के बारे में हमें कोई ज्ञान नहीं है हम उन्हें विमुक्ति प्रदान करेंगे । यह बात तो हमारी समझ में ही

नहीं आती । अतः इस खंड को इस रूप में रखना ईमानदारी की बात नहीं है । जब तक हमें सारी समितियों के गठन का पूर्ण ब्यौरा न पता लगे तब तक हम इस प्रकार की व्यापकता वाले उपबन्ध को यहां कैसे रख सकते हैं । यदि हम यहां इस प्रकार का उपबन्ध रखेंगे तो निस्सन्देह संविधान से एक प्रकार का धोखा करेंगे ।

हमें केवल उन्हीं समितियों को विमुक्त करना चाहिये जिनका हमने परीक्षण करवा रखा है । इसी के साथ जो सदस्य संयुक्त समिति में नहीं थे उन्हें तो और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा । क्योंकि जो सामग्री संयुक्त समिति के सदस्यों को दी जाती है वह सभा के सभी सदस्यों को तो नहीं दी जाती—उन्हें भी विधेयक पर अपने विचार प्रकट करने होते हैं अतः कठिनाइयां उनके मार्ग में आती हैं ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह शिकायत संयुक्त समिति में होनी चाहिये थी यहां नहीं ।

† **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यह तो ठीक है किन्तु कुछ सदस्यों ने ऐसे संशोधन दे रखे हैं कि वे विचाराधीन तब तक ठीक ढंग से नहीं लाये जा सकते जब तक कि उन समितियों अथवा निकायों के गठन को ठीक ढंग से न समझा जाय । यह भी ठीक है कि संशोधन देने वाला सदस्य उस निकाय के बारे में जानकारी देगा परन्तु सभा के सदस्य उसके गठन को स्वतः भी तो जानना चाहेंगे । यह मामला अत्यन्त महत्वपूर्ण है । जब तक हमें स्वतः किसी निकाय के गठन का ज्ञान न होगा तब तक हम यूंही सारी राय कैसे दे सकते हैं । इस प्रकार की कार्यवाही जो बिना पूरी जानकारी के की जायगी वह कभी भी ठोस न होगी ।

अतः इस विधेयक को इस रूप में पारित न किया जाये यदि पारित ही करना है तो इसे ऐसे तरीके से किया जाये कि यह ३१ दिसम्बर, १९५८ को ही लागू हो । उस समय तक शेष समितियों के गठन पर अच्छी तरह से विचार हो सकता है । उसके पश्चात् सभा जो निर्णय देगी वह अधिक पक्का होगा और इस प्रकार का अस्थायी या अधूरा न होगा । सितम्बर १९५९ तक पुराने विधेयक को ही लागू रहने दिया जाये ।

मेरा आशय यह नहीं कि हम विधेयक पर विचार करना ही बन्द कर दें । स्थायी समिति की बात चल रही है । वह तब तक सारी शेष बातों पर अच्छी तरह से विचार कर लेगी । इस विधेयक को १ सितम्बर, १९५९ के पश्चात् भी लागू किया जा सकता है ।

अब मैं उपखंड (झ) पर आता हूं । उस सम्बन्ध में हमने माननीय विधि मंत्री को सुना किन्तु उन्होंने मेरे प्रश्न का सन्तोषजनक उत्तर न दिया । मैं तो "पुलिस कार्य निर्वहन" शब्दों का भावार्थ समझता ही नहीं हूं । लम्बरदार भी पुलिस की सहायता के लिये होते हैं । अन्यथा इन शब्दों की परिभाषा कहीं पर भी प्राप्त नहीं है । यह ठीक है कि लम्बरदार सरकार की सेवा करते हैं । इस बात से कौन इन्कार करता है । उन्हें लगान इकट्ठा करने के बदले कमीशन मिलता है । उनको इसी ढंग से आय होती है । अतः उन्हें विमुक्ति देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता । वह लोग तो यहां आकर भी कभी स्वतंत्र नहीं रह सकते ।

हम सबने लम्बरदारों, मालगुजारों इत्यादि के कृत्यों का भली भांति अध्ययन किया है अब तो यह निर्णय हो जाना चाहिये कि किसे विमुक्ति दी जाये तथा किसे न दी जाये । पर यह कठिनाई हमने संयुक्त समिति में भी अनुभव की थी किन्तु यह सुझाव दिया था जब दूसरी समिति बैठेगी इस प्रश्न पर व्यापक विचार कर लेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हजारनवीस** : कुछ लम्बरदार तो सरकार के प्रभाव में आते हैं और कुछ नहीं भी आते ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : कुछ लोग तो नाम के ही लम्बरदार होते हैं और काम कुछ नहीं करते ।

यह ठीक है कि दोनों प्रकार के लम्बरदारों में हमें थोड़ा अन्तर करना होगा । किन्तु बात एक और है । इस प्रकार तो सरकारी कर्मचारियों में भी बहुत से लोग स्वतंत्र हुआ करते हैं । मैं लम्बरदारों की स्थिति को अच्छी तरह से जानता हूं । मैंने देखा है कि सरकार के छोटे अधिकारी भी उनसे इतना बुरा व्यवहार करते हैं कि उसे देख कर लज्जा आती है । उच्चन्यायालयों ने भी लम्बरदारों के विरुद्ध बातें लिखी हैं । उनकी वास्तविक स्थिति मुझसे छिपी नहीं । यदि सारी सामग्री हमारे सामने समिति में होती तो निस्सन्देह हम निर्णय कर लेते । किन्तु यही बात हमें अब करनी चाहिये ।

दूसरी विचित्र बात यह है, कि माननीय मंत्री को यहां उन पदों के नामों के बारे भी कुछ पता नहीं है जिन्हें व विमुक्ति प्रदान करना चाहते हैं । यह कार्यवाही उचित नहीं है । इस सभा में इस प्रकार से विधियां नहीं बनानी चाहियें । बहुत से पदों का परीक्षण नहीं हो सका है अतः यह कैसे कहा जा सकता है कि उन्हें विमुक्ति दे दी जाये । यह उपबन्ध अस्पष्ट एवं द्विविधामूलक है । इस कारण यह उपबन्ध पारित करना न्यायोचित नहीं है ।

खण्ड ३ में ऐसे अनेक पद हैं जिन पर विमुक्ति प्रदान नहीं करनी चाहिये किन्तु बिना विचार किये हम ने उन पर विमुक्ति दे रखी है । यदि मेरा संशोधन इस बारे में स्वीकार न किया गया तो पुनः वही कठिनाई उपस्थित होगी । अतः मेरी प्रार्थना है कि उपखण्ड (ज) तथा (झ) के बारे में आप मेरे संशोधन स्वीकार करें अन्यथा खण्ड (३) को पारित करने से हम देश की कोई सेवा नहीं करेंगे ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : (गुरदासपुर) : इस खंड का कोई तर्कपूर्ण आधार नहीं है । इस खंड की कमियों को दूर करने के प्रयत्न म हमने इस में और कमियां पैदा कर ली हैं और किसी चीज़ को निश्चित रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है । मेरे विचार में इस विधेयक के कारण चुनाव-याचिकाओं की संख्या बढ़ जायेगी । इस व्यवस्था में कोई भी निर्वाचित सदस्य अपने आप को संरक्षित नहीं समझ सकता । हमें इस दिशा म निश्चित रूप में 'लाभ-पद' की सामान्य परिभाषा का निर्माण करना चाहिये था । परन्तु इस 'लाभ-पद' की समस्या ऐसी है कि जितना आप इसके सम्बन्ध में सोचेंगे, उतना ही इसमें उलझते जायेंगे । इस विधेयक के अन्तर्गत जो भी चुनाव लड़ेगा, उसका भय बना रहेगा और निर्वाचित हो जाने के पश्चात जब तक उसके विरुद्ध चुनाव याचिका का कोई निर्णय नहीं हो जाता उसका भय निरन्तर बना रहेगा । मैं समझता हूं कि छूट देने के मामले में काफी मनमानियां की गयी है । मैं प्रसन्न हूं कि विश्वविद्यालय के कुलपतियों को छूट वाले पदों की सूची से निकाल दिया है । इससे देश में शिक्षा की प्रगति को प्रोत्साहन मिलेगा और सभी सम्बद्ध वर्गों के परस्पर सम्बन्ध अच्छे होने की आशा होगी । मेरे विचार में इस दिशा में व्यवस्था यह होनी चाहिए कि किसी विश्वविद्यालय के शिक्षा सम्बन्धी सलाहकार निकाय के सदस्य को उस अनर्हता से छूट दी जाये । मेरा कहना यह है कि विश्वविद्यालयों में शिक्षा से सम्बन्धित सभी प्रकार के निकायों की सदस्यता इस विधेयक के अन्तर्गत छूट मिलनी चाहिए । कई बार परिभाषा दे देना भी अधिक खतरनाक होता है । परन्तु मंत्री महोदय ने जो भी परिभाषा की है उसे व्यापक ढंग से नहीं किया गया, जिससे हानि हो रही है । 'सलाहकारी हैसियत' का प्रश्न भी उड़ा देना चाहिए ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय ने विदेशी शिष्टमंडल की सदस्यता के सम्बन्ध में उपबन्ध सम्मिलित कर लिया है। विदेशों में जाने वाले शिष्टमंडल कई प्रकार के होते हैं— व्यापारिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक इत्यादि। इनकी गति-विधियों में स्वाभाविकत: काफी विभिन्नता होती है, अत: एक ही सिद्धान्त अथवा परिभाषा से इसका निपटारा कैसे होगा। इस खंड का सारा उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा। मैं इस बारे में वर्ष अथवा छ: मास की अवधि के निर्धारित किये जाने के भी पक्ष में नहीं हूं।

इसके अतिरिक्त शैरिफ भी छोड़ दिये गये हैं, खैर उनकी संख्या तो केवल तीन है, अत: मैं उनके सम्बन्ध में अधिक नहीं कहता। परन्तु होमगार्डों को छूट देने वाली बात मेरी समझ में नहीं आई। यह पुलिस वालों का ही दूसरा नाम है। न ही इन होमगार्डों से इस सदन की योयता और प्रतिष्ठा में ही कुछ वृद्धि होने की विशेष सम्भावना है। इसलिये उन्हें केवल पुलिस के कार्यों के लिए छोड़ देना चाहिए। यदि उन्हें छूट देनी ही है तो सभी दलों के सदस्यों को छूट दी जानी चाहिए।

उपखंड (ज) अथवा (झ) नितांत अस्पष्ट हैं; इन्हें स्पष्ट भाषा में प्रस्तुत नहीं किया गया है। मेरी समझ म इसका मतलब ठीक ठीक नहीं आया है। आखिर सलाहकारों से सरकार की इच्छा क्या है; इस उपखंड में जो उपबन्ध है उससे सरकार का उद्देश्य क्या है ? फिर आंकड़े इकट्ठे करने की बात भी समझ में नहीं आती। संसद्-सदस्य आंकड़े इकट्ठे करते तो नहीं फिरेंगे। सदस्य किसी जांच के लिये जायें, वह बात अलग है, परंतु वे आंकड़े एकत्रित करने निकलें यह बात हमारी समझ से बाहर है। अन्य बात यह है कि विधेयक में सलाहकारों का कई स्थानों पर उल्लेख है। क्या यह सरकार केवल सलाहकारों के सहारे ही चलेगी ? परन्तु कई बार इन सलाहकारों की सलाह नहीं भी मानी जाती। कई बार जब सलाहकारों की सलाह नहीं मानी जाती तो उनका मजाक भी उड़ता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि ये उपखंड नहीं होने चाहिए, क्योंकि इतने सलाहकारों की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। इसी प्रकार उपखंड (ञ) का भी कोई लाभ नहीं। 'लम्बरदार' का पद लाभ-पद है। वह सरकार के प्रत्येक विभाग में प्रभाव रखता है, और इस प्रकार के सरकारी प्रभाव के व्यक्ति सदन के सदस्य नहीं होने चाहिए। उपखंड में लम्बरदार के लिये कहा गया है कि "...जो पुलिस के काम न करता हो।" लम्बरदार अपने गांव में शांति और व्यवस्था बनाये रखने के लिये ज़िम्मेदार होता है। और वह सरकार का एक छोटा सा अंग भी है। उसका पुलिस में प्रभाव काफी होता है। हमें इन लोगों को छूट नहीं देनी चाहिये। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि उन्हें उसको अपने स्थान पर छोड़ देना चाहिए और इस खंड को समाप्त कर देना चाहिए।

मैं चाहता था कि राष्ट्रीय छात्र सेना, प्रादेशिक सेना के सदस्यों को संसद् के सदस्य होने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। परन्तु मैं इस पर अधिक जोर नहीं दूंगा। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आखिर इन सब उपबन्धों में तर्क क्या है ? क्या इससे उनकी तमाम आवश्यकतायें पूरी हो जायेंगी ? क्या मंत्री महोदय हम लोगों को उन लोगों के रहम पर छोड़ना चाहते हैं, जिनकी पैदा की हुई कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए हम संसद् के सदस्य चुनकरके आये हैं ?

†**श्री वासुदेवन नायर** : (तिरुवल्ला) : विभिन्न दृष्टिकोणों से सदन में विधेयक पर आलोचना की गयी है। हम इस पक्ष वाले अपने दृष्टिकोण से विधेयक को देखते हैं। मैं यह मानता हूं जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। इस पर भी मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस मामले पर बड़ी गम्भीरता से ध्यान दें। खंड ३(ज) के सम्बन्ध म, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि वह संशोधन संख्या ४, ५, ६ और ७ पर ध्यानपूर्वक विचार करें। हमें इस मामले पर इस दृष्टि से विचार करना चाहिए कि यदि संसद् का कोई सदस्य किसी समिति का साधारण

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री वासुदेवन नायर]

सदस्य बन जाये, तो क्या उसके संसदीय कार्य के प्रति कोई अन्याय होता है ? हमें क्रियात्मक दृष्टिकोण से इस मामले को देखना चाहिए । यदि किसी समिति अथवा निगम का सदस्य होने से उसके संसदीय-कार्य के प्रति अन्याय होता है, तो उसे ऐसे निकायों का सदस्य नहीं बनाया जाना चाहिए । यदि अवस्था इसके विपरीत हो तो वे समिति अथवा बोर्ड इत्यादि के साधारण सदस्य हो सकते हैं । मेरे विचार में ऐसा करने में कोई कठिनाई नहीं आती और न ही किसी प्रकार का सिद्धांत ही भंग होता है ।

आज, जब कि हमारा सरकारी क्षेत्र विकसित हो रहा है, ऐसी अवस्था में बड़े बड़े महत्वपूर्ण कार्यों में जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग प्राप्त न करना, एक गम्भीर बात ही कही जायेगी । हमें इस प्रकार का निर्णय करने में शीघ्रता नहीं करनी चाहिए । जब संविधान बना था और अनुच्छेद १०२ पर बहुत से सदस्यों ने अपना मत व्यक्त किया था, उस समय यह विचार नहीं हुआ था कि हमारे आर्थिक जीवन का इस प्रकार विकास होगा और विभिन्न प्रकार के स्वतंत्र निगमों का निर्माण होगा । आज तो हम अपने राजस्व का मुख्य भाग इन निकायों में लगा रहे हैं । इन निकायों को बड़ा महत्वपूर्ण कार्य करना है । क्या जनता के प्रतिनिधियों को इसमें सम्मलित होने से वंचित रख कर, हम इन निकायों को नौकरशाही मनोवृत्ति वाले लोगों के सपुर्द करना चाहते हैं? आखिर संसद् सदस्य संसद् की बैठकों में भाग लेने के अतिरिक्त और करते ही क्या हैं । और इन समितियों में भाग लेना संसद् में भाग लेने के बराबर ही है । अतः मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि यदि वह संशोधन संख्या ४ और ५ स्वीकार करने में असमर्थ हैं तो उन्हें सशोधन संख्या ६ तो स्वीकार कर ही लेना चाहिए ।

अब मैं संशोधन संख्या ७ पर कुछ कहना चाहता हूं । इस सम्बन्ध में सारे देश भर में एकरूपता होनी चाहिए । केरल के त्रावनकोर-कोचीन क्षेत्र में सरकारी सहायता-प्राप्त स्कूलों के अध्यापक चुनावों म खड़े हो सकते हैं परन्तु मलाबार क्षेत्र में ऐसा नहीं है । इस प्रकार के अध्यापकों की संख्या १० हजार से १५,००० तक है । इस प्रकार की विभिन्नतायें दूर की जानी चाहिए । मेरे विचार में इसे स्वीकार करने में मंत्री महोदय को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

मैं पंडित ठाकुर दास भार्गव की यह बात तो स्वीकार करता हूं कि विश्वविद्यालय के कुलपति को संसद् का सदस्य नहीं बनना चाहिए परंतु विश्वविद्यालयों के अन्य निकायों के सदस्यों को इस अधिकार से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए । किसी सीनेट की सदस्यता से संसदीय कार्यों म कोई रुकावट नहीं हो सकती । जहां तक होम गार्डों का सम्बन्ध है, यह किसी राज्य में है और किसी में नहीं है । माननीय सदस्य श्री शर्मा कहते हैं कि ये लोग पुलिस वाले नहीं कहलाते हुए भी पुलिस का ही कार्य करते हैं । मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह थोड़ा विस्तार से इस मामले पर प्रकाश डालें ।

अब मैं शिष्टमंलों की सदस्यता की ओर आता हूं । जो लोग महीनों और वर्षों देश से बाहर रहते हैं, उन्हें अनर्हता के अन्तर्गत ले लेना चाहिए । इसमें कुछ तर्क दिखाई देता है और इस में समय अवधि निर्धारित करना बड़ा युक्तियुक्त प्रतीत होता है । मंत्री महोदय को इसी खंड को एक अन्य दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए । हम इस सिद्धान्त को स्वीकार कर चुके हैं कि श्रम को उद्योगों की व्यवस्था में पूरा प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए । केरल में दो उद्योगों की प्रबन्ध व्यवस्था में ऐसा किया भी गया है । अब यदि यह निर्णय होता है कि ये लोग संसद् सदस्य नहीं बन सकते हैं तो यह बड़ा अनुचित निर्णय होगा और ये दो निर्णय परस्पर विरोधी हो जायेंगे । मेरा अन्त में फिर निवेदन है कि संशोधन संख्या ६ स्वीकार कर लिया जाये ।

†**श्री मोहम्मद इमाम :** मैं ने तीन मामलों के सम्बन्ध में संशोधन प्रस्तुत किये हैं। विश्व-विद्यालयों के उपकुलपति, सीनट के सदस्य अथवा सभापति और राजस्व अधिकारी संसद् अथवा किसी विधान मंडल के सदस्य नहीं बनाये जाने चाहिएं। छूट पाने वाले पदों की सूची से इनको निकाल देना चाहिए। इसके अतिरित मैंने मैसूर राज्य के निकायों से सम्बन्धित अधिकारियों को अनर्हताओं के अन्तर्गत लाने के लिए अनुसूची में संशोधन करने का नोटिस दिया है। संसद् अथवा विधान मंडल में निर्वासित व्यक्ति को अपनी सारी शक्ति तथा समय विधान मंडल के कार्य में लगाना चाहिए। अपने पद को अपनी प्रगति के लिए प्रयोग नहीं करना चाहिए और लोगों के समक्ष उसे एक उदाहरण बन कर आना चाहिए।

सरकार ने पंडित भार्गव समिति की सिफारिशों पर भी विचार नहीं किया। उसमें कहा गया था कि उपकुलपति चाहे निर्वाचित हो, चाहे मनोनीत, उसे संसद् अथवा विधान मंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। परन्तु विधेयक में उपकुलपति अथवा सीनेट के सदस्यों के लिए ऐसी किसी प्रकार की अनर्हता की व्यवस्था नहीं। उपकुलपति को संसद् अथवा विधान मण्डल का सदस्य बनने की अनुमति देना संविधान को भंग करना होगा, क्योंकि वह तो प्रत्येक प्रकार से एक सरकारी आदमी ही होता है और उसी कोष से उसे वेतन मिलता है। इससे सम्बन्धित उपबन्ध को हटा लेना चाहिए और उसे किसी प्रकार के चुनाव में खड़े होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसी प्रकार का व्यवहार सीनेट के सदस्यों के साथ भी होना चाहिए, क्योंकि वे भी अपने आप में काफी प्रभावशाली व्यक्ति होते हैं और अपने प्रभाव तथा स्थिति का लाभ उठा सकते हैं।

अब तक ग्राम अधिकारी चुनाव में खड़े नहीं हो सकते थे। परन्तु इस विधेयक में यह व्यवस्था कर दी गयी है कि ग्राम के जो राजस्व अधिकारी पुलिस कार्य नहीं करते, वे इस अनर्हता से मुक्त कर दिये जायेंगे। परन्तु वास्तविकता यह है कि इन ग्राम अधिकारियों का अस्तित्व मात्र सरकार की कृपा पर निर्धारित होता है; इस कारण इस खण्ड को समाप्त कर दिया जाय तो अच्छा है। इससे विधेयक में काफी सुधार हो जायेगा और मेरे सम्माननीय मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव भी सन्तुष्ट हो जायेंगे।

†**श्री बि० दास गुप्त :** खण्ड ३ के उपखण्डों के अन्तर्गत लम्बरदार, मालगुजार, पटेल और देशमुख सभी को छूट दे दी गयी है, विशेषत: वे लोग जो पुलिस कार्य नहीं करते। यह देहाती अधिकारी शताब्दियों से चल रहे हैं। कई लोग तो वंश-परम्परा से इन पदों पर चले आ रहे हैं। यद्यपि यह स्वयं कोई पुलिस कार्य नहीं करते, परन्तु पुलिस इनकी सहायता से कार्य अवश्य करती है। राजस्व अधिकारी भी तो गांव में पुलिस के सहायक के रूप में काम करते हैं। जब भी कोई सरकारी अधिकारी गांव में आता है तो ये लोग हर समय उसकी सहायता के लिए मौजूद रहते हैं। यह निर्णय करना निर्वाचक अधिकारी के लिये बहुत ही कठिन होगा कि कौनसा राजस्व अधिकारी पुलिस कार्य करता है अथवा कौन सा नहीं करता। अत: इस उपबन्ध से चुनाव याचिकाओं की संख्या में वृद्धि ही होगी। इसी प्रकार लम्बरदार भी ऐसे ही सारे कार्य करता है और इन कार्यों की छानबीन करना एक असम्भव काम है।

जहां तक होम गार्डों का प्रश्न है, वे लगभग पुलिस वालों का ही काम करते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि उनको किस सिद्धान्त के अनुसार छूट दी गयी है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्हें शीघ्रता न करके, मामले पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। इस उपबन्ध से देश में चुनाव सम्बन्धी काफी गड़बड़ हो जायेगी। पंडित ठाकुर दास भार्गव ठीक कहते हैं कि पुलिस और गैर पुलिस कार्यों में भेदभाव करना सम्भव नहीं। भेदभाव करने का अर्थ और अधिक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री बी० दास गुप्त]

क्रान्ति पैदा करना होगा। कम से कम देहाती क्षेत्रों में ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, जिससे आगामी चुनावों के सम्बन्ध में अधिक स्पष्टीकरण हो सके।

†**श्री ले० अचो सिंह** : मैं अपने संशोधन संख्या ८ पर कुछ विचार प्रकट करूंगा। मेरा संशोधन 'होमगार्ड' के सम्बन्ध में है। ये लोग पुलिस का ही एक अंग हैं। और आपातकालीन प्रयोग के लिए इनका संगठन किया जाता है। सरकार और पदासीन दल से इन्हें कुछ सुविधायें भी प्राप्त होती हीं हैं, अतः इनको अनर्हता से मुक्त कर देना कभी भी उपयुक्त नहीं कहा जायेगा। अतः मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि उन्हें विधेयक के इस अंग पर विचार करना चाहिए।

इसी प्रकार का मामला उपकुलपतियों का है, उन्हें भी संसद् का सदस्य बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। राजस्व अधिकारियों को भी, जो आसाम और मनीपुर में "मौजादार" कहलाते हैं, यह छूट नहीं दी जानी चाहिए।

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक की जो दफा ३ है, उसके अन्दर बहुत से संशोधन आये हैं, मैं उनका बहुत ज्यादा विरोध नहीं करता हूं लेकिन जो उस की उपधारायें एफ० एच०आई० और जे० हैं उनके इसमें होने से अब तक जो व्यवस्था थी उसमें और आगे की व्यवस्था में बहुत अन्तर पड़ जाता है। हम कहां और किस को इस परिधि से बाहर रख सकेंगे, यह कुछ समझ में नहीं आता। आप आखिर तक चलें, उपधारा जे० में, जहां पर कि हम विलेज रेवेन्यू आफिसर्स को मुक्ति दे रहे हैं। उनमें हम लम्बरदार, मालगुजार, पटेल और देशमुख को भी रख रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में "लम्बरदार" शब्द तो है, लेकिन लम्बरदार कोई वसूली का काम नहीं करता। मालगुजार वसूली का काम नहीं करता। हमारे यहां न पटेल है और न देशमुख ही है। विलेज रेवेन्यू आफीसर है, जो कि पटवारी है। इसके अन्दर पटवारी को भी एग्जेम्पेशन दिया जा रहा है। हमने अपने रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपल्स ऐक्ट के अन्दर जो दफा १२३ बना रक्खी है, जिसके मातहत करप्शन के आधार पर चुनाव याचिकायें मंजूर होती हैं और बहुत से व्यक्ति पांच, छः वर्षों के लिये खड़े होने से वंचित हो जाते हैं, उसमें दफा १२३ के आखिर में दिया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेण्ट कौन कौन रहेंगे।

लेखपाल वगैरह जो हैं, उनके खड़े होने की बात तो दूर रही, अगर वह चुनाव में मदद भी करें तो चुने हुए व्यक्ति के खिलाफ चुनाव याचिका दाखिल होने पर वह मंजूर हो जाती है और व्यक्ति डिबार (अयोग्य) किया जाता है अपने पद से।

अभी दफा ४ के अन्दर सरकार की तरफ से जो अमेंडमेंट आया है उसमें लिखा हुआ है कि सन् १९५३ का जो प्रिवेंशन आफ डिस्क्वालिफिकेशन ऐक्ट है उस को रिपील किया जाता है। मगर ५४ नम्बर का जो अमेंडमेंट है, जो सरकार मूवत कर रही है, उसके मंजूर हो जाने के बाद रिप्रजेन्टेशन आफ पीपल्स ऐक्ट के अन्दर जो प्रतिरोध है, वह बहुत कुछ दूर हो जायगा। उसके अन्दर प्रतिरोध यह है कि जिस कानून में ऐसी दफायें अवरोध के प में हैं, वे निकाल दी जायें। इस ऐक्ट के जरिये रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपल्स ऐक्ट की धारा १२३ की उपधारा ७ के एफ अंश को भी रिपील (रद्द) किया जा रहा है। जब हम यह करने जा रहे हैं, जब हम एक इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं, तब हमें जरा गम्भीरता से सोचना पड़ेगा कि इससे हम पार्लियामेंट के स्तर को ऊंचा कर सकेंगे या और नीचे गिरायेंगे। इस बारे में पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बड़ी लम्बी तकरीर करते हुए सब बातों पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया। इसलिये मैं अधिक न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं कि रिप्रेजेन्टेशन आफ पीपल्स ऐक्ट में जो विलेज आफिसर्स को रक्खा गया है, उनको यहां पर आप न लावें। व लोग पिछले ऐक्ट में अपनी

---

†मूल अंग्रेजी में

जगह पर सही रक्खे गये हैं। पहले ऐक्ट में भी कठिनाइयां आईं और बहुत सी चुनाव याचिकायें आईं। जो पंचायत राज ऐक्ट या उसमें के भी आदमी बहुत से आ जाते थे। गांव का सभापति आ जाता था, सरपंच आ जाता था। उन को भी निकाला गया। लेकिन अब आप इस के क्षत्र को और बढ़ा कर विलेज रेवेन्यू आफिसर्स को भी निकाल रहे हैं। इस सम्बन्ध में जिक्र किया गया है कि वही आदमी आ सकेगा जो पुलिस का काम न करता हो। यह बड़े झगड़े की बात होगी कि वह कहां पुलिस का काम शुरू करता है और कहां तक रेवेन्यू का काम करता है। रेवेन्यू की वसूली में भी पुलिस की जरूरत पड़ जाती है। झगड़ा बहुत बढ़ जायेगा जबकि पार्लियामेंट के स्तर पर कोई सुधार नहीं होगा।

इस के बाद मैं जे० के बारे में कहना चाहता हूं। अभी कहा गया कि यह तो परिशिष्ट से सम्बन्धित है और इस पर बाद में बहस होगी। लेकिन इस के अन्दर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम अपने परिशिष्ट को ज्यादा लम्बा बढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम और भी अधिक आदमियों को मुक्त करने जा रहे हैं। जितना ही परिशिष्ट को बढ़ाया जा रहा है उतना ही झगड़ा उससे पैदा हो सकता है कि कौन गवर्नमेंट के अंदर आता है और कौन नहीं। तमाम दुनियां भर की चीजें हम इसके अन्दर करने जा रहे हैं। ऐसी हालत में आप क्यों नहीं एक साफ कानून बना देते कि पार्लियामेंट के अन्दर आने के लिये किसी तरह का अवरोध नहीं होगा। जैसे कि चाइना और रूस आदि मुल्कों में है। वहां का कमाँडर इन चीफ भी पार्लियामेंट का मेम्बर है। वहां पर एग्जिक्यूटिव आफिसर्स और पार्लियामेंट के मेम्बर्स में कोई फर्क नहीं है, सब कम्यूनिस्ट पार्टी के मेम्बर हैं और सब पार्लियामेंट के मेम्बर हैं। अगर हम समझते हैं कि किसी न किसी रूप से अधिक आदमियों को हमें यहां पर लाना चाहिये तो जरूर लावें। अगर हम इसको अच्छा समझते हैं तो इसके विरुद्ध कोई तत्व न रहे। लेकिन हम बहुत धीरे धीरे जो कदम बढ़ा रहे है, उसमें हमें डर लगता है कि कहीं ऐसा न हो कि जो हमारा स्तर है वह नीचे न गिर जाय और जो हमारा डिमोक्रेटिक रूप आज है, उसमें बहुत अन्तर पड़ जाय। हमारे अन्तर करने से अगर सब एक हो जायं तो बात दूसरी है, लेकिन जब तक अलग अलग चीजें रहती हैं, जब तक यह रहता है कि कोई भी एग्जिक्यूटिव आफिसर जो कि सरकार से तनख्वाह पाता है, वह पार्लियामेंट का मेम्बर न बन सके और उस को हम दूसरे रूप से यहां लाना चाहें, तो वहां गड़बड़ पड़ सकती है। मसलन् आई० में हम ऐसे लोगों को लाना चाहते हैं जो कि किसी कारपोरेशन या बाडी का चेअरमैन हो। आये दिन हमारे यहां पर चर्चा होती है कि अमुख अमुख कारपोरेशन की कार्रवाई ठीक नहीं हो रही है। अगर उस कारपोरेशन का आदमी यहां आ जाये और पार्लियामेंट का मेम्बर हो जाये, तो यह डर होगा कि हम उस कारपोरेशन के बारे में नुक्ता चीनी नहीं कर सकेंगे। उसका जो प्रभाव होगा वह उसको दूसरे मेम्बरों पर डालने की कोशिश करेगा और कहेगा कि जो भी बात हो उसे पार्लियामेंट के अन्दर न आने दो। यह चीज उन सरकारी कारपोरेशनों पर पार्लियामेंट के एकाधिपत्य को रोकती है, संरक्षण को रोकती है और देख रेख को रोकती है। जो भी अपना नियन्त्रण आज हम उन पर रखते हैं वह किसी न किसी अंश में निकल जायेगा। क्योंकि वहां का मेम्बर बराबर वहां के सदस्यों पर अपना प्रभाव डालता रहेगा इस नियन्त्रण के विरोध में। गवर्नमेंट खुद तो ऐसा काम करती ही है लेकिन वह भी इन विषयों को यहां पर नहीं आने देगा।

दूसरी बात यह है कि मैं इस सदन के सदस्यों को जरा ऊंची नजर से देखना चाहता हूं, मंत्रिमंडल की तरफ भी ऊंची नजर से देखना चाहता हूं। लेकिन बहुत से आदमी स्वभाव से पानी की भांति नीचे नीचे गिरते हैं। इसलिये हो सकता कि हम अपने ही अभिप्राय से अपने मंत्री के पास जायें कि अमुख कारपोरेशन में मुझे रख दो। अगर इस तरह से हमारे यहां के लोग मंत्रियों और सेक्रेटरियों के पास पहुंचने लगें तो जो आज हमारी क्षमता या विशेषता है, उस को भी कुछ थोड़ा धक्का पहुंचेगा। आज बहुत सी बातों में हम अपना ज्यादा कंट्रोल रख सकते हैं, मुझे डर है कि अगर इस तरह से हुआ तो

[श्री सिंहासन सिंह]

हम अपनी स्वतंत्रता को खो बैठेंगे। यह बात बहुत अच्छी नहीं होगी। इसलिये अगर उपधारा (आई०) न रहे तो इस से देश का कुछ कल्याण ही होगा अकल्याण नहीं होगा।

भार्गव साहब ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि अगर कोई कमेटी बने और गवर्नमेंट की सलाहकार हो तो उस के लिये हम देखना चाहते हैं कि उस के आदमियों के मेम्बर बनने में कोई बाधा न हो। लेकिन हम ने अब एक नई भाषा उस में डाल दी कि वह कमेटी एक की हो या अनेक की। अब तक जब कमेटी का शब्द आया करता था तो हम लोग समझते थे कि उस में कुछ आदमी होंगे। लेकिन अब उसे कोई डिफाइन नहीं कर सकता। एक मेम्बर की भी कमेटी बन सकती है और दस की भी बन सकती है। अब हम ने एक मेम्बर की कमेटी की भाषा को भी उस में रख दिया। इसलिये मुझे डर है कि बहुत से मंत्रिगण बहुत से मेम्बरों को अपने सलाहकार के रूप में रखने का यत्न करेंगे। इस में 'सलाहकार' शब्द है। और बिल में यह अमेंडमेंट है कि उस में से 'टेम्पोरेरी' शब्द निकाल दिया जाये। इस से यह हो सकता है कि अगर कोई मंत्री किसी सदस्य को पांच बरस तक कोई पद न दे सके तो वे उस को अपने साथ सालहकार के रूप में नियुक्त कर लें और वह उन के साथ सलाहकार के रूप में अटच हो कर कुछ ऐलाएंस लेता रहे। यहां भी मुझे डर लगता है कि हमारे इस काम में इससे बाधा पड़ेगी। लेकिन अगर इस में 'वन आर मोर' शब्दों को रखना ही है तो इस में से यह शब्द हटा दिये जाने चाहिये कि वह ऐडवाइज़ करने के लिये हो। इस में ऐसी कमेटी होनी चाहिये जो कि हाउस से चुनी जाये। अगर इस तरह से एक आदमी की कमेटी बने और वह पार्लियामेंट के बाहर बने तो उसे से मुझे अन्देशा है। इसलिये मैं इस चीज़ का साथ नहीं दे सकता।

दूसरी बात डेलिगेशन के बारे में कही गई। "डेलिगेशन एब्रौड" पर मैं ने कुछ नोट आफ़ डिस्सेंट्स पढ़े और मैं भी इस विचार से सहमत हूं कि बिल में इस "डेलिगेशन एब्रौड" की अवधि निर्धारित करनी चाहिये थी कि वह कितने समय तक के लिए होगा। वह एक परमानेन्ट रूप सा धारण कर रहा है। आखिर संसद् के माननीय सदस्यों को भी सदन की मीटिंगों से अनुपस्थित रहने के लिए सदन से छुट्टी मांगनी पड़ती है और अगर कोई सदस्य बिना किसी नोटिस के लगातार ६० दिन से अधिक सदन की बठकों में अनुपस्थित रहता है तो मेम्बरशिप से डिबार हो जाता है। इसी तरह मैं चाहूंगा कि "डेलिगेशन एब्रौड" के लिए भी कोई ४, ५ या ६ महीने की अवधि निर्धारित होनी चाहिए और उतने दिन की मेम्बर हाउस से छुट्टी मांग कर जाये और बाहर रहे।

इसके अतिरिक्त क्या यह उचित होगा कि उस मेम्बर को जो कि बाहर "डेलिगेशन एब्रौड" में रहेगा, उसको बाहर एलाउंस के रूप में भी रुपया मिले और जो यहां से एक मेम्बर का वेतन होता है वह वेतन भी उसको दिया जाया करे हांलांकि वह एक दिन भी यहां सदन की बैठक में न बैठे? क्या यह उचित होगा कि पार्लियामेंट के जिन मेम्बर्स को बाहर डेलिगेशन में भेजा जाय उनको यहां से वेतन भी दें और उनको बाहर भी रखें? मेरी राय में आप इसके लिये कोई एक अवधि दो, चार या पांच महीने की रख सकते हैं, जैसे कि यू० एन० ओ० के लिए हम ने दो, चार या पांच महीने की अवधि रखी हुई है और जिसका कि मतलब यह समझा जायेगा कि हम ने उनको उतने समय की छुट्टी दे दी। लेकिन हम ने इस तरह की कोई अवधि इस में स्पष्ट रूप से नहीं रखी है और मुझे आशंका है कि पबलिक एक्सचेकर पर इसका व्यर्थ का भार बढ़ेगा और यह उस स्थिति में कुछ मुनासिब नहीं जंचता है जब कि हम चारों तरफ़ आर्थिक सहायता मांगते फिरते हैं। मेरी शिकायत यह है कि हम जो पैसा खर्च करते हैं उस के बारे में हम अच्छी तरह से गौर नहीं करते कि आया यह पैसा हम सही तरीक़े से खर्च करने जा रहे हैं अथवा नहीं और क्या जो पैसे का अपव्यय हो रहा है वह बंद नहीं किया जा सकता है और रोका नहीं जा सकता है। आखिर हमें यह कभी नहीं भुलाना होगा कि यह तमाम पैसा हमें जनता से मिलता है और

शासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह देखे कि वह पैसा ठीक से खर्च हो और उसका अपव्यय न हो। मैं चाहता हूं कि सरकार इसके लिए इस बिल में उचित संशोधन करे ताकि "डेलिगेशन एब्रौड" की कोई अवधि निश्चित हो जाय, दो या तीन महीने की। इस तरह की एक अवधि मुकर्रर होन के बाद अगर कोई डेलिगेशन बाहर जाय तो उस पर किसी को एतराज़ नहीं हो सकता है।

इसके बाद वाइस चांसलर के बारे में कुछ सुनने में आया कि शायद सरकार विचार करने जा रही है कि वाइस चांसलर को पार्लियामेंट की मेम्बरी के लिये अयोग्य घोषित कर दिया जाय। लेकिन हम ने देखा कि सरकार का कोई इसके लिए अमेंडमेंट नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं सरकार के दो ही अमेंडमेंट हैं . . . . . .

श्री राधा रमण (चांदनी चौक) : मेरा अमेंडमेंट है।

श्री सिंहासन सिंह : आपका अमेंडमेंट है वह तो हो सकता है लेकिन सरकार का तो इसके लिए कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब वह तो सरकार द्वारा आपके अमेंडमेंट को मानने का सवाल है लेकिन सरकार की तरफ़ से जो अमेंडमेंट आता है वह तो मान कर ही लाया जाता है और वह तो स्वीकार किया जाना ही होता है लेकिन इसके विपरीत हम लोग जो अमेंडमेंट देते हैं उनको मानना न मानना सरकार की मर्जी पर है।

भार्गव कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें भी है कि वाइस चांसलर को न रखा जाय और अगर सरकार इसको मान लेती है तो ठीक है।

सिंडीकेट और सिनेट का मेम्बर पार्लियामेंट का मेम्बर रहे, मुझे इसमें आपत्ति नहीं है।

केवल एक मिनिट के लिये मुझे कुछ होम गार्ड्स के सम्बन्ध में सदन से निवेदन करना है और वह यह है कि होमगार्ड्स और पुलिस इन दोनों के काम में समन्वय होना चाहिए जिस तरह होम-गार्ड्स पुलिस का काम करते हैं उसी रूप में अगर विलेज पटवारी पुलिस का काम करे तो वह क्यों अयोग्य घोषित किया जाय और वह क्यों निकाला जाय ? होमगार्ड्स हालांकि पुलिस का काम करते हैं लेकिन उनको हम ने इस में से नहीं निकाला है और उसके लिये कोई आपत्ति नहीं है तो मेरा कहना है कि जो विलेज पुलिस के कांस्टेबुल का काम करे उसको क्यों डिस्क्वालिफाई किया और निकाला जाय ? मेरा कहना है कि इन दोनों में समन्वय रहे। एक तरफ़ तो आप होमगार्ड्स को यह फ्रीडम देते हैं कि वह पुलिस का काम करते हुए भी पार्लियामेंट का मेम्बर बना रहे लेकिन गांव में अगर कोई व्यक्ति पुलिस का काम करता है, तो वह पार्लियामेंट की मेम्बरी के लिये अयोग्य ठहराया जाय, यह डिस्क्रिमिनेशन मेरी समझ में नहीं आता और इसीलिये मेरा कहना है कि इन दोनों में समन्वय होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूं कि इस में आवश्यक संशोधन कर लिया जाय। इस तरह के विधेयक के बिना कोई हमारा काम बिगड़ने वाला नहीं था और उसकी कोई खास ज़रूरत नहीं थी। हमारे पास सन् १९५१ और सन् १९५३ के कई विधान पहले ही से मौजूद हैं, प्रान्तों में मौजूद हैं और मेरी समझ में इस तरह के विधेयक को लाने की कोई खास आवश्यकता नहीं थी। धीरे धीरे सब काम चलता है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे आनरेबुल मिनिस्टर इन चीज़ों पर विचार करेंगे और ऐसी नौबत नहीं आने देंगे कि हाउस में कही गई कुल बातें सुनी अनसुनी हो जायें और वह धारा ज्यों की त्यों पास हो जाय और आयन्दा के लिये हमारे लिये झगड़े के रास्ते खुल जायें।

†**श्री रघुवीर सहाय** : मैं संशोधन संख्या १३, १४ और ५० के सम्बन्ध में बोलना चाहता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुवीर सहाय]

संशोधन संख्या १३ शेरिफों के बारे में है। सभी जानते हैं कि शेरिफ का काम पूरे समय का होता है। सभा के सभी माननीय सदस्य शेरिफों को विमुक्ति देने के पक्ष में नहीं हैं।

लाभ-पद सम्बन्धी समिति ने शेरिफ पद के लिये विमुक्ति देन की सिफारिश की थी। लेकिन अब पंडित ठाकुर दास भार्गव ने अपनी राय बदल दी है।

इंगलैण्ड में शेरिफ कामन्स सभा के सदस्य नहीं बन सकते थे। लेकिन अब वहां वेतन भोगी शेरिफों और स्थानापन्न शरिफों को ही अनर्हित किया गया है। हां, शेरिफ अपने ही निर्वाचन क्षेत्र से कामन्स सभा के लिये खड़ा नहीं हो सकता।

†**श्री हजारनवीस** : मैं इस स्पष्टीकरण के लिये माननीय सदस्य का कृतज्ञ हूं। मैं इसमें सिर्फ इतना और जोड़ना चाहता हूं कि स्काटलैंड के शेरिफ को लगभग १,८०० से २,००० पौण्ड तक का वार्षिक वेतन मिलता है। केवल स्काटलैण्ड में ही शेरिफों को संसद् के लिये खड़े होने की अनुमति नहीं है। हां, उच्च शेरिफ को अनर्हित नहीं किया गया है, लेकिन वह भी जिस क्षेत्र में नियुक्त हो वहां से खड़ा नहीं हो सकता।

†**श्री रघुवीर सहाय** : सभी जानते हैं कि शेरिफ पद के लिये वेतन का महत्व नहीं होता, वह चाहे थोड़ा हो या अधिक। विधि मंत्री ने यह भी नहीं कहा है कि शेरिफों को संसद-सदस्यता के लिये अनर्हित कर देने से संसद् को कोई बड़ी हानि पहुंचेगी। उन्हें सभा की सर्वसम्मति को कुछ महत्व तो देना ही चाहिये और इसलिये अपने विचारों का पुनरीक्षण करना चाहिये।

बड़ी खुशी की बात है कि विधि मंत्री ने सभा की राय मान कर उपकुलपति के पद को दी गई विमुक्ति हटा दी है।

†**श्री राधारमण** : मेरा एक संशोधन उपकुलपतियों को दी गई विमुक्ति को हटाने के बारे में है। विधि मंत्री उसे मानने को तैयार हो चुके हैं।

मेरा दूसरा संशोधन कुछ मामलों में अनर्हताओं को अस्थायी तौर पर निलम्बित करने के बारे में है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इसका सम्बन्ध नये खण्ड ३क से है। हम सभी खण्ड ३ पर ही चर्चा कर रहे हैं।

†**श्री राधा रमण** : ठीक है। उस पर मैं अगले अवसर पर बोलूंगा।

दूसरी चीज़ मैं यह कहना चाहता हूं कि 'होम गार्ड्स' को अनर्हताओं से विमुक्त नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि 'होम गार्ड्स' का पुलिस के साथ बड़ा सम्पर्क रहता है। और इस विमुक्ति का बुरा प्रभाव पड़ेगा।

इसी प्रकार, ग्राम राजस्व अधिकारी को भी विमुक्ति नहीं दी जानी चाहिये। इनका पद ऐसा होता है कि ये जनता पर गलत ढंग से प्रभाव डाल सकते हैं।

मुझे बड़ा खेद इस बात का है कि इस विधेयक को इतने अस्पष्ट रूप में सभा के सामने रखा गया है। इस से काफी गड़बड़ी हो सकती है और इस की बड़े गलत ढंग से व्याख्या की जा सकती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

संघ क्षेत्रों में इन विमुक्तियों से और भी अधिक खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि वहां विधान-मण्डल नहीं हैं, और इसलिये संघ क्षेत्रों की विभिन्न समितियों में संसद्-सदस्यों का रहना आवश्यक है। इस विधेयक में कोई स्पष्ट व्यवस्था न होने से, संसद्-सदस्य संघ क्षेत्रों की समितियों में भाग लेने से हिचकेंगे ।

विधि मंत्री को इन संशोधनों को स्वीकार करके खण्ड ३ मे सुधार करना चाहिये ।

†**श्री जगन्नाथ राव** : मेरा संशोधन संख्या ६५ है। उस में सुझाया गया है कि खण्ड ३ के उप-खण्ड (च) में से "किसी विश्वविद्यालय के उपकुलपति का पद" शब्द हटा दिये जायें ।

यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद १०२ के अन्तर्गत आने वाले कुछ लाभ-पदों को अनर्हताओं से विमुक्त करना चाहता है। उपकुलपति का पद एक लाभ-पद है। और, संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में भी उन पदों के लिय अनर्हित करने की बात कही गई है जिन के लिये पूरा समय देना पड़ता हो। चूंकि उपकुलपति का काम पूरे समय का काम है, इसलिये उसे अनुच्छेद १०२ में व्यवस्थित अनर्हताओं से विमुक्ति नहीं दी जानी चाहिये ।

यह विधेयक लाभ-पद समिति के प्रतिवेदन के आधार पर ही तैयार किया गया है। विचित्र बात तो यह है कि उस समिति के सभापति, पंडित ठाकुर दास भार्गव ही अब अपनी समिति के प्रतिवेदन की कुछ बातों का विरोध कर रहे हैं। उस प्रतिवेदन में 'होमगार्ड्स' को विमुक्ति दी गई थी। कई राज्य सरकारों ने उन को विमुक्त भी कर दिया है। उन का काम पुलिस जैसा अवश्य होता है, पर उन को पुलिस अधिकारी भी नहीं कहा जा सकता ।

††**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरे पास एक परिपत्र है, जिस में कहा गया है कि इस समय आन्ध्र राज्य, आसाम, केरल, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, जम्मू तथा काश्मीर और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश तथा त्रिपुरा के संघ क्षत्रों में 'होमगार्ड्स' नहीं हैं।

†**श्री जगन्नाथ राव** : पंडित ठाकुर दास भार्गव तो अब विश्वविद्यालय के सिंडीकेट और सीनेट तथा कार्य-पालक समिति के सदस्यों को भी विमुक्ति देने के पक्ष में नहीं हैं, जबकि लाभ-पद समिति ने उन को विमुक्त रखा था। पता नहीं अब उन्हों ने अपनी राय क्यों बदल दी है।

इसी तरह खण्ड (ज) और (झ) में पूरा समय चाहने वाले कार्यपालक पदों को अनर्हित किया गया है ।

खण्ड (ञ) में उल्लिखित पदों को लाभ-पदों की परिभाषा में नहीं लाया जा सकता। वे पूरा समय देने वाले सरकारी सेवक नहीं होते और न उन की कोई नियमित पदावलि ही होती है। मेरा ख्याल है कि इन को चुनाव के लिये खड़े होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये। यह उन का अधिकार है। श्री भरूचा ने तर्क दिया है कि इन लम्बरदारों को यह अधिकार देने का मतलब है कि संसद् में प्रतिभा की कमी है। मैं इस तर्क को उचित नहीं समझता ।

†**श्री हजारनवीस** : मैं ने एक छोटा सा संशोधन प्रस्तुत किया है। उस में यह स्पष्ट करने की कोशिश की गई है कि जहां कहीं भी किसी समिति के सभापति या समिति के सचिव को अनर्हित किया गया है, वहां यदि इन पदों के लिये दूसरे शब्दों का प्रयोग किया जाये, तो भी अनर्हतायें उन पर लागू ही रहेंगी। यदि सभापति और सचिव के बदले कोई दूसरे नाम रख दिये जायें, पर

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हजारनवीस]

उन के कर्त्तव्य और प्रकार्य सभापति और सचिव जैसे ही हों, तो भी उन पर अनर्हतायें लागू रहेगी । इस व्याख्या का तात्पर्य यही है कि हमें सचिव और सभापति के कर्त्तव्यों को देख कर ही उन के सम्बन्ध में निर्णय करना पड़ेगा ।

†**श्री दासप्पा** : मैं तो यह समझता हूं कि अनुसूची संलग्न कर देने से यह विधेयक बहुत ही पेचीदा बन गया है ।

पहली चीज़ तो यह है कि यह निश्चित करना बड़ा मुश्किल है कि किन पदों को विमुक्ति दी जाये और किन को नहीं ।

दूसरी चीज़ यह है कि हमारे देश में लोकतंत्र के विकास की मांग है कि जनता के प्रतिनिधियों को लोकहित के लिये अधिकाधिक संस्थाओं में भाग लेने दिया जाये । इस मामले में इंगलैण्ड की नक़ल करना ठीक नहीं है ।

[श्री बर्मन बैठा सीन हुये]

मैं ने अपने संशोधन द्वारा यही करने की कोशिश की है । खण्ड ३ (झ) में दो भाग नहीं रहने चाहिये । भाग (झ) को तो बिलकुल ही हटा देना चाहिये । संसद् उदस्य यदि भाग १ और भाग २ में उल्लिखित निकायों में से किसी एक के सदस्य बन रहें, तो उस से कोई अन्तर नहीं पड़ता । क्या हम इन परामर्शदाता निकायों के सदस्य बनने योग्य भी नहीं हैं ?

तीसरी चीज़ यह है कि कार्यपालक समितियों के सभापति, सचिव या सदस्य बनने से संसद्-सदस्यों पर जिन अतिरिक्त कर्त्तव्यों का दायित्व आ जायेगा, वह कर्त्तव्य निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करने के हमारे दायित्व के अन्तर्गत ही आ जाता है । इसलिये इन पदों को भी अलग नहीं रखा जाना चाहिये ।

उपखण्ड (ञ) ग्राम अधिकारियों के बारे में है । ग्राम अधिकारियों को अनर्हताओं से विमुक्त रखना एक बड़ी भूल है । यदि ग्राम अधिकारी संसद् के लिये खड़े होना चाहते हैं, तो उन को अपना पद छोड़ने में हिचकना नहीं चाहिये । इस ग्राम अधिकारी के पद पर बने रहने से, संस -सदस्य की स्वतंत्रता में बाधा पड़ेगी । फिर इन विमुक्तियों का कोई एक सिद्धान्त ही नहीं है । एक ओर तो पुलिस के कर्त्तव्य को निभाने वालों को अनर्हित किया जा रहा है और दूसरी ओर राजस्व अधिकारियों को, जिन के कर्त्तव्य भी जनता पर काफ़ी प्रभाव डालने वाले हैं, अनर्हताओं से विमुक्ति दी जा रही है । क्यों ? मेरे इलाके में पुलिस के कर्त्तव्य निभाने वाले को 'पटेल' कहा जाता है और राजस्व संबंधी कृत्य करने वाले को 'शान्भोग', दोनों ग्राम प्रशासन के दो स्तम्भ हैं । सरकार इन में से 'पटेल' को तो अनर्हित करना चाहती है, और 'शान्भोग' को अनर्हताओं से विमुक्त ! यह बड़ी विचित्र सी चीज़ है ।

श्री ब्रज राज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : सभापति महोदय, इस विधेयक की धारा ३ के सम्बन्ध में, जोकि इस विधेयक की जान है, मुझे कहना है कि यह सारी की सारी धारा ऐसी है, जिसे कि इस विधेयक में नहीं होना चाहिये था । प्रवर समिति में भी मैं ने इस का विरोध किया था और अब भी मैं सोचता हूं कि इस में जिन पदों को हमन डिसक्वालिफ़िकेशन (अनर्हताओं) से बरुशा है, वे पद ऐसे हैं, जोकि पार्लियामेंट की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर आघात कर सकते हैं । मुझे इस बात

---

†मूल अंग्रेजी में

की खुशी है कि अन्तिम समय पर कानून मंत्री महोदय और सरकार को यह स्वीकार करने के लिये राज़ी होना पड़ा कि वाइस-चांसलर---उपकुलपति---का पद एग्ज़ेम्पशन्ज़ (विमुक्ति) की लिस्ट से निकाल दिया जाय और यह सही किया गया है। जो व्यक्ति किसी पद पर पूरे वक्त काम करते हैं, वह अपना काम करेंगे या यहां पार्लियामेंट में आ कर काम करें, यह एक सोचने की बात थी। प्रवर समिति में भी इस पर बहुत ज़ोर दिया गया था और अब इस बात को माना जा रहा है, यह खुशी की बात है।

इस के साथ ही साथ म समझता हूं कि होम गार्ड जैसे पद को एग्ज़ेम्पशन्ज़ की लिस्ट में रखना किसी तरह भी उचित नहीं है। मैं जानता हूं कि आज बहुत से राज्यों में होम गार्ड का अस्तित्व नहीं है। लड़ाई के ज़माने में, जिस वक्त यहां पर ब्रिटिश हुकूमत थी, इस को शुरू किया गया था, लेकिन आज वह सब जगह नहीं है। यह भी तथ्य है कि उस को फिर से चलाने का प्रस्ताव चल रहा है। होम-गार्ड जैसे पद को हम इस डिस्क्वालिफ़िकेशन से अलग करें और उस को यह मौका दें कि वे लोग पार्लियामेंट में आ कर हिन्दुस्तान भर के लिये कानून बनाने का काम करें, मैं समझता हूं कि यह उचित बात नहीं है।

सब-क्लाज़ (एच) और (आई) में एडवाइज़री कमेटी के चेयरमैन और मेम्बर और किसी स्टचुटरी या नान-स्टैचुटरी बाडी के चेयरमैन और मेम्बर को रखा गया है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि सरकार की ओर से ऐसे पदों पर जो नियुक्तियां होती हैं, वे पार्लियामेंट की निष्पक्षता पर आघात कर सकती हैं। लेकिन ये नियुक्तियां स्पीकर महोदय की तरफ से या राज्य सभा के चेयरमैन की तरफ से हो, तो मैं समझता हूं कि उन से वह लाभ उठाया जा सकता है, जो कि पार्लियामेंट के मेम्बर विशेषज्ञ होने के नाते पहुंचा सकें। लेकिन अगर यह काम सरकार पर छोड़ दिया जाता है, तो वह बहुत ही खतरनाक चीज़ होगी। खुशकिस्मती से अभी हमारी पार्लियामेंट में एक पार्टी के तीन-चौथाई मेम्बर हैं, लेकिन आगे चलकर यह स्थिति बदल सकती है और ऐसा हो सकता है कि ५०० मेम्बरों में से २५३ एक पार्टी के हों और २४७ दूसरी पार्टी के हों और अगर सरकार के हाथ में इस तरह रेवड़ी बांटने का अधिकार रहा, तो वह रेवड़ी बांट कर संतुलन को---बैलेंस को खत्म कर सकती है और इस तरह पार्टी की सरकार बहुत अनस्टेबल हो सकती है। वह इस प्रकार कमज़ोर हो सकती है और बदल सकती है। निकट भूत का इतिहास हम देख रहे हैं। एक के बाद एक मुल्क फ़ौजी शासन के अन्तर्गत चला जा रहा है और उस से बचने के लिये बहुत ही आवश्यक है कि मुल्क की सरकार स्टेबल हो, मजबूत हो, ऐसी हो जिसे आसानी से न हटाया जा सकता हो। आज की सरकार से विरोध रखते हुए भी, और उस की नीतियों का इस हाउस में और इस हाउस के बाहर विरोध करते हुए भी, मैं मानता हूं कि आज इतनी सुरक्षा है कि ऐसी स्टेबल सरकार के होते हुए इस देश म फ़ौजी शासन नहीं हो सकता है। किसी भी देश में जनतंत्र को कायम रखने के लिये सुस्थिर और स्टेबल सरकार का होना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के पदों को डिस्क्वालिफ़िकेशन से एग्ज़ेम्प्ट कर के भविष्य में एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है जोकि जनतंत्र के लिये और एक स्थायी सरकार के लिये खतरनाक साबित हो। इन सब-क्लाज़िज़ में जहां तक ऐसी संस्थाओं, बाडीज़, कार्पोरेशन्ज़ वगैरह के चेयरमैन और मेम्बर को स्पीकर महोदय या राज्य सभा के चेयरमैन की तरफ से मनोनीत किया जाता है, वहां तक तो मैं चाहूंगा कि उस में कोई आपत्ति न हो और वह सिर्फ़ इसलिये कि हमारे देश में इन कार्पोरेशन्ज़ आदि की कार्यवाहियां बढ़ रही हैं, उन की संख्या बढ़ रही है और उन में हमारे मेम्बर शामिल हों, इस से फ़ायदा हो सकता है। लेकिन अगर ये नियुक्तियां सरकार के हाथ में रहती हैं, तो जनतंत्र को खतरा पैदा होता है। इस हद तक मैं सब-क्लाज़ (एच) और (आई) का विरोध करता हूं।

[श्री ब्रजराज सिंह]

जहां तक सब-क्लाज़ (जे) का सवाल है, उसमें लम्बरदार, मालगुजार, पटेल, देशमुख को रखा गया है और उसके साथ ही यह बताया गया है कि उसमें विलेज रेवेन्यू आफिसर का वह पद भी शामिल होगा, जिस को किसी अन्य नाम से पुकारा जाता है—"वाई एनी अदर नेम"। यह बहुत ही गोल है। इतना गोल है कि इस के कई मायने निकाले जा सकते हैं। कुछ राज्यों में जमीदारियां खत्म हो गई हैं और अन्त में उनको पूरे हिन्दुस्तान में खत्म होना है। तब तो इस तरह के पद नहीं रह जायेंगे। सरकारी पद पर नियुक्त व्यक्ति ही मालगुजारी वसूल करेंगे, जैसे उत्तर प्रदेश में अब गांव के सभापति को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह मालगुज़ारी वसूल करे। ऐसे अधिकारियों को अगर आप यह अधिकार देते हैं कि वह पार्लियामेंट के लिये खड़े हो सकते हैं, तो इससे बहुत ही भयावह स्थिति पैदा होगी। उस को टालने के लिए इस सब-क्लाज़ को कतई निकालने की ज़रूरत होगी। अगर लम्बरदार, मालगुज़ार, पटेल और देशमुख इत्यादि पार्लियामेंट में आना चाहें, तो वे इस्तीफ़ा देकर आ सकते हैं। उन्हें इन दो में से एक को चुनना पड़ेगा। अगर वे पार्लियामेंट में रहना चाहें, तो उनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना होगा, अन्यथा वे लम्बरदार, मालगुज़ार, पटेल, देशमुख अथवा लेखपाल के अपने पद पर स्थित रह सकते हैं। अगर किसी नागरिक के दिल और दिमाग़ में यह भावना है कि पार्लियामेंट के मेम्बर बन कर देश की सेवा करनी है, तो अपने इस प्रकार के पद से स्तीफ़ा देना कोई बड़ी कुर्बानी नहीं होगी। इस स्थिति में इस उपधारा को निकाल दिया जाना चाहिए।

शैरफिस के बारे में निवेदन करके मैं समाप्त करता हूं। हमारे कानून मन्त्री महोदय जानते हैं कि हमारे देश में केवल तीन शैरिफ़ हैं। ३८ करोड़ व्यक्तियों में से केवल इन तीन व्यक्तियों के लिये कानून में व्यवस्था करना, जिससे और भी अर्थ लगाए जा सकते हैं, मेरे विचार में कोई अच्छी बात नहीं होगी। अगर शैरिफ़ साहबान पार्लियामेंट के मेम्बर बनना चाहते हैं, तो उनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना होगा। जिस तरह वाइस-चांसलर के पद की एग्जेम्पशन को खत्म कर दिया गया है, उसी प्रकार शैरिफ़ के पद को भी वहां से हटा देना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस क्लाज़ का विरोध करता हूं।

†**श्री लीलाधर कटकी** : मेरे संशोधनों का मंशा यह है कि इस विधेयक को अनुच्छेद १०२ की भावना और उसके अर्थ के अधिक से अधिक अनुरूप बनाया जाये। अनुच्छेद १०२ की व्यवस्था यह है कि राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार के अन्तर्गत किसी भी लाभ-पदधारी को अनर्हित कर दिया जाये। संसद् को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह कुछ लाभ-पदों को संसद्-सदस्यों के लिये स अनर्हता से विमुक्त कर सकती है। यदि संसद्-सदस्यों को होमगार्ड, राष्ट्रीय छात्रसेना, प्रादेशिक सेना, इत्यादि के सदस्य रहने दिया जायेगा, तो वे संसद् के प्रति अपना कर्त्तव्य पूरी तौर से नहीं निभा सकेंगे। संसद्-सदस्य इन लाभ-पदों पर रहें या नहीं, सकी कसौटी यह होनी चाहिये कि इन नियमों या निकायों के कार्यक्रम प्रबन्ध के लिये इनमें उनका रहना आवश्यक है या नहीं।

इसलिये मेरी राय यह है कि संसद् को स शक्ति का उपयोग कहीं-कहीं ही बहुत सोच-समझ कर करना चाहिये।

मेरे संशोधन संख्या ६२ में अनुसूची के ानों भागों को हटा देने की बात कही गई है। यह इसलिये कि 'लाभ-पद' शब्द की परिभाषा न तो संविधान में और न किसी अधिनियम में ही दी गई है। इसीलिये भार्गव समिति को इसमें तनी कठिनाई पड़ी थी। सरकार को, विधि-विशेषज्ञों की सहायता से, शीघ्र ही इसकी परिभाषा करनी चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सलिये विधि मंत्री को यदि आवश्यक हो तो संविधान को संशोधित करना चाहिये, या जैसे भी हो, इस 'लाभ-पद' शब्द को परिभाषित करना चाहिये । यदि हम इसकी परिभाषा कर दें, तो फिर विधेयक में अनुसूची की आवश्यकता ही नहीं रह जायेगी ।

श्री मूल चन्द दुबे (फर्रुखाबाद) : सभापति महोदय, जिन मेरे मित्रों ने स बिल पर हो रहे वाद-विवाद में हिस्सा लिया है उनका विचार यह मालूम होता है कि उनको इस शैड्यूल (अनुसूची) में और इस क्लाज़ में कोई प्रिंसिपल की, कोई सिद्धान्त की, कोई सिस्टम की, कोई मैथड की बात नहीं मिलती। वे स चीज़ को ही ढूंढते रहे कि इसमें कोई प्रिंसिपल की बात हो। मैं उनकी तवज्जह इस तरफ दिलाना चाहता कि समें कोई न बातों का ज़िक्र नहीं है । आर्टिकल १०२ में तो केवल यह लिखा हुआ है कि जहां पर कोई आफिस आफ प्राफिट (लाभ-पद) हो तो वह डिसक्वालिफाई करेगा और पार्लियामेंट को यह अधिकार है कि वह उस डिसक्वालिफिकेशन को हटा दे । वहां पर कोई उसूल की आवश्यकता नहीं है । यह नहीं कहा जा सकता कि फलां आफिस से या फलां पद से अगर डिसक्वालिफिकेशन को हटा दिया गया है तो फलां जगह से क्यों नहीं उस डिसक्वालिफिकेशन को हटाया गया । यहां पर तो केवल बहुमत की बात है । जिस पद के लिए कोई चीज़ पास हो जाएगी उससे तो डिसक्वालिफिकेशन को हटा दिया जाएगा और।जस पद के लिए कोई चीज़ पास नहीं हो सकेगी उससे नहीं हटाया जाएगा । समें कोई उसूल की बात नहीं है जहां तक आर्टिकल १०२ का सम्बन्ध है ।

इस बात का भी मुझे ध्यान है कि बहुत सी हाई कोर्टस ने और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि आफिस आफ प्राफिट को समझना तो सम्भव है मगर इसका कोई डेफिनिशन नहीं दिया जा सकता। मैंने जो उन लोगों को कहा है, उसको बड़ी श्रद्धा और बड़े आदर से ध्यान में रखता हू। लेकिन फिर भी मेरी समझ में नहीं आता है कि जिस बात को आप डिफाइन नहीं कर सकते, जिस बात की आप तारीफ नहीं कर सकते, उसको समझ कैसे सकते हैं । इसका अगर मैं कोई उदाहरण दूं तो यह मिलेगा कि आपकी जो क्लाज़ ३ है, उसी को आप देखें तो आपको पता लगेगा कि ज्वाइंट कमेटी में बड़े बड़े लायक वकील मौजूद थे, मिनेंट लायर मौजूद थे, मगर उनकी समझ में यह नहीं आया कि आफिस आफ प्राफिट क्या है । क्लाज़ ३ को देखें तो उसमें उन्होंने यह नहीं कहा कि सिर्फ वे जिन को हम शैड्यूल में दे रहे हैं वे आफिस आफ प्राफिट हैं बल्कि यह कहा है कि इन सो फार एज़ इट इज़ एन आफिस आफ प्राफिट (जहां तक कि लाभ-पद हैं) । ये सब आफिस आफ प्राफिट हैं यह नहीं कहा है बल्कि कहा है कि इन सो फार एज़ इट ज़, ऐसा उन्होंने नहीं कहा है । इसका मतलब तो यह हो जायगा कि जहां तक जितना यह आफिस आफ प्राफिट है उतना आफिस आफ प्राफिट यह नहीं हो रहा है । आप यह करते कि यह आफिस आफ प्राफिट है और यह नहीं है । अब यह नहीं कहा जा सकता है और यही कहा जा सकता है कि इन सो फार एज़ । तो यह सब चीज़ ज़ाहिर करती है कि ज्वायंट कमेटी को भी यह बात मालूम नहीं हो सकी कि आफिस आफ प्राफिट क्या है । जब उनके दिमाग में यह बात नहीं आ सकी तो जो एक मामूली आदमी है उसके दिमाग में कैसे यह आएगी कि आफिस आफ प्राफिट क्या है। जब मामूली आदमी के दिमाग में यह बात नहीं आती है तब यह सवाल पैदा होता है कि वह क्या करेगा। ऐसी हालत में फर्ज कर लीजिये कि आप होम गार्डस को एग्जेम्प्ट करते हैं, एन० सी० सी० को एग्जेम्प्ट करते हैं तो इसका मतलब यह है कि ये ऐसी चीज़ें हैं कि उनमें अगर गवर्नमेंट उनको एग्ज़ेम्प्शन न दे और उनको प्रोत्साहन न दे तो उनमें कोई नहीं आवेगा । उनको एग्जेम्पशन इसलि नहीं दिया गया है कि उनके कुछ अख्त्यारात हैं, उनमें कुछ ताकत है या गवर्नमेंट उनको अपने हक में कर सकती बल्कि उनको एनकरेज करने के लिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए उन आफिसिस को एग्जेम्प्ट किया जा रहा है । इसी तरह से लम्बरदार वगैरह रखे गये । उसमें कोई असर नहीं पड़ता है । लेकिन जिस सिद्धान्त के तहत यहां विरोध किया जाता है वह यह है कि इसमें जो मेम्बर पार्लियामेंट हैं उनकी स्वतन्त्रता जाती रहेगी । यह भी कहा गया है कि यहां अगर वे लोग गवर्नमेंट की

[श्री मूल चन्द दुबे]

तरफ से पेश किया गया कोई छोटा मोटा आफिस मंजूर कर लें, या किसी कमेटी के मैम्बर हो जायें तो उनकी स्वतन्त्रता जाती रहेगी। लेकिन मैं कहूंगा कि आप इस बात पर गौर करें कि आपने १३७ आफिस या कमेटीज़ या बाडीज़ (समितियां या निकायें) ऐसी रखी हैं जिनको कि आप एग्जेम्पशन दे रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि १३७ मेम्बर पार्लियामेंट तो इन बाडीज़ में आ सकते हैं। फिर यह भी कहा जाता है कि आइन्दा भी जो आफिस सामने आयेंगे या जो बाडीज़ सामने आयेंगी उनको भी एग्जेम्पशन दिया जाएगा। तो १३७ तो ये हुए और बाद में सौ या दो सौ या ीन सौ और आफिस आफ प्राफिट हो सकते हैं जिन को कि एग्ज़ेम्पशन दिया का सकता है। एक स्टेज ऐसी भी आ सकती है जबकि जितने भी मैम्बर पार्लियामेंट हैं वे सब किसी न किसी बाडी पर या कमेटी पर हों। जब इतने अधिक आफिसिस एजेम्प्ट होते हैं तो स्वतन्त्रता कैसे बनी रह सकती है। गवर्नमेंट के हाथ में आप यह पावर दे रहेहैं कि १३७ ो वैसे ही एग्जैम्प्ट हो जायें और उसके बाद सौ ो सौ या तीन सौ को भी एग्जेम्पशन दे दिया जाए जब मौका आये। सका मतलब यह हुआ कि चार सौ या पांच सौ आफिसिस को आप एग्जेम्प्ट कर रहे हैं। तो जो बेसिस है, जो अंडरलाइंग प्रिंसिपल है कि आप मैम्बरान पार्लियामेंट की स्वतन्त्रता बनाये रखना चाहते हैं वह स्वतन्त्रता कैसे बनी रह सकती है। यह ऐसा बात है कि जिस पर मुझ को संतोष नहीं होता है।

मुझे बार-बार यह ख्याल आता है कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी तरह से भी ठीक मालूम नहीं देता है। अब सवाल ैदा होता है कि किया क्या जाए। या तो आप आफिस आफ प्राफिट को डिफाइन (पारिभाषित) करने की बात को छोड़ सकते हैं और कुछ आफिसिस को, दो चार या दस को जैसा आप मुनासिब समझे एग्जेम्पशन दे दें, अगर आप मैम्बरों की स्वतन्त्रता बनाये रखना चाहते हैं या फिर आप आफिस आफ प्राफिट को ही डिफाइन कर ें। मैं समझता हूं कि जिस तरह से हम चल रहेहैं उस तरह से हमें नहीं चलना चाहिये। लेकिन सवाल पैदा होता है कि किया क्या जाये। मैं तो यही कहूंगा कि आप आफिस आफ प्राफिट को डिफाइन कर दें। लेकिन हमारे आनरेबल मिनिस्टर साहब की राय यह है कि यह होना बड़ा मुश्किल है, यह हो नहीं सकता है। अब जो कानून इंग्लैण्ड में है या जो पहले वहां कानून था, उसके अगर आप पाबन्द रहें तो कोई भी डेफिनिशन आप नहीं दे सकेंगे। उसकी डेफिनिशन के पाबन्द रहते हुए हमें दो सौ, तीन सौ और चारसौ आफिस ऐसे रहने होंगे जिनको हमें डिसक्वालिफिकेशन से हटाना पड़ता है। अगर यह बात रहती है तो मैं समझता हूं कि यह बिल बेकार सी बात हो जायेगी।

तो अब डिफाइन करने का सवाल रहता है। उन का ख्याल है कि यह सम्भव नहीं है। मैं अर्ज करता हूं कि अगर इंगलैंड के पुराने और नये कानूनों को ध्यान में रखा जाय तो मालूम होगा कि कोई तरीका नहीं है इस को डिफाइन करने का। मेरे दोस्त कहते हैं कि इस के लिये कांस्टीट्यूशन को भी बदलना पड़ सकता है। मैं समझता हूं कि अगर कांस्टीट्यूशन को हमें बदलना भी पड़े तो कोई हर्ज की बात नहीं है। हम जहां छ बार कांस्टीट्यूशन को बदल चुके हैं वहां पर एक बार और बदल सकते हैं। हम ने साल या डेढ़ साल इस बिल पर विचार करने में ज्वाइंट कमेटी में लगाया है वहां इतना वक्त लगा कर कांस्टीट्यूशन को भी बदल सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात मुझे नजर नहीं आती है।

श्री नरसिंहन् (कृष्णगिरि) : इस से ज्यादा फायदा होगा और यह आसान भी है।

श्री मूल चन्द दुबे : मेरा भी यही विचार है।

यह बात भी मेरे दिमाग में है कि जनरल क्लासिज एक्ट में एमेंडमेंट करके भी यह बात हो सकती है। आनरेबिल मिनिस्टर साहब की यह राय है तथा पंडित ठाकुर दास भार्गव जी का भी यह ख्याल है कि यह नहीं हो सकता है। लेकिन मैं उन की इस राय से सहमत नहीं हूं। मैं उन की राय की कद्र करता हूं लेकिन कद्र करते हुए भी मैं उससे सहमत नहीं हो सकता। आप की राय यह है कि जनरल-क्लासिज ऐक्ट में यह इसलिये नहीं होसकता है कि जनरल क्लाजिस एक्ट वही देखा जायेगा जोकि वह कांस्टीट्यूशन पास होने के वक्त मौजद था यानी १९५० में जैसा वह था वैसा ही देखा जायेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप इस बात को फिर से देंखे, फिर से इस पर गौर करें कि अगर जनरल क्लाजिस एक्ट का अमेंडमेंट हम आज लाते हैं तो हम कह सकते हैं कि यह रिट्रास्पैक्टिव इफैक्ट से होगी, हम कह सकते हैं कि शुरू से ही ऐसा हो रहा समझा जाये। इस में क्या दिक्कत है ? मैं तो इस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं समझता हूं। जनरल क्लाजिस एक्ट में छोटी सी एमेंडमेंट कर के हमारा परपज सर्व हो सकता है। मैं समझता हूं कि सिवाय पब्लिक सर्वेन्ट्स के और किसी का डिस्क्वालिफिकेशन नहीं रहना चाहिये। सिर्फ पब्लिक सर्वेन्ट्स को डिसक्वालिफाई आप करें। बाकी किसी को डिसक्वालिफाई करने से कोई फायदा नहीं है। क्राउन का क्या अख्त्यार था और किस तरह वह फेवर करता है वह कोई सवाल आजकल नहीं है और न उस तरफ कोई ध्यान देना चाहिये।

अन्त में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो बातें मैं ने कहीं हैं उन पर भी मंत्री महोदय गौर करें।

†**श्री नरसिंहन्** : मैं एक स्पष्टीकरण कराना चाहता हूं। यदि कोई राज्य विधान मंडल एक ऐसी विधि बना दे कि संसद्-सदस्य उस राज्य विशेष के कुछ निकायों के संविहित सदस्य होंगे, तो उस का प्रभाव संसद के विशेषाधिकारों पर पड़ेगा या नहीं ? हो सकता है कि अभी इस में कोई कठिनाई न पड़े। लेकिन बाद में, किसी अवस्था पर उस राज्य की जनता उन संसद्-सदस्यों पर, संसद् की की अनुमति के बिना ही, कुछ ऐसे कर्तव्यों का भार रख सकती हैं, जो उस निकाय के सदस्यों के लिये जरूरी हों। तब संसद-सदस्यों के लिये कठिनाई भी पैदा हो सकती है। इसलिये विधि मंत्रालय को इस प्रश्न पर गहराई से विचार करना चाहिये।

†**पंडित क० चं० शर्मा** (हापुड़) मूलभूत सिद्धान्त यह है कि लोकतन्त्रवाद एक सामाजिक परीक्षण है। इस परीक्षण में समूची जनता को भाग लेना चाहिये। इसलिये जब तक कोई नागरिक अयोग्य या अपंग न हो, तब तक उसे इस परीक्षण में अपना योग देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिये।

सभी नागरिकों को देश के प्रशासन में भाग लेने और विधान बनाने के काम में हाथ बंटाने का अधिकार होना चाहिये।

सरकारी सेवकों को तो इसलिये अनर्हत किया जाता है कि उन्हें सरकारी नीति का ही निष्पादन करना होता है।

मैं चाहता यह हूं कि इन अनर्हताओं की सीमा को अधिकाधिक संकुचित रहना चाहिये।

मेरी राय तो यह है कि उपकुलपतियों और सभी प्रतिनिधि मंडलों तथा मिशनों के सदस्यों को भी संसद के लिये निर्वाचित होने का अधिकार रहना चाहिये। किसी समिति के सभापति या सदस्य को भी अनर्हित नहीं करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित क० च० शर्मा]

'होम गार्ड्स' को भी अनर्हत नहीं किया जाना चाहिये, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार में पुलिस या "होमगार्ड्स" का काम भी कोई नीचा या हेय काम नहीं होता।

'होम गार्ड्स' विधि और व्यवस्था बनाये रखने में सहायता देते हैं।

इसी प्रकार गांवों में लम्बरदार भी सरकार के लिये राजस्व इकट्ठा करता है। यह कहना गलत है कि लम्बरदार जनता पर कोई गलत प्रभाव डालते हैं। लम्बरदार का पुलिस से भी कोई संबंध नहीं रहता। इसलिये उसे भी अनर्हित नहीं किया जाना चाहिये।

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम्** (बल्लारी) : खण्ड ३, उपखण्ड (ग) और (घ) के संबंध में मुझे कुछ कहना है। इन में उल्लिखित व्यक्तियों पर अनर्हता लगाने के लिये कुछ संशोधन प्रस्तुत किये गये हैं। मैं समझता हूं कि इन लोगों पर अनर्हता न लगाई जाये।

हैदराबाद में जब पुलिस कार्यवाही की गई थी तो होम गार्डों की भरती की गई थी। लगभग १२०० या १५०० व्यक्तियों को, जिन में वकील, व्यापारी, तथा विद्यार्थी भी थे, भरती किया गया। उन के बारे में मुझे बहुत अच्छा अनुभव है। यदि हमारे नौयुवकों को इस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाये तो यह बहुत लाभदायक बात होगी। इसी प्रकार एन० सी० सी० तथा प्रादेशिक सेना को भी अधिक लोकप्रिय बनाया जाना चाहिये। इन लोगों को प्रतिरक्षा की दूसरी या तीसरी पंक्ति बनाया जाना आवश्यक है। अतः मेरा निवेदन है कि होम गार्डों, एन० सी० सी० तथा प्रादेशिक सेना के सैनिकों को अनर्ह नहीं किया जाना चाहिये।

उपकुलपति के सम्बन्ध में सरकार ने स्वयं मान लिया है कि उन को निकाल दिया जायेगा। सीनेट तथा सेन्डीकेट के सदस्यों को अनर्ह नहीं किया जाना चाहिये। बम्बई, कलकत्ता व मद्रास के शरीफों के सम्बन्ध में भी मेरा निवेदन है कि उन्हें भी उपकुलपति की भांति निकाल दिया जाना चाहिये क्योंकि उन का पद, उन के कार्य तथा उन के उत्तरदायित्व अलग हैं।

खण्ड (ज) के सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है कि उस में जो 'अस्थायी' शब्द का प्रयोग किया गया है उस से कठिनाई व गलतफहमी पैदा होगी। अतः उसे और ठीक किया जाये तथा परिभाषा भी दे दी जाये ताकि भविष्य में कोई कठिनाई न पैदा हो।

खण्ड (ञ) के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि विभिन्न श्रेणियों के गांव पदाधिकारियों को भी निकाल दिया जाना चाहिये। ये पदाधिकारी निश्चित मासिक वेतन या कमीशन पाते हैं। कुछ भी हो ये लोग अनुशासन तथा अन्य मामलों में राजस्व विभाग के अधीन होते हैं। अतः मेरा निवेदन है कि खण्ड (ञ) निकाल दिया जाये ताकि विधेयक यथासंभव सरल व निश्चित हो जाये।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी) : मुझे ऐसा लगता है कि अनर्हता लगाने या अनर्हता का निवारण करने के लिये कोई निश्चित आधार नहीं अपनाया गया है। यह बात बड़ी खतरनाक है कि कुछ बातों को आपने अनर्हता और कुछ बातों को अनर्हता बना दिया है। इस विधेयक में जो लम्बी अनुसूची है वह विस्तृत नहीं है तथा वह संसद् सदस्यों को अनेक राष्ट्रीय गतिविधियों में भाग लेने से वंचित करती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हमारा राज्य एक कल्याणकारी राज्य है। हमारे यहां तरह तरह के कल्याणकारी उद्योग संबंधी तथा अन्य प्रकार की गतिविधियां बढ़ रही हैं। हम इस सभा के माननीय सदस्यों को अनेक राष्ट्रीय विकास गतिविधियों में भाग लेने से रोक रहे हैं, यह बात राष्ट्र के लिये घातक सिद्ध होगी। संसद् के सदस्यों को यही अधिकार न हो कि वे यहां नीति निर्माण करें बल्कि उन्हें यह भी छूट हो कि वे बाहर की गतिविधियों को भी प्रभावित करें। पर इस अनुसूची द्वारा संसद् सदस्यों की गतिविधियों के सारे मार्ग बन्द कर दिये गये हैं। मैं मानती हूं कि उन्हें विभिन्न संस्थाओं के सभापति या सचिव बनने की अनुमति भले ही न दी जाये पर उन्हें उन का सदस्य बनने की छूट अवश्य दी जाये। जब सभा के सदस्य रेलवे तथा राष्ट्रीय मंत्रणा समिति के सदस्य बन सकते हैं तो उन्हें इंडियन एयर लाइन्स या इन्टरनेशनल एयर लाइन्स कारपोरेशन की मंत्रणा समिति का सदस्य बनने की छूट क्यों नहीं दी जाती।

अतः मेरा निवेदन है कि अनुसूची किसी सार्वभौम सिद्धान्त के आधार पर बनाई जानी चाहिये न कि अटकल पच्चू ढ़ंग से।

अन्त में माननीय मंत्री से मेरा निवेदन है कि वे इस मामले में जल्दी न करें। अच्छी तरह विचार करने के बाद किन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर ये बातें निश्चित करें।

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं खण्ड (ञ) के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं कि लम्बरदार, मालगुजार, पटेल, तथा देशमुख, को जो राजस्व का कुछ अंश कमीशन के रूप में पाते हैं, मुक्त किया जा रहा है। पर हमारे राज्य की ओर उन्हें लम्बरदार की ही तरह काम करना पड़ता है और थोड़ी सी तनख्वाह १५ या २० रुपये मिलती है। मेरा निवेदन है कि जब अन्य भागों में इन लोगों को छूट दी जा रही है तो हमारे राज्य के पटेलों को भी छूट क्यों नहीं दी जाती।

†**श्री अ० कु० सेन** : जब मैं ने श्री वासुदेवन नायर तथा श्री शर्मा के भाषण सुने तो मैं यह अपनी उक्तियों की प्रतिध्वनि सुन कर बड़ा प्रसन्न हुआ हूं। उन्हों ने कहा है कि हमें आज यह निर्णय करना है कि क्या हम संसद् सदस्यों को केवल वार्ता करने वालों के ही रूप में परिवर्तित करना चाहते हैं अथवा जानकारी रखने वाले आलोचकों का रूप देना चाहते हैं। जब इस विधेयक पर सभा में पहले पहल वाद-विवाद हुआ तो मैं ने स्पष्ट शब्दों में अपने विचारों को अभिव्यक्त किया था। हम यह नहीं चाहते कि संसद् सदस्य केवल सरकार की सामान्य नीतियों पर ही वाद-विवाद करें वरन् हमारी यही इच्छा है कि वे सरकार के महान कार्य में सक्रिय रूप से भाग लें। यद्यपि पंडित ठाकुर दास भार्गव ने बड़े आग्रहपूर्णतर्क उपस्थित किये हैं किन्तु मेरी वयक्तिक राय इस सम्बन्ध में वही है। मैं तो यही समझता हूं कि जैसे जैसे देश में विभिन्न योजनायें बनती जायेंगी वैसे वैसे जनता के प्रतिनिधियों को लोक-निर्माण कार्य में अधिक भाग लेना पड़ेगा। इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए हमने यह विधेयक बनाया ताकि सदस्य सरकार के बढ़ते हुए कार्य में अधिकाधिक भाग ले सकें। किन्तु उस कार्य के साथ साथ सदस्यों की स्वतन्त्रता भी बनी रहनी चाहिये।

सरकार के कार्य में सदस्यों को लगा कर हम उनकी स्वतंत्रता भंग नहीं कर सकते। इस प्रकार की कोई भी बात कभी नहीं की जायेगी कि सदस्यों की स्वतंत्रता पर कभी भी किसी प्रकार का प्रहार हो। किन्तु कुछ सदस्यों ने चरम सीमा तक पहुंचने वाली बातें कही हैं। वें चाहते हैं कि संसद् के सदस्य केवल सभा में आयें, बैठें और वाद-विवाद में भाग लेकर अपने घर जायें।

मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं। कुछ सदस्य संभवतया यही अनुभव करते हैं कि हमारा कर्तव्य केवल यही है कि हम बातें ही बातें करते रहें और किसी प्रकार का उत्तरदायित्व उन पर कभी न आये। खैर मूल विधेयक में पर्याप्त परिवर्तन हुए हैं। एक अनुसूची भी लगाई गई है जिसमें उन पदों को लिख दिया गया है जिन की सदस्यता संसद्-सदस्यों को अनर्हता प्रदान करने वाली है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अ० कु० सेन]

इसके बावजूद भी सदस्यों के लिये सेवा करने का पर्याप्त अवसर विद्यमान है। अनुसूची के बारे में भी हम ने यह बताया है कि सरकार ने इसे संकुचित दृष्टिकोण से नहीं बनाया बल्कि हमारा दृष्टिकोण अब तक उदार है। हम यदि सुझाव लायेंगे इन में कुछ पदों की विमुक्ति या इन में कुछ और अनर्हता पद लगाने के प्रश्न पर विचार कर सकते हैं। मैं तो इस में पदों की संख्या बढ़ाने के स्थान पर पदों को विमुक्त करने की बात को ही पसन्द करूंगा। क्योंकि मेरा तो यह विश्वास है कि सरकार के काम में संसद-सदस्यों का योग देना चाहिये। सदस्य-सदस्य राष्ट्र निर्माण के कार्य से दूर नहीं रह सकते। यदि जनता के ही प्रतिनिधियों को हम इन उत्तरदायित्वों पर नहीं लगायेंगे तो क्या यह सारा काम नौकरशाही पर छोड़ दें। अतः हमें विमुक्तियां ही अधिक देनी चाहियें। इस प्रकार से तो अनेक सदस्य अनर्हता प्राप्त कर लेंगे। यदि यही अनुसूची रही तो श्री पट्टाभिरामन्, नारायणन् कुट्टि मेनन आदि भी अनर्ह हो जायेंगे। निस्संदेह अनुसूची द्वारा कुछ तो अनर्ह होंगे ही।

मैं प्रत्येक संशोधन में से अलग अलग तो नहीं जा सकता। मैं उन्हें वर्गीकृत करके उनके मुख्य वर्गों पर ही बातें बताऊंगा और उन पर यथासंभव व्यौरात्मक रूप से विचार करूंगा।

यदि हम खंड ३(ग) से ही आरम्भ करें तो पता चलेगा कि राष्ट्रीय छात्र सेना, क्षेत्रीय सेना इत्यादि को दी गई विमुक्ति पर ही पर्याप्त आलोचना हुई है। मैं इस सम्बन्ध में हाउस आफ कामन्स की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन में की गई सिफारिश को पढ़ कर सुनाता हूं :—

> "संरक्षित, सेवा निवृत्त सैनिकों, आधे वेतन पर काम करने वाले पदाधिकारियों, सहायक सेनाओं के सैनिकों तथा नौसेना, सेना तथा वायुसेना में पद न धारण करने वाले एडमिरलों तथा फील्ड मार्शलों को अनर्हता प्रदान न की जाये।"

उन्होंने भी सहायक सेनाओं को विमुक्ति दी है। अब एक व्यक्ति स्वेच्छा से सैनिक प्रशिक्षण लेता है और देश की रक्षा के लिये स्वतः अपने को जोखिम में डालता है तो ऐसी परिस्थितियों में क्या उसे अनर्हता प्रदान करना उचित होगा ?

जिन माननीय सदस्यों ने इस उपबन्ध का विरोध किया है मैं उन के आधारों को नहीं समझा हूं और मैं केवल यही समझता हूं कि यह गलत बात है।

मेरी तो यह इच्छा है कि देश का प्रत्येक युवक सैनिक प्रशिक्षण प्राप्त करे ताकि देश पर आये संकट के समय वह हथियार तो संभाल ले। किन्तु इस प्रकार की बातें करने से तो हम उनको प्रोत्साहित नहीं कर सकते। मैं इस बात का विरोध करता हूं कि राष्ट्रीय छात्र सेना तथा क्षेत्रीय सेना को विमुक्ति प्रदान न की जाये।

होमगोर्ड इसके सम्बन्ध में, मैं श्री टे० सुब्रह्मण्यम के हस्तक्षेप की बड़ी सराहना करता हूं। जो लोग सीमान्त प्रदेशों तथा डकैतों से भरे क्षेत्रों में रहते हैं, होमगार्ड के वास्तविक महत्व का ज्ञान तो उन्हें ही है। पूर्वी पाकिस्तान की लम्बी सीमा को ही आप ले लीजिये। वहां पर नित्य आक्रमण होते रहते हैं। सीमा पर स्थित गांवों की स्थिति बड़ी खराब है। मछली पकड़ने वाले माहीगीरों, हल चलाने वाले किसानों को उठा कर ले जाया जाता है और उनके खेतों की फसलें बरबाद कर दी जाती हैं। सीमा स्थित प्रत्येक गांव की स्थिति ही ऐसी है। अब प्रश्न यह है कि इतने बड़े सीमान्त की रक्षा के लिये हमारे पास पर्याप्त पुलिस या सेना है। क्या यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक गांव में अपने ही रक्षक दल हों। किन्तु उन रक्षकों को भी सन्देह की दृष्टि से देखा गया है। प्रत्येक राज्य में होमगार्डों के सदस्यों को विमुक्ति प्रदान की गई है। अभी मैं बम्बई राज्य की विधि का पाठ कर

रहा था तो ज्ञात हुआ कि वहां भी होमगार्डस को पूर्ण विमुक्ति है। वे लोग देश की रक्षा करते हैं; अपनी जान को खतरे में डालते हैं तब भी क्या उन्हें अनर्हता प्रदान की जाये ?

कई स्थानों पर मैं स्वत: जानता हूं कि कुछ अच्छे लोगों ने भी होमगोर्ड में भाग लिया है। बहुत से अध्यापक, कृषक और जमींदार इन होमगार्डों में हैं। फिर भी यह कहा जाता है कि हम इस संसद् को होमगार्ड से ही भरना चाहते हैं। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं।

इसके पश्चात् शेरिफों का प्रश्न है। कुछ माननीय सदस्यों ने इन शेरिफों को अनर्हता प्रदान करने के लिये कहा किन्तु यह किसी ने नहीं बताया कि यदि अनर्हता का निवारण कर दिया जाये तो संसद् की स्वतंत्रता पर कैसे आघात पहुंचेगा।

उपकुलपतियों को अनर्ह बनाने वाले संशोधन को हम स्वीकार ही कर लेंगे।

सीनेट और सिंडीकेट के सदस्यों को अनर्हता देने की बात के बारे में तो मैं कुछ समझता ही नहीं। न मैं भार्गव जी की "सलाहकार" निकाय सम्बन्धी बात को ठीक प्रकार से समझ सका हूं। कई सलाहकार निकाय भी हो सकते हैं और अस्थायी परीक्षक निकाय भी हो सकते हैं। यह भी कहा गया था कि यदि ऐसे निकाय वास्तविक कार्यपालिका शक्ति धारण करें तो उन्हें अर्हता नहीं देनी चाहिये। इसी कारण से तो केवल मंत्रणा निकायों को ही यह संरक्षण देने की बात की गई थी। यह कार्य भार्गव समिति की सिफारिशों के आधार पर ही किया गया था। अत: मैं यह नहीं समझ सका हूं कि "सलाहकार" शब्द पर अब क्या आपत्ति हो गई।

शिष्टमंडलों के बारे में भी उत्तर देने से कोई लाभ नहीं होगा। जब तक देश की जनता लोगों को बाहर भेजेगी और जब तक संसद् सदस्यों का शिष्ट मंडलों में भाग लेना आवश्यक होगा तब तक कुछ शिष्टमंडलों को विमुक्त करना इत्यादि बातें व्यर्थ सी ही होंगी। इससे विवादास्पद बातें ही होंगी। वाणिज्यिक एवं अ-वाणिज्यिक मंडलों में बड़ा थोड़ा ही अन्तर रहता है।

उपखण्ड (ज) विधेयक का अत्यन्त महत्वपूर्ण खंड है क्योंकि सभा के अनेक सदस्यों को दोनों ओर से अनेक समितियों में लिया गया है।

आय कर अपवंचन सम्बन्धी समिति को ही लें जो कि इस समय श्री त्यागी की अध्यक्षता में कार्य कर रही है। क्या यह कहा जा सकता है कि इस में भी संसद् का सदस्य नहीं होना चाहिये। क्या यह कहा जा सकता है कि संसद् सदस्य सरकार के रोगों के लिये किसी प्रकार का उपचार न सुझायें। मैं बार बार उन्हीं तर्कों का उपस्थापन तो यहां करना नहीं चाहता किन्तु मैं तो यही समझता हूं कि इस प्रकार के कार्यों में किसी भी पक्ष को सम्बद्ध करने से संसद् की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का आघात न पहुंचेगा। इस से किसी भी प्रकार के संसद् की गरिमा में किसी प्रकार का अन्तर न पड़ेगा। यदि संसद् सदस्यों को ऐसे महत्वपूर्ण कार्यों से सम्बद्ध करना ही है तो इस उपखंड को अवश्य ही स्वीकार किया जाये।

इसके पश्चात् मैं उपखंड (झ) पर आता हूं। यह उपखंड अनुसूची के कारण विधेयक में लगाया गया है। वास्तव में बात यह थी कि आरम्भ में मैं ने विधेयक के साथ इस प्रकार की अनुसूची लगाये जाने का विरोध किया था। मैं ने कहा था कि सूची कभी भी पूरी तो बन नहीं सकती तथा इस की तैयारी में भी समान तरीका अपनाना कठिन है। समिति में पंडित भार्गव ने मान लिया था कि यह ठीक है और सूची भी पूरी नहीं बन सकती। मान लो हम सूची को पर्याप्त रूप से पूर्ण बना भी लें, तब भी हमारे देश के १४ राज्यों में १४ विधान सभायें हैं और विधि कार्य जो वहां होता है वह भी किसी प्रकार से कम महत्व का नहीं है इस कारण इस को दृष्टि में रख कर तथा यह

[श्री अ० कु० सेन]

बात भी सोच कर कि आगामी वर्षों में ये राज्य और अधिक महत्वपूर्ण कार्य करने लगेंगे और हजारों नई समितियां पैदा होंगी—हम कभी भी पूर्ण सूची तैयार नहीं कर सकेंगे। यह कार्य नितान्त कठिन होगा। प्रस्तावित स्थायी समिति को भी इस दृष्टि से बहुत ही अधिक कार्य करना पड़ेगा।

जहां तक इस सिद्धान्त का सम्बन्ध है कि संसद् सदस्यों को राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी निकायों से सम्बद्ध रखा जाय इसका समर्थन प्रत्येक दल के सदस्यों ने किया है। अब प्रश्न यह उठता है कि इनमें से कौन-कौन से पदों पर अनर्हता प्रदान की जाये।

इसके पश्चात लम्बरदारों तथा मालगुजारों का विवादास्पद प्रश्न है। मैं समझता हूं कि लोग बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। कि संसद् में उन की इतनी चर्चा हो गई है। शायद आगे इतनी चर्चा कभी भी न हो। कुछ लोग तो उत्तराधिकार के कारण ही लम्बरदारी लेते चले आ रहे हैं। और ज्यादा महत्व नहीं है। महाराष्ट्र में पटेल तथा देशमुखों के पद के लिये केवल एकाध रुपया ही दिया जाता है किन्तु इन पदों के ग्रहण के लिये लोगों ने मुकदमेबाजी में हजारों रुपये व्यय कर दिये हैं। अतः पद के साथ एक भावुक सम्बन्ध जुड़ा हुआ है। पिता के पश्चात् पुत्र और उस के पश्चात् उस का पुत्र लम्बरदार बनता आया है। उन्हें खुद भी लगान देना पड़ता है। यद्यपि कमीशन कम होता है किन्तु जो लगान वे देते हैं उसकी मात्रा पर्याप्त होती है।

स्वतंत्रता संग्राम में हजारों पटेलों तथा देशमुखों ने भाग लिया है। अतः इन के विरुद्ध ही कहना अन्याय है। महाराष्ट्र की आज की स्थिति से ही माननीय सदस्य बता सकते हैं कि उन में से कितने लोगों ने कांग्रेस का समर्थन किया। इस प्रकार सब को एक ही रस्से में बांधना तो ठीक न होगा। ये लोग सामान्य नागरिक ही होते हैं इस कारण, क्या आधार है कि हम इन्हें भी संसद् सदस्यता के लिये अनर्ह घोषित करें। हम यह भी नहीं कह रहे कि उन्हें स्वतः यहां ले आयें।

†श्री टें० सुब्रह्मण्यम् : मैसूर इत्यादि स्थानों पर उन्हें नाममात्र मुआवजा मिलता है अतः उन्हें सुविधा दी जाये।

†श्री अ० कु० सेन : माननीय सदस्य संशोधन रख सकते हैं। संयुक्त समिति ने इसे व्याप्ति में रखना उचित न समझा था।

अतः हमारे लिये संशोधन संख्या ६५ तथा सरकारी संशोधन संख्या ३४ के अतिरिक्त अन्य संशोधनों को स्वीकार करना संभव नहीं है। संशोधन संख्या ६५ श्री जगन्नाथ राव ने प्रस्तुत किया था। अतः सभा से मैं प्रार्थना करता हूं कि वह इस विधेयक को स्वीकार करे।

संशोधन संख्या ३४ द्वारा पृष्ठ २ पंक्ति २ में "बोर्ड" शब्द के पश्चात् "समाज" शब्द रखा जाना है। हमें इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।

सहायता प्राप्त पाठशालाओं के अध्यापकों का पद लाभ-पद नहीं है। मैं उस के बारे में कहना भूल ही गया था। अनुच्छेद १०२ से केवल उन्हीं पदों पर रोक है जो राज्य या केन्द्र के अधीन आते हों।

†श्री नारायणन् कुट्टि मेनन (मुकन्दपुरम्) : किन्तु केरल में ऐसे अध्यापकों को सरकार तन देती है।

---

†अंग्रेजी में

†**श्री अ० कु० सेन** : सहायता प्राप्त पाठशालाओं के अध्यापकों के पद लाभ पद नहीं हैं। केवल सरकार से वेतन लेना ही तो उन्हें अनर्ह नहीं बना सकता। हंसा मेहता केस में वेतन विश्वविद्यालय से प्राप्त होता था। तब भी उच्च-न्यायालय ने कहा कि यह लाभपद है यद्यपि वेतन विश्वविद्यालय देता है।

†**श्री नारायणन् कुट्टि मेनन** : आप ने कहा था कि विधेयक आज समाप्त हो जायेगा। सभा की बैठक के बारे में क्या स्थिति होगी ?

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : श्रीमान् मद्रास राज्य में लगान अधिकारियों को ३० रुपये मासिक वेतन मिलता है। उन्हें कमीशन नहीं मिलता। इस परिस्थिति में उन से मतभेद हो जायेगा। उनका भी समानीकरण होना चाहिये।

†**श्री अ० कु० सेन** : अब तक तो किसी भी सदस्य ने यह प्रश्न नहीं उठाया। संयुक्त समिति में मद्रास के सदस्य भी थे। यदि माननीय सदस्य चाहते थे तो संशोधन रख सकते थे। हम इस पर कोई विचार इस समय अभिव्यक्त नहीं कर सकते।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** : मैं ने तो सारे खण्ड के ही उत्सादन के लिये संशोधन रखा है। जब दोनों का कार्य एक जैसा ही है तब मतभेद दोनों में क्यों हो।

†**सभापति महोदय** : यदि इस बारे में कोई संशोधन नहीं भी है तो भी अगर मंत्री महोदय को सदस्य की बात ठीक जंची है तो वह उसे स्वीकार कर सकते हैं।

†**श्री अ० कु० सेन** : वह चाहें तो संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं ; लेकिन उन्हें पता नहीं है कि यह संशोधन खण्ड २ का है जिसे हम पहले ही पारित कर चुके हैं।

†**सभापति महोदय** : अब मैं सरकार की ओर से प्रस्तुत किया गया संशोधन संख्या ५३ और सरकार द्वारा स्वीकार किया गया दूसरा संशोधन संख्या ६५ सभा के समक्ष रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

पंक्ति २३ से २८ के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"(f) the office of Chairman or member of the syndicate, senate, executive committee, council or court of a University or any other body which is a an advisory body connected with University ; ["किसी विश्वविद्यालय के सिन्डीकेट, सीनेट, कार्यकारिणी समिति, परिषद् या कोर्ट के या किसी अन्य संस्था के, जो किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध परामर्शदाता संस्था के रूप में हो, सभापति या सदस्य का पद"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ ३,—

पंक्ति १२ के बाद निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

"Explanation—For the purposes of clauses (h) and (i) the office of chairman or secretary shall include every office of that description by whatever name called." ["**व्याख्या**—खण्ड (ज) और (झ) के प्रयोजनों के लिये सभापति या सेक्रेटरी के पद में, इस प्रकार के सभी पद, चाहे जिस नाम से पुकारे जायें, सम्मिलित होंगे"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

†**श्री अ० कु० सेन**: सरकार संशोधन संख्या ६ को स्वीकार करने के लिये तैयार है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इसे मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३, पंक्ति ५ में से निम्नलिखित शब्द निकाल दिये जायें —

"or a member of the standing or executive committee" ["स्थायी या कार्यकारिणी समिति के सदस्य या"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**डा० सुशीला नायर** : क्या इस संशोधन का अर्थ यह नहीं हुआ कि अनुसूची १ और २ अब एक ही आधार पर, एक ही सी हैं ?

†**श्री अ० कु० सेन** : जी, नहीं । भाग १ में तो सभापति, सचिव और सदस्य सभी को अनर्हित किया गया है, लेकिन अनुसूची २ में सभापति और सचिव तो अनर्हित हैं, लेकिन सदस्य नहीं ।

†**श्री पलनियाण्डी** (पेरम्बलूर) : उस में स्थायी समिति के साथ ही कार्यपालक समिति के सदस्य भी सम्मिलित हैं ।

†**श्री अ० कु० सेन** : जी, हां ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ५३, ६५ और ६ स्वीकृत हो चुके हैं । अब मैं सभी अन्य संशोधनों को मतदान के लिये रखता हूं ।

[अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"खण्ड ३, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ३, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नया खंड ३ क

†**श्री जगन्नाथ राव** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ३, पंक्ति १२ के पश्चात्, ` शब्द रखे जायें---

"3A. Temporary Suspension of disqualification in certain cases.— If a person being a Member of Parliament who immediately before the commencement of this Act held an office of profit declared by any law repealed by this Act not to disqualify the holder thereof for being such member, becomes so disqualified by reason of any of the provisions contained in this Act, such office shall not, if held by such person for any period not extending beyond a period of six months from the commencement of this Act disqualify him for being a Member of Parliament."

["३क. **कुछ मामलों में अनर्हताओं का अस्थायी निलम्बन**---यदि कोई व्यक्ति, जो संसद्-सदस्य रहते हुए इस अधिनियम के आरम्भ से शीघ्र पहले किसी ऐसे लाभ पद पर हो, जिस के धारण करने वाले को इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी विधि के अन्तर्गत ऐसी सदस्यता के लिये अनर्ह घोषित न किया गया हो, इस अधिनियम में किये गये किसी उपबन्ध के कारण अनर्ह हो गया हो, तो वह पद उस व्यक्ति को, यदि वह इस अधिनियम के आरम्भ से ले कर छः महीने की अवधि से अधिक अवधि तक उस पद पर न रहा हो, संसद्-सदस्य बनने के लिये अनर्ह नहीं करेगा ।"]

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या इस संशोधन के भी कोई संशोधन हैं ?

†**श्री हजारनवीस** : मैं अपना संशोधन संख्या ५४ प्रस्तुत करता हूं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरी आशंका तो यह है कि संशोधन संख्या ६७ संविधान के विरुद्ध पड़ता है । चूंकि अनुसूची अभी पूरी नहीं हो पाई है और हम चाहते हैं कि वह अधिनियम के प्रभावी बनने से पहले ही पूरी हो जाये, इसीलिये मैं ने सुझाव दिया था कि अभी तो पुराने विधेयक को जारी रखने का ही विधेयक रखा जाये और इस विधेयक को पहली सितम्बर, १९५९ से प्रभावी बनाया जाये । लेकिन सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया ; और अब इस कठिनाई को दूर करने के लिये ही सरकार इस संशोधन को स्वीकार करने के लिये तैयार हो गई है ।

मैं भी चाहता हूं कि इस कठिनाई को दूर किया जाये । लेकिन यदि इसे स्वीकार भी कर लिया गया, तो भी लाभ-पदधारी संसद्-सदस्य अनुच्छेद १०२ के प्रभाव से अछूते नहीं रह पायेंगे ।

खण्ड ३ में उल्लिखित लाभ-पद तो स्थायी तौर पर अनर्हताओं से विमुक्त कर दिये गये थे । लेकिन खण्ड ४ में उल्लिखित लाभ-पदों को तो अस्थायी तौर पर ही अनर्हताओं से विमुक्त किया गया था । समिति ने ऐसी कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की थी । और संविधान ने संसद् को यह शक्ति तो दी है कि वह कु पदों को विमुक्त कर सकती है, लेकिन यह शक्ति नहीं दी कि वह कुछ अनर्हित व्यक्तियों को छः महीने के अनर्हताओं से विमुक्त कर दे । संसद् की यह क्षमता नहीं है । इसलिये, ऐसे संसद्-सदस्यों को, इस संशोधन के बाद भी, ३१ दिसम्बर, १९५८ से पहले त्यागपत्र दे ही देना पड़ेगा । कोई भी यह प्रश्न उठा सकता है कि यह व्यवस्था संविधान के अनुरूप नहीं है । मुझे इस पर

---

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

बड़ा संदेह है, हालांकि विधि मंत्री इसे स्वीकार कर रहे हैं । संसद् यह घोषित करने की क्षमता नहीं रखती कि छः महीनों के लिये कोई अनर्हतायें ही नहीं रहेंगी । यह तो संविधान को निलम्बित करना हुआ । माननीय मंत्री को इस पर विचार करना चाहिये ।

अभी भी समय है कि सरकार पुराने विधेयक को जारी रखने का विधेयक रख सकती है । तब समिति को भी इस पर पूरी तौर से विचार करने का समय मिल जायेगा । मैं इस से सहमत नहीं हो सकता । इस विधेयक को पहली सितम्बर, १९५९ से प्रभावी बनाया जा सकता है । उससे कोई हानि भी नहीं होगी ।

†श्री अ० कु० सेन : इसमें कोई भी कठिनाई नहीं पड़ेगी । हमने इसकी छानबीन की है । अनुच्छेद १०२ के अन्तर्गत लोग लाभ-पद ग्रहण करने से अनर्ह हो जायेंगे, लेकिन संसद् विधि द्वारा किसी पद को विमुक्त घोषित कर सकती है । संसद् ने विधि द्वारा घोषित कर दिया है कि कुछ सदस्यों को वर्तमान विधि के अन्तर्गत विमुक्त रखा जायेगा, वे उन पदों पर रह सकते हैं । हम उन्हें सिर्फ छः महीनों के लिये ही तो विमुक्ति दे रहे हैं । इसी बीच में वे आगे सोच सकते हैं ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

पृष्ठ ३ में, पंक्ति १२ के पश्चात्, ये शब्द रखे जायें :—

"3A. Temporary Suspension of disqualification in certain cases.— If a person being a Member of Parliament who immediately before the commencement of this Act held an office of profit declared by any law repealed by this Act not to disqualify the holder thereof for being such member, becomes so disqualified by reason of any of the provisions contained in this Act, such office shall not, if held by such person for any period not extending beyond a period of six months from the commencement of this Act disqualify him for being a Member of Parliament."

["३ क. कुछ मामलों में अनर्हताओं का अस्थायी निलम्बन—यदि कोई व्यक्ति, जो संसद्-सदस्य रहते हुए इस अधिनियम के आरम्भ से शीघ्र पहले किसी ऐसे लाभ-पद पर हो, जिसके धारण करने वाले को इस अधिनियम द्वारा निरसित किसी विधि के अन्तर्गत ऐसी सदस्यता के लिये अनर्ह घोषित न किया गया हो, इस अधिनियम में किये गये किसी उपबन्ध के कारण अनर्ह हो गया हो, तो वह पद उस व्यक्ति को, यदि वह इस अधिनियम के आरम्भ से लेकर छः महीने की अवधि से अधिक अवधि तक उस पद पर न रहा हो, संसद्-सदस्य बनने के लिये अनर्ह नहीं करेगा ।"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड ३ क विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खण्ड ३क विधेयक में जोड़ दिया गया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कार्य मंत्रणा समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

†**श्री राने (बुलडाना)** : मैं कार्य मंत्रणा समिति का बत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं ।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (गठन तथा कार्यवाही) के बारे में

†**संस ,-कार्य मंत्री (श्री सत्यनाराण सिंह)** : मैं सभा को सूचित करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा के गठन तथा कार्यवाही से सम्बन्धित उच्चतम न्यायालय के निर्णय की पांच प्रतियां सभा के पुस्तकालय में रख दी गई हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री कल विधेयक को विचार के लिये प्रस्तुत करते समय अपना भाषण करेंगे । यदि माननीय सदस्यों को तब तक इसके अध्ययन के लिये पर्याप्त समय नहीं मिल सकेगा, तो इस पर और अगले दिन चर्चा और विचार होगा ।

इसके पश्चात् लोक-सभा, मंगलवार २ दिसम्बर, १९५८ के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[सोमवार, १ दिसम्बर, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर . .	१०५५—८०
	तारांकित प्रश्न संख्या	
३९२	अमरीका और जापान में अनाज को गोदामों में रखने के तरीके	१०५५—५७
३९४	दक्षिणी 'जोन' के लिये वन गवेषणा केन्द्र . . .	१०५७—५९
३९५	दक्षिण पूर्व के हावड़ा-खड़गपुर सैक्सन का विद्युतीकरण	१०५९—६०
३९७	रेलवे कर्मचारियों को सेवा निवृत्ति लाभ . . .	१०६०—६३
३९८	पत्तन और गोदी कर्मचारियों की मांग के सम्बन्ध में नियुक्त किये गये विशेष कार्य अधिकारी का प्रतिवेदन . .	१०६३—६६
३९९	खाद्यान्नों का जब्त किया जाना	१०६६—६८
४०१	केरल में केन्द्रीय चावल गोदाम . .	१०६८
४०४	मद्रास अरकोणम सेक्शन का विद्युतीकरण . .	१०६८—७०
४०५	मेसर्स बर्ड एण्ड कंपनी . . .	१०७०—७७
४०६	कलकत्ता,—दुर्गापुर एक्सप्रेस मार्ग . .	१०७७
४०७	उड़ीसा में तपेदिक सम्बन्धी सर्वेक्षण . .	१०७८
	अल्प सूचना प्रश्न संख्या	
४	लेडी हार्डिंग अस्पताल में एक स्त्री की मृत्यु .	१०७८—८०
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१०८०—११४८
	तारांकित प्रश्न संख्या	
३९३	दिल्ली तथा रेवाड़ी के बीच गाड़ियों का देर से चलना .	१०८०—८१
३९६	दिल्ली में टेलीफोनों की व्यवस्था का पुनः ठीक किया जाना .	१०८१
४००	सहायकों के दल	१०८१
४०२	देवनूर जलविद्युत परियोजना	१०८२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

४०३	कुष्ट निरोधक कार्य . . .	१०८२
४०८	डाक-तार विभाग के भवन और कर्मचारियों के क्वार्टर	१०८२–८३
४०९	अन्तर्राष्ट्रीय चीनी सम्मेलन .	१०८३–८४
४१०	आन्ध्र प्रदेश से चावल का समाहार .	१०८४
४११	सियालदा डिवीजन के बानगांव सेक्शन पर गाड़ी का रोका जाना	१०८४–८५
४१२	दिली में यमुना के पानी का गन्दा होना .	१०८५
४१३	व्यास क्षेत्र में वन उद्योग . .	१०८५
४१४	शरबती जलविद्युत् परियोजना, मैसूर राज्य .	१०८५–८६
४१५	मैसूर में राष्ट्रीय राजपथ का निर्माण	१०८६
४१६	दिल्ली में मेलेरिया	१०८६–८७
४१७	कर्मचारियों में मौलिक विचार की भावना जागृत करने की योजना .	१०८७
४१८	भाखड़ा बांध . . .	१०८७–८८
४१९	पटना सिटी बुकिंग आफिस में गबन	१०८८–८९
४२०	मनीपुर में खाद्यान्नों की वसूली . . .	१०८९
४२१	केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद .	१०८९
४२२	बम्बई राज्य के ग्रामों में बिजली लगाना . . .	१०९०
४२३	राजस्थान मरुस्थल	१०९०
४२४	आस्ट्रेलिया से गेहूं	१०९०
४२६	परिवार नियोजन	१०९१
४२७	खाद्यान्नों का राज्य व्यापार	१०९१–९२
४२८	दूसरे शिपयार्ड का स्थान .	१०९२
४२९	दिल्ली में गीदड़ों का उत्पात .	१०९३
४३०	अखिल भारतीय महिला खाद्य परिषद्	१०९३
४३१	कलकत्ते में सहाय पत्तन . . .	१०९४–९५
४३२	भारतीय व्यापारिक नौवहन के लिये विदेशी सहायता	१०९५
४३३	अमरीका से खाद्यान्नों का आयात . .	१०९५–९६
४३४	उत्तर प्रदेश और बिहार में अन्तर्देशीय परिवहन सेवायें	१०९६
४३५	बिहार के कोणार बांध की नहरें	१०९६

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
४३६	भारतीय श्रम सम्मेलन	१०९७
४३७	तलाझारू स्टेशन के निकट दुर्घटना	१०९७
४३८	पीपली-कोणार्क रोड पर पुल	१०९७–९८
४३९	ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस	१०९८–९९
४४०	भारतीय कृषि गवेषणा संस्था की श्रमिक समिति	१०९९
४४१	भारत-सोवियत नौवहन समझौता	१०९९
४४२	भारतीय चिकित्सा परिषद्	११००
४४३	बम्बई में सहकारी चीनी मिलें	११००
४४४	एक-व्यक्ति वाला न्यायाधिकरण	११००
४४५	मनीपुर की खाद्य-स्थिति	११००–०१
४४६	दिल्ली विद्युत् शक्ति नियंत्रण बोर्ड	११०१
४४७	नौवहन बोर्ड और विकास निधि समिति	११०१–०२
४४८	यमुना जल-विद्युत् परियोजना	११०२
४४९	पश्चिमी बंगाल में नष्ट हुआ गेहूं	११०२
४५०	कृषि प्रशासन समिति	११०३
४५१	छोटे बन्दरगाहों का विकास	११०३–०४
४५२	चावल का मूल्य	११०४
अतारांकित प्रश्न संख्या		
५९५	पालम हवाई अड्डा	११०४
५९६	डाकखाने	११०४–०५
५९७	विमान परिवहन परिषद् की सिफारिशें	११०५
५९८	डाक तथा तार संग्रहालय	११०५
५९९	नजफगढ़ लेक (दिल्ली) पर पम्पिंग स्टेशन	११०५–०६
६००	सिगनलिंग तथा दूर संचार व्यवस्था में सुधार	११०६
६०१	गाड़ी का पटरी से उतर जाना	११०६
६०२	यात्रा अभिकरण	११०७
६०३	पंजाब में उचित मूल्य वाली दुकानें	११०७
६०४	आयोजित ब्रह्मपुत्र पुल	११०७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६०५	पश्चिम तथा उत्तर रेलवे की मीटर लाइन	११०७
६०६	दिल्ली तथा नई दिल्ली में रेलवे क्वार्टर .	११०८
६०७	हावड़ा बर्दवान लाइन के स्टेशनों पर ऊंचे प्लेटफार्म .	११०८
६०८	आसाम की ब्रह्मपुत्र नदी में मछली संसाधनों का सर्वेक्षण	११०८–०९
६०९	उड़ीसा में खाद्य भंडार	११०९
६१०	उड़ीसा में उचित मूल्य वाली दूकानें .	११०९–१०
६१२	इण्डियन रेड क्रास सोसायटी	१११०–११
६१३	उड़ीसा में खाद्यान्नों के गोदाम	११११
६१४	बम्बई में रेलवे स्टेशन .	११११
६१५	रेलवे संरक्षण दल	११११
६१६	सुअर पालन	१११२
६१७	मछली के खाद्य तत्व	१११२
६१८	अंडे, मांस आदि	१११२
६१९	छोटे पैमाने पर मछलियां पकड़ने के बन्दरगाह .	१११२–१३
६२०	मछली के तेल . . .	१११३
६२१	राज्यों में अनाज की उपज .	१११३
६२२	मछली, साग सब्जी, दूध आदि का उत्पादन .	१११४
६२३	राज्यों में मीनक्षेत्र योजनाओं के लिये अनुदान .	१११४
६२४	मछली के मांस को डिब्बों में बन्द करने का उद्योग .	१११४
६२५	मछली परिरक्षण .	१११५
६२६	मछली का उत्पादन . .	१११५
६२७	भारत में मशीनों द्वारा मछलियां पकड़ना .	१११५–१६
६२८	उत्तर पूर्व सीमान्त रेलवे का आसाम सेक्शन	१११६
६२९	नई रेलवे लाइनें	१११७
६३०	दिल्ली में चिड़िया घर . .	१११७–१८
६३२	नई दिल्ली में आवारा जानवर .	१११८
६३३	जगाधरी-चंडीगढ़-रोपड़-लुधियाना-लाइन . .	१११८–१९
६३४	व्यास नदी पर बांध .	१११९
६३५	चरखी दादरी में टेलीफोन ऐक्सचेंज	१११९

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
६३६	ईंधन उपभोग समिति	११२०
६३७	हिमाचल प्रदेश में भूमि का कटाव	११२१
६३८	हिमाचल प्रदेश में कृषि सम्बन्धी आंकड़े .	११२१
६३९	मंड़ी जिले (हिमाचल प्रदेश) में पशु-पालन योजना .	११२१
६४०	रिंडरपेस्ट .	११२१–२२
६४१	पश्चिमी बंगाल को खाद्यान्नों का संभरण . . .	११२२
६४२	पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्य आत्म-निर्भरता . . .	११२२
६४३	प्रतिरक्षा विभाग के असैनिक कर्मचारियों के लिये अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना . . .	११२३
६४४	डाक और तार विभाग में सतर्कता संगठन . .	११२३–२४
६४५	होटल तथा भारतीय वेश-भूशा .	११२४
६४६	नई दिल्ली में सड़कों की मरम्मत . .	११२४
६४७	नगर आयोजन सम्बन्धी आदर्श विधान . . .	११२४–२५
६४८	सरहिन्द नहर का नये नमूने का बनाया जाना . .	११२५
६४९	पंजाब राज्य परिवहन निगम . .	११२५
६५०	बर्मा से चावल का सम्भरण . .	११२५–२६
६५१	पंजाब में चीनी की मिलें . .	११२६
६५२	रेलगाड़ी पर पत्थर फेंकना . .	११२६
६५३	भूमि अर्जन अधिनियम . . .	११२६
६५४	उड़ीसा में खानों की परिवहन सम्बन्धी क्षमता .	११२७
६५५	बिनौले . . .	११२७–२८
६५६	दिल्ली के लिये एलेक्ट्रो थैंक्टर .	११२८
६५७	अम्बाला में ऊपरी पुल .	११२८
६५८	गंगा नदी बोर्ड . .	११२९
६५९	डोहरीघाट और अयोध्या में घाघरा नदी पर पुल	११२९
६६०	विभिन्न प्रकार के रेलवे स्टीमरों में ईंधन की खपत	११२९–३०
६६१	उत्तर प्रदेश में नदी का पुनः प्रकट होना	११३०
६६२	अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना	११३०
६६३	योग में प्रशिक्षण	११३१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
६६४	अखिल भारतीय स्वास्थ्य विद्या तथा लोक स्वास्थ्य संस्था, कलकत्ता . . .	११३१
६६५	शल्य क्रिया द्वारा आंख की पुतली बदलना .	११३१
६६६	रेलवे सज्जा के लिये स्वदेशी क्षमता . .	११३२
६६७	दिल्ली का चिड़ियाघर .	११३२
६६८	पंजाब द्वारा संभरित बीज का गेहूं .	११३२–३३
६६९	हावड़ा बर्दवान कार्ड लाइन पर बिजली की गाड़ियां	११३३
६७०	गंडक, राप्ती, घाघरा तथा रोहिणी परियोजनायें . .	११३३
६७१	टिटोरा से कलोल तक रेल का भाड़ा . . .	११३४
६७२	ब्रह्मपुत्र का पुल	११३४
६७३	आंध्र में राष्ट्रीय मलेरिया तथा फाइलेरिया कार्यक्रम .	११३४–३५
६७४	केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के टेक्नीकल प्रशिक्षण केन्द्र .	११३५
६७५	रेडियो लाइसेंस . . .	११३६
६७६	बाढ़ से रक्षा करने के उपाय . . .	११३६
६७७	छपरा-सावन शाखा लाइन में पुरानी लाइन के स्थान पर नई रेलवे लाइन बिछाना . .	११३६–३७
६७८	अन्दमान से इमारती लकड़ी	११३७
६७९	जंगली जानवर . .	११३७
६८०	रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	११३७
६८१	चावल की खरीद . .	११३८–३९
६८२	बीकानेर डिवीजन में सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालय .	११३९
६८३	त्रिपुरा में सड़कें	११३९–४०
६८४	डाकघरों के इन्सपेक्टर	११४०
६८५	रेलवे गजट	११४०
६८६	केन्द्रीय स्थानीय स्वशासन परिषद्	११४०–४१
६८७	पोतों की खरीद	११४१
६८८	उड़ीसा में बीज फार्म	११४१
६८९	कपास की फसल को क्षति	११४१–४२
६९०	उत्तर रेलवे के रेलवे स्टेशन	११४२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६९१ फिरोजपुर (पंजाब) में पीने के पानी का संभरण ११४२–४३
६९२ डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये क्वार्टर ११४३
६९३ भुवनेश्वर में डाक तथा तार विभाग की इमारतों का निर्माण ११४३
६९४ जाजपुर में मुख्य डाक घर की इमारत ११४४
६९५ उड़ीसा में डाकघर ११४४
६९६ मोहरी रेल दुर्घटना ११४४–४५
६९७ गंगा नदी द्वारा भूमि का कटाव ११४५
६९८ हिमाचल प्रदेश में सड़क दुर्घटनायें ११४६
६९९ रेलवे दुर्घटनाओं के लिये प्रतिकर ११४६
७०० लोक स्वास्थ्य इंजीनियरों को कान्फ्रेन्स ११४६
७०१ उत्तर प्रदेश में नदियों पर पुल ११४७
७०२ ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों की सड़कें ११४७
७०३ आउट-एजन्सियां ११४७
७०४ त्रिपुरा में डाक तथा तार भवन ११४८
७०५ आम्ता जल निस्सारण योजना, हावड़ा जिला, पश्चिमी बंगाल ११४८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ११४८

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) जी० एस० आर० संख्या १००४, दिनांक २५ अक्तूबर, १९५८।

(२) जी० एस० आर० संख्या १०८२, दिनांक १५ नवम्बर, १९५८, जिसमें उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, १९५७ में कुछ संशोधन किये गये हैं।

विधेयक—विचाराधीन ११४९—८०

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार करने के प्रस्ताव पर आगे चर्चा हुई,। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खण्डवार विचार आरम्भ किया गया, पर समाप्त नहीं हुआ।

कार्य मंत्रणा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित ११८१

बत्तीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

मंगलवार, २ दिसम्बर, १९५८ के लिये कार्यावलि—

संसद् (अनर्हता निवारण) विधेयक पर आगे खण्डवार विचार और ट्रेनों के ठीक समय पर न चलने के सम्बन्ध में और रेलवे कर्मचारियों द्वारा नियत समय की पाबन्दी न कर पाने के बारे में चर्चा

———————